राजस्थान विधान सभा

४३वीं बैठक, सोमवार, दिनांक–७ मई, सन् १६५६ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८.११ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न।

प्रश्न संख्या ८१८

श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८१६

श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८२०

श्री प्रभुदयाल।

प्रश्न संख्या ८२०

खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने सम्बन्धी कानून की शासकीय योजना

श्री प्रभुदयाल—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या राजस्थान में खाद्य वस्तुओं में मिलावट के सम्बन्ध में कोई कानून है जिसके अन्तर्गत मिलावट करने वालों को दंडित किया जा सके ?

[श्री प्रभुदयाल]

(२) यदि नहीं, तो कब तक ऐसा कानून बन जायेगा ?

(३) इतनी देरी का कारण क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) जी हां। राजस्थान में केवल जोधपुर डिविजन में pure food Act लागू है जिसके अन्तर्गत खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को दण्डित किया जाता है।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रभुदयाल—इस कानून की तहत कितने केसेज़ पकड़े गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से प्रश्न है। इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट |

प्रश्न संख्या २१८

शिक्षा विभाग (जि० सीकर) में अध्यापकों की नई नियुक्तियां करने हेतु आवेदन पत्र

श्री भैरूं सिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) शिक्षा विभाग जिला सीकर में इस वर्ष कितने अध्यापकों की नई नियुक्तियां की गईं ?

(ख) क्या इन नई नियुक्तियों के लिए निरीक्षक ने आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे यदि हां, तो कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये ?

(ग) क्या यह सही है कि इन आवेदन कर्त्ताओं में से ४७ व्यक्तियों को चुना गया था और उनके मार्क्स रजिस्टर में दर्ज किये गये थे ?

(घ) यदि हां, तो इनमें से किन किन को अब तक नियुक्त किया जा चुका है तथा इसके अलावा किन किन को नियुक्त किया गया और क्यों ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि कुछ व्यक्तियों को आगे लाने के लिए मार्क्स रजिस्टर को बदल दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No 3

(श्री भैंरूसिंह)

(च) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ? यदि हां, तो इसका क्या नतीजा रहा ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) ११० अध्यापकों की ।

(ख) जी नहीं, अध्यक्ष, शिक्षा विभाग द्वारा किये गये थे ।

(ग) जी नहीं । ७७ व्यक्तियों को चुना गया था ।

(घ) अब तक ४१ अध्यापकों को नियुक्त किया जा चुका है । जिनकी सूची सदस्य महोदय के पास पहुंच गई है बाकी २६ व्यक्तियों को जुलाई में शुरू होने वाले सत्र से अविलम्ब नियुक्त कर देने के आदेश अध्यक्ष, शिक्षा विभाग को दे दिये गये हैं ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(ङ) यह सही नहीं है ।

(च) इस विषय में कोई शिकायत नहीं आने से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता और रजिस्टर में बोर्ड के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद हैं ।

श्री भैंरूसिंह—जो व्यक्ति चुने गये उनके स्थान पर भी उनको नहीं चुना गया और उनको नियुक्त नहीं करने का क्या कारण है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसका विशेष कारण तो मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन इसके बारे में मैंने प्रश्न का जवाब आने के बाद दुबारा जांच की है उसका अभी तक जवाब नहीं आया है ।

श्री भैंरूसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, क्या इसका मतलब यह समझा जावे कि उसका जवाब अभी तक दिया नहीं गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी हां ।

श्री भैंरूसिंह—जब इसका जवाब नहीं दिया गया समझा जावे तो फिर इसके उत्तर के लिए कोई अवधि निश्चित होनी चाहिये ?

Page No 4

श्रीमती कमलाकुमारी वेनीवाल—इसको नेक्स्ट टर्न पर रख दिया जावे।

प्रश्न संख्या ८२२

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८२३

श्री कस्तूरचंद जैन।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८२४

श्री भैरूंसिंह।

प्रश्न संख्या ८२४

सीकर जिले में शिक्षा विभाग में इस वर्ष के प्रारम्भ में नियुक्ति एवं उनके स्थानांतरण सम्बन्धी निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतें

श्री भैरूंसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) सीकर जिले में शिक्षा विभाग में इस वर्ष के प्रारम्भ में कितने चपरासी किस किस स्थान पर नियुक्त थे?

(ख) अब तक कितने चपरासियों को अलहदा किया गया और इन पदों पर कितनी नई नियुक्तियां, किस आधार पर हुई?

(ग) क्या यह सही है कि कई चपरासियों को उनकी नियुक्ति के स्थान पर न रखा जाकर निरीक्षक, शिक्षा विभाग के कार्यालय पर रखा जाता है? यदि हां, तो किन २ को और क्यों? यदि नहीं तो प्राईमरी स्कूल मौहल्ला पुरोहितान सीकर व मिडिल स्कूल बाय के चपरासी से कहां काम लिया गया और उसकी कहां हाजिरी दिखाई गई?

(घ) चपरासियों के इस वर्ष कहां २ कब कब स्थानान्तरण किये गये?

[श्री भैंरूसिंह]

(ङ) क्या यह सही है कि इस जिले के चपरासियों ने उच्चाधिकारियों के पास निरीक्षक के विरुद्ध कई शिकायतें की है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) १३७ चपरासी, जिनकी तालिका सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) केवल एक चपरासी श्री गणेश को निरन्तर गैर हाजिरी के कारण अलहदा किया गया। रिक्तस्थान स्थानान्तर द्वारा भरा गया।

(ग) केवल एक चपरासी श्री देवीलाल बॉय स्कूल का कुछ समय से ऑफिस में काम करता है क्योंकि ऑफिस का एक चपरासी श्री भागीरथ कुछ समय के लिये श्री कल्याण इन्टर कॉलेज सीकर में डेप्यूट किया गया है। भागीरथमल के लौटते ही श्री देवीलाल को वापिस कर दिया जायगा। स्कूल मोहल्ला पुरोहितान का चपरासी अपने स्कूल में काम करता है और वहां उसकी हाजिरी होती है।

(घ) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(ङ) जी हां, रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैंरूसिंह—क्या उसकी रिपोर्ट की जांच हुई या नहीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जांच करने के बाद ही तो रिपोर्ट हुई है। उसके लिये दुबारा जांच कराने की क्या आवश्यकता है।

श्री भैंरूसिंह—चपरासियों ने शिकायत की, जांच हुई या नहीं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इस जांच के आधार पर ही तो यह रिपोर्ट आई है।

श्री भैंरोंसिंह—आपका रिपोर्ट से मतलब क्या है ? क्या शिकायत हुई उसकी जांच हुई है या नहीं ? और अगर जांच हुई है तो आपने उस पर अभी तक क्या एक्शन लिया है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—चपरासियों ने शिकायत की उसकी जांच कराई गई और उसी रिपोर्ट पर विचार हो रहा है।

श्री भैंरू सिंह—रिपोर्ट क्या तैयार हुई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—रिपोर्ट पर अभी तक विचार हो रहा है जब विचार कर फाइनल हो जाएगा आपको बता दिया जावेगा।

श्री भैंरू सिंह—जांच किस अधिकारी ने की?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—डिप्टी डाईरेक्टर के द्वारा जांच की गई।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही हैं कि सभी शिकायतें जो की गई सही पाई गई।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जब इस रिपोर्ट का निर्णय हो जाएगा तब इस बारे में कहा जा सकता है।

श्री भैंरू सिंह—आपने तो वह रिपोर्ट देखी है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जब तक इस पर फाइनल एक्शन नहीं हो जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री भैंरू सिंह—मैं सरकार के एक्शन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं तो डिप्टी डाइरेक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके बारे में पूछ रहा हूं।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जो रिपोर्ट आई है उस पर विचार हो रहा है विचार के दौरान में आप जवाब मांग रहे हैं इसलिये मैं यह कहूंगी कि विचार के दौरान में इसका जवाब देना उचित नहीं है।

श्री भैंरू सिंह—मैं तो केवल रिपोर्ट के ही बारे में पूछ रहा हूं।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, क्या यह रिपोर्ट कॉन्फीडेन्सियल है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जब तक रिपोर्ट पर फाइनल एक्शन नहीं हो जाए तब तक कॉन्फीडेन्सियल ही समझी जानी चाहिये।

श्री भैंरू सिंह—कौन २ से मुद्दे उठाये गये थे ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आप इसके लिये अलग से डिटेल में प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दिया जाएगा।

Page No 7

श्री भैंरूसिंह—क्या इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल के बारे में गबन की शिकायत भी आई थी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—हो सकता है ।

श्री भैंरूसिंह—आपने गबन के मामले में भी कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आप कैसे कह सकते हैं कि कोई कार्यवाही की गई या नहीं जब तक रिपोर्ट पर फाइनल एक्शन नहीं ले लिया जाए तब तक इस प्रकार की धारणा करना वाजिब नहीं है ।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि ६ महीने पूर्व यह रिपोर्ट दे दी गई थी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—६ महीने की मुझे मालूम नहीं । दुबारा जांच कराने को थी अब एक्शन की देरी है ।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि जांच के सम्बन्ध में चपरासियों के स्टेटमेंट नही लिये गये ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ८२५

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(प्रश्न संख्या ८२६)
श्री गुरुदयालसिंह
अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये

प्रश्न संख्या ८२७

जिला बून्दी की प्राथमिक पाठशालायें एवं विद्यार्थियों के उनमें पढ़ने की व्यवस्था

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—(अ) जिला बून्दी में कितने प्राथमिक स्कूल हैं और वे किस २ ग्राम में हैं ?

(महाराज श्री केसरीसिंह)

(ब) उपरोक्त स्कूलों में लड़कों के बैठकर पढ़ने की क्या व्यवस्था है ?

(स) इन स्कूलों में अलग २ कितने लड़के पढ़ते हैं और इनमें हर स्कूल में कितने अध्यापक पढ़ाते हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(अ) १४४ स्कूलें हैं।

(ब) विद्यार्थियों के लिये दरी टाट पट्टियों की व्यवस्था है ।

(स) तालिका में इसकी सूचना दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

महाराज श्री केसरीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, न तो तालिका ही मिली है और न प्रश्न का उत्तर ही।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—तालिका भेज दी गई, मुझे मालुम नहीं आपके पास कैसे नहीं पहुंची ?

महाराज श्री केसरीसिंह—नोटिस ऑफिस में तो नहीं मिली न मालुम आपने कहां भेजी है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— अब आपके पास पहुंचादी जायगी।

महाराज श्री केशरीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, न तो स्कूलों के नाम ही बताये गये ताकि मैं सप्लीमेन्टरी कर सकता ?

श्रीमती बेनीवाल—एम. एल. ए. होने के नाते आप स्कूलों नाम तो जानते ही होंगे।

महाराज श्री केसरीसिंह—मैं सारे डिस्ट्रिक्ट का एम. एल. ए. नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय न तो तालिका ही मिली तालिका मिल जाती तो मुझे पूछना था कि कितने हर स्कूल के अन्दर मास्टर्स हैंऔर कितने कितने विद्यार्थी। तालिका के बिना पता नहीं लग सकता उसका मिलना बहुत आवश्यक था। मैं आप से उपाध्यक्ष महोदय,निवेदन करूंगा कि इसको नेक्स्ट टर्न पर रख दिया जाय।

श्रीमती कमला बेनीवाल— नेक्स्ट टर्न पर रख दें तालिका दे दी जायगी।

महाराज श्री केसरीसिंह—आशा है उस समय तक तालिका मिल जायगी।

प्रश्न संख्या ८२८

श्री उपाध्यक्ष—श्री कस्तूरचन्द ।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८२९

श्री गुरुदयालसिंह संधु ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८३०

श्री गुरुदयालसिंह संधु ।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८३१

मार्च, १९५६ में पड़ने वाले ओलों से फसल को हुई क्षति के कारण विभिन्न तहसीलों में छूट

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) मार्च, १९५६ में कोटा डिवीज़न में गडों (ओलों) से किस किस तहसील में कितना कितना फसलों को नुकसान हुआ है ?

(ब) इस नुकसान के लिये सरकार ने किस किस तहसील में कितनी कितनी छूट देना तय किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास-- (अ) कोटा डिवीजन के जिला कोटा की निम्न तहसीलों में ओला वर्षा से नुकसान होने की सूचना प्राप्त हुई है :

तहसील डिगोद, बारां, अंता, पीपल्दा, अतरू, तहसील किशनगंज, तहसील लाडपुरा, तहसील कनवास, तहसील इटावा ।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ब) छूट दिये जाने की कार्यवाही समय पर की जायगी। तत्काल सहायता के लिए २० हजार रुपया रिलीफ वर्क्स के लिए, २० हजार रुपया तकावी के लिये और दो हजार रुपया ग्रेचुटुअस रिलीफ के लियेदिया गया है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या जिला बूंदी में कोई नुकसान नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जो तहसीलों के नाम बताये हैं वे कोटा डिवीजन के हैं जिसमें बूंदी तहसील भी आगई है।

महाराज श्री केसरीसिंह—बूंदी तहसील का नाम एक बार भी नहीं आया क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने आपको नाम बताये फिर से सुना देता हूं तहसील डिगोद, बारां, अंता, पीपलदा, अतरू, तहसील किशनगंज, तहसील लाडपुरा, तहसील कनवास, तहसील इटावा, बूंदी तहसील में कोई नुकसान नहीं हुआ पाया जाता है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि तहसील नीनावा में काफी तादाद में नुकसान हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी मेरे पास जानकारी नहीं है जानकारी हासिल करके बता सकता हूं।

महाराज श्री केसरीसिंह—इसकी जानकारी हांसिल करके कब बता दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी।

श्री श्रीदास गोयल—कितने पर्सेन्ट नुकसान की इत्तला मिली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—विस्तार से जानकारी हासिल नहीं हुई है विलेज वाइज स्टेटमेन्ट तैयार किया जा रहा है कि किन किन को क्या क्या रिलीफ दिया जाय, रेमिशन आदि दिया जाय।

महाराज श्री केसरीसिंह—जांच होने में कितना समय लगेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो तजुर्बे की बात है कितना समय लगता है, एक २ खेत में जाकर देखना पड़ता है।

महाराज श्री केसरीसिंह—ओले किस तारीख को पड़े ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी तारीख इस वक्त नहीं है।

श्री भैंरूंसिंह—प्रश्न कर चुके फिर भी जांच हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जांच तो हो गई कागजात तैयार हो रहे हैं।

श्री भैंरूंसिंह—सरकार के पास अभी तक कागजात नहीं आये इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—स्टेटमेंट बनकर आ रहा है।

श्री भैंरोंसिंह—जिस तहसील का नाम माननीय सदस्य ने अभी कहा, क्या उसका नाम उस स्टेटमेंट में है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नीनावा तहसील की जानकारी नहीं इसके बारे में जानकारी हासिल करूंगा।

श्री श्रीदास गोयल—जब आपको प्राथमिक सूचना मिली उस समय क्या सरकार को यह भी सूचना दी गई कि कितना पर्सेन्ट नुकसान हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सूचना मिली थी।

श्री श्रीदास गोयल—कितना पर्सेन्ट नुकसान हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जांच हो रही है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्या डिविज़न कोटा में बूंदी डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हां है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—तो क्या बूंदी डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट नहीं आई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आई है।

श्री श्रीदास गोयल—जिन जगहों पर नुकसान हुआ उनके लिये सहायता समय पर दी जावे इसके लिये क्या किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—प्रश्न का जवाब तो सुनते नहीं, माननीय उपाध्यक्ष, अगर माननीय सदस्य ने प्रश्न का जवाब सुना होता तो यह सवाल नहीं करते। मैंने जवाब में निवेदन किया २० हजार रुपया रिलीफ वर्क्स के लिए, २० हजार रुपया तकावी लोन के लिये और दो हजार रुपया मुफ्त में बांटने के लिये दिया है।

श्री श्रीदास गोयल—यह जो रकम दी गई है। वह बहुत थोड़ी है। वहां की जैसी हालत है उसको देखते हुए और रकम दिये जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कमिश्नर के सुझाव के ऊपर रकम दी गई है, अगर काफी नहीं होगी तो दी जायगी।

श्री श्रीदासगोयल—दो हजार रुपये किस गरज से दिये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मुफ्त में बांटने के लिये।

श्री भैंरूंसिंह—क्या सरकार को इस बात का पता है कि जिन तहसीलों में नुकसान हुआ वहां लगान वसूली जारी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जहां रिलीफ दिया गया वहां जारी नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि किन किन तहसीलों को लगान के वास्ते सस्पेन्ड कर रखा है ?

श्री दामोदर लाल व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसीलों के नाम तीन बार पढ़ चुका हूं सदन में फिर भी माननीय सदस्य को पता नहीं।

प्रश्न संख्या ८३२

जैसलमेर में हो रहे भूस्वामी आन्दोलन के कारण

श्री हनवन्तसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) भूस्वामी आन्दोलन किन किन जिलों में हो रहा है ?

(ख) जिला जैसलमेर में भूस्वामी आन्दोलन किन किन कारणों से हो रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—भूस्वामी आन्दोलन सभी जगह अनिश्चित काल के लिये स्थगित है।

श्री हनवन्तसिंह—मैंने यह पूछा था कि कहां कहां चल रहा हैं और किन कारणों से चला था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने सवाल किया था कहां कहां भूस्वामी आन्दोलन चल रहा है मैंने उसी का जवाब दिया अब आप पूछ रहे हैं कहां कहां चला था तो मैं आपको बता रहा हूं जयपुर, सीकर, जालोर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, नोहर, बाडमेर आदि आदि।

जैसलमेर में भूस्वामी आन्दोलन किसी विशेष कारण से चल रहा हो नजर नहीं आता।

श्री हनवन्तसिंह—क्या जैसलमेर में आठवां हिस्सा वसूल किया जा रहा है इसलिये आन्दोलन चला था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किस का आठवां हिस्सा वसूल कर रहे हैं ?

श्री हनवन्तसिंह—आपने सुना नहीं आठवां हिस्सा वसूल किया जा रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास—किस का ?

श्री भैंरूसिंह—जागीरदारों से जो आठवां हिस्सा लेन्ड रेवेन्यू का वसूल किया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जैसलमेर की एक भी जागीर रिज्यूम नहीं हुई, सेटलमेंट की कार्यवाही चल रही है ?

श्री हनवन्तसिंह—आठवां हिस्सा वसूल किया जारहा है, इस वास्ते वहां आन्दोलन हुआ था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हनवन्तसिंह—जैसलमेर के जागीरदारों को जो तनख्वाह सन् ३६ से मिलती थी वह बंद कर दी गई या चालू है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से प्रश्न है।

श्री हनवन्तसिंह—क्या वहां कोई विशेष कारण नहीं था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग सवाल है।

श्री हनवन्तसिंह—मैंने सवाल किया जैसलमेर में भूस्वामी आन्दोलन चलने के क्या कारण है ? क्या उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई इसलिये आन्दोलन हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो आप सूचना दे रहे हैं।

श्री हनवन्तसिंह—सन् ३९ से कस्टम बन्द कर दी गई फिर भी जागीरदारों से लिया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से सवाल है। जानकारी प्राप्त करके बता सकता हूं।

प्रश्न संख्या ८३३

किराये पर रहने वाले लैंण्ड रेकार्ड्स कार्यालय के भवन का गृहस्वामी को देय किराया

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जयपुर शहर में लैंड रिकार्ड्स का दफ्तर कभी किराये की इमारत में रहा था ?

यदि हां तो कब से कब तक किराये पर रहा और क्या मकान मालिक को तयशुदा रकम दे दी गई है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों और कब तक सरकार देने का विचार रखती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) जी हां। लैंड रेकार्ड का कार्यालय गीजगढ़ की हवेली में किराये पर रहा दिनांक ११।३।५० से ३१।७।५२ तक और दूसरे सत्यनारायण भवन में १।८।५२ से ६।१।५४ तक रहा।

(ख) गीजगढ़ की हवेली का किराया अब तक नहीं दिया गया।

महाराज श्री केसरीसिंह—किराया क्या निश्चित हुआ था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पहले १२० रुपया माहवार का तय किया गया था। मगर मकान मालिक को मन्जूर नहीं हुआ तब इसका दुबारा १६८ रुपया पी. डब्लू. डी. के अधिकारियों द्वारा निश्चित कराया गया। पर वह भी चूंकि मकान मालिक को मन्जूर नहीं हुआ इसलिये यह अभी झगड़े में पड़ा है और अभी तक तय नहीं हुआ है।

महाराज श्री केसरीसिंह—किराया किस आधार पर तय किया गया था ?

Page No 15

श्री दामोदरलाल व्यास—स्टेन्डर्ड रेन्ट कायम किया गया था। मकान किस कीमत का है, उस हैसियत के अनुसार तय किया गया था।

महाराज श्री केसरीसिंह—रिक्वीज़ीशन करने से पहले क्या किराया तय नहीं हुआ था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने रिक्वीजीशन करने के लिये कब कहा ?

श्री श्रीदास गोयल—उस वक्त निश्चिय नहीं किया गया था कि किराया कितना दिया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने कहा न कि किया गया था, पर मकान मालिक को मन्जूर नहीं हुआ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि वह रिक्वीजीशन नहीं किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरी जानकारी में रिक्वीजीशन नहीं किया गया।

महाराज श्री केरीससिंह—क्या यह सही हैं कि जिस वक्त इसे रिक्वजीशन किया गया उस वक्त ८०० रुपया किराया देना मन्जूर किया था सरकार ने ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरी जानकारी में यह नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—अब सरकार क्या सोच रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि इसका किराया अब तय किया जा रहा हैं आपस में मिलकर।

श्री भैंरूं सिंह—किराया लेने से पहले कोई एग्रीमेंट सरकार के और मकान मालिक के बीच में हुआ था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किराये के मुतल्लिक नहीं, किराया के देने के मुतल्लिक हुआ होगा ?

श्री शम्भुसिंह—डेफीनेट जवाब मिलना चाहिये। हाईपोथीकल जवाब मिलता है, यह ठीक नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री दामोदरलाल व्यास—आप स्पष्ट सवाल पूछिये। स्पष्ट जवाब दे दिया जावेगा।

Page No 16

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट ।

(घंटी)

प्रश्न संख्या ८३४

श्री प्रभुदयाल—प्रश्न संख्या ८३४

श्री दामोदरलाल व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, खेद है कि इसका उत्तर आब नहीं दे सकूंगा। इसे अगली टर्न के लिये रख लिया जावे ।

(श्री मनफूलसिंह की जगह श्री प्रभुदयाल के प्रश्न पूछने पर)

श्री उपाध्यक्ष—(श्री प्रभुदयाल से) क्या मनफूलसिंह से ओथोरिटी ली हुई है ?

श्री प्रभुदयाल—जी हां, लिख कर दे दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—यहां लिख कर आना चाहिये, यहां पेश होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८३५

पुनः बन्दोबस्त हुई भीलवाड़ा जिले की तहसीलें विशेषतया जहाजपुर

श्री श्रीदास गोयल—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला भीलवाड़ा की किस किस तहसील का रिसेटिलमेंट हो चुका है ?

(ख) तहसील जहाजपुर में कब तक रिसेटिलमेंट होने वाला है ?

श्री दामोदरमाल व्यास—(क) अभी किसी तहसील में नहीं हुआ है ।

(ख) सन् ५७।५८ ५८,५६ के प्रोग्राम में लिये जाने का ख्याल है ।

श्री श्रीदास गोयल—इतनी देर होने का क्या करण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसलिये कि आवश्यकता के माफिक सर्वे सेटिलमेंट किया जा रहा है ।

Page No 17

श्री श्रीदास गोयल—क्या राजस्थान की दरों को समान लेवल पर लाने की दृष्टि से यह किया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सैटिलमेंट का वक्त खत्म हो गया इसलिये रिसेटिलमेंट करना जरूरी है।

श्री शम्भू सिंह—अबेटमेंट कर दिया जावेगा क्या दूसरे में ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसा कोई विचार अभीतक तो नहीं हैं।

श्री श्रीदास गोयल— जो सेटिलमेंट होगा दुबारा वह उसी जगह होगा या सारे मेवड़ में होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपने भीलवाड़ा के लिये पूछा मैंने उसका जवाब दिया। इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी। आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं।

महाराजा श्री केसरीसिंह— ५७। ५८ में दुबारा होने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास— मैंने जबाव दिया न कि टाइम खत्म होने की वजह से हो रहा है।

श्री श्रीदास गोयल— यह भीलवाड़ा के लिये ही हो रहा है या यूनिवर्सल तौर पर सारे मेवाड़ में होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास— आपने सिर्फ भीलवाड़ा के लिये पूछा और मैंने उसका जवाब दिया अब दूसरे के लिये मैं कतई इन्कार करता हूँ उत्तर देने से।

श्री उपाध्यक्ष— नेक्स्ट। श्री मनफूल सिंह।

प्रश्न संख्या १८३६

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित- कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या १८३७

आज से पूर्व कुछ मिल मालिकों को शासकीय रुपया एवं उससे उन मालिकों द्वारा किये गये कार्य आदि

श्री हंसराज आर्य—क्या उद्योग मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे—

[श्री हंसराज आर्य]

(क) आज से पहले किस किस मिल मालिक को कितना कितना रुपया कर्ज दिया गया ?

(ख) सरकार इस कर्ज को कैसे वसूल करने का विचार रखती है ?

(ग) इन मिल मालिकों ने कर्ज से क्या कुछ उन्नति की है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है ?

(घ) ऐसे कितने मिल मालिक हैं जिन्होंने सरकार से कर्ज लिया मगर कोई उद्योग कार्य नहीं किया और रुपया अपने घरू कार्य में खर्च कर लिया है ?

(ङ) उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास— कुल १,७८,५०० रुपया दिया गया जो कि निम्नलिखित व्यक्तियों को कर्ज दिया गया :

(१) किशनगढ़ मिल को ७५ हजार।

(२) पोपुलर मॉर्डन इन्डस्ट्रीज़ जयपुर ५००००)

(३) जे. डी. धावन को १५,०००)

(४) एल. एन. बरलोस एण्ड संस १००००)

(५) मेसर्स मेकेनाइज्ड फार्मर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज़ मेवाड़ लि० उदयपुर २८५००)

(ख) किशनगढ़ मिल को दिया गया रुपया शर्तों के अनुसार तीन वर्ष के बाद सरकार को वापिस प्राप्त हो जावेगा। मेवाड़ ....की बिल्डिंग राज सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। जे.डी. धावन जो शरणार्थी था अब उसका कहीं ठिकाना नहीं है। पुलिस और पुर्नसंस्थापन विभाग के द्वारा उसकी खोज कराई जा रही है। उदयपुर के कर्जे की वसूली पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के मुताबिक की जा रही है।

(ग) दीगर बातों में खास उन्नति नहीं की और आगे सरकार जांच कर रही है।

(घ) रुपया घरू कार्यों में खर्च करने की कोई सूचना नहीं है

Page No 19

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ङ) सरकार कर्जा दिये गये रुपयों की वसूली करने में, अलग अलग मामलों में अलग अलग आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर रही है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या ये कर्जे देने के पहले पी० ए० सी० की राय के अनुसार काम करने का सरकार विचार करती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बहुत इज्जत के साथ विचार किया जाता है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या किशनगढ़ मिल को कर्जा देने के पहले पी० ए० सी० की राय पर विचार किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह पी. ए. सी. की डेफीनेट राय थी कि उसके पहले के कारनामों को देखते हुए उसको कतई कर्जा नहीं दिया जाना चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह उनकी राय थी मगर किशनगढ़ मिल को जो कर्जा दिया गया है, वह मजबूत सिक्योरिटी पर और मिल के हित में तथा मजदूरों के हित में दिया गया है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह मुनासिब नहीं समझा गया कि मजदूरों के हित में और तमाम जनता के हित में उसको आगे कोई और कर्जा दिए जाने से पूर्व पी. ए. सी. को और रेफर कर लिया जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी कोई आवश्यकता नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—तो क्या भविष्य में पी० ए० सी० कोई राय देती है तो उस पर सरकार गम्भीरता से विचार नहीं करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बहुत इज्जत के साथ और गम्भीरता के साथ सरकार उसकी राय पर विचार करती है।

श्री हंसराज आर्य—जिनको कर्जा दिया गया और काम में नहीं लिया बल्कि अपने निजी काम में लिया उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इन्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट के जरिए।

श्री धर्मपाल—जो कर्जा लेकर गायब हो गया, उसको बिना जाने कर्जा क्यों दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—एक के गायब होने से बिना जाने देने का सवाल पैदा नहीं होता काफी सोच विचार कर कर्जा दिया जाता है। वह शायद शरणार्थी था, उसका ठीक ठीक ठिकाना पता नहीं होने से दिक्कत आई और वह यह राजस्थान बनने से पहले दिया गया है, ऐसा मेरा ख्याल है।

प्रश्न संख्या ८३८

सन् ५५।५६ में भीलवाड़ा जिले में खोली गई पाठशालाएं

श्री रामदयाल उपाध्याय की ओर से श्रीश्रीदासगोयल—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भीलवाड़ा जिले में सन् ५५।५६ में कितनी प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई हैं ?

(२) किस तहसील में सब से अधिक और किस में सबसे कम पाठशालाएं खोली है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल, (उप शिक्षा, मन्त्राणी)—(१) ३६ प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई।

(२) सबसे ज्यादा भीलवाड़ा तहसील में व सबसे कम सहाड़ा तहसील में खोली गई।

श्री शम्भुसिंह—सहाड़ा में सबसे कम की क्या वजह है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—जन संख्या के आधार पर खोली जाती हैं।

श्री शम्भुसिंह—जन संख्या के निर्णय की जांच किस अफसर द्वारा कराई गई कि सहाड़ा में भीलवाड़ा से कम जनसंख्या है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—जिस हिसाब से सहाड़ा की जनसंख्या मालूम हुई उसी हिसाब से खोली गई।

Page No 21

श्री शम्भुसिंह—भीलवाड़ा और सहाड़ा में कितनी जनसंख्या है ? क्या इसकी जांच करवाई गई ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—यह तो नहीं करवाई गई, ऐसा ही मेरी जानकारी में है, पर जन संख्या के आधार पर स्कूलें खोली जाती हैं यह मैं कह सकती हूं। अगर यह अन्इक्वल है और आपकी जानकारी से सही है तो इसकी जांच करवाई जा सकती है।

कर्नल श्री दीपसिंह—उसकी पापूलेशन क्या है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

क० श्री दीपसिंह—उस आधार के लिऐ मैंने पूछा था कि डेन्सिटी क्या है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल—मैं जब आपसे अर्ज कर रही हूँ आँकड़े नहीं हैं तो सरसरी तौर पर जो पालिसी है उसकी बात बता रही हूँ तो इस तरह से बार बार पूछने से कोई मतलब नहीं है।

श्री शम्भुसिंह—उस पर्टीक्यूलर तहसील में क्या आधार माना गया है, सहाड़ा तहसील में—

श्रीमती बेनीवाल—पर्टीक्यूलर पॉलिसी नहीं हुआ करती है। जनरल पॉलिसी है, उसमें इस तरह का पालन नहीं हुआ हो तो सामने आने पर जांच को जा सकेगी, उसको दुरुस्त किया जा सकेगा।

श्री शम्भुसिंह— यह दुरुस्ती क्या आयन्दा कुछ ज्यादा तादाद में प्राथमिक पाठशालाएं खोलकर कर दी जायगी ?

श्रीमती बेनीवाल— पिछले साल इन्जिस्टिस हुआ है तो इस साल ठीक किया जा सकता है।

श्री श्रीदास गोयल— सहाड़ा में कितनी प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई हैं और भीलवाड़े में कितनी ?

श्रीमती बेनीवाल—भीलवाड़ा में ५ और सहाड़ा में २।

श्री श्रीदास गोयल—दोनों की अलग अलग आबादी कितनी है यह कुछ आप बता सकेंगी ?

Page No 22

श्रीमती बेनीवाल—इसके बारे में मैंने अर्ज किया था। अगर आपने बहस सुनी होती तो यह प्रश्न नहीं आता।

श्री श्रीदास गोयल—आपने टोटल जन संख्या नहीं बताई।

प्रश्न संख्या ८३६

श्री उपाध्यक्ष— श्री नारायण चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये).

प्रश्न संख्या ८४०

हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १देखिये)

श्री हंसराज आर्य :

प्रश्न संख्या ८४१।

पटवारी राज्य कर्मचारी होते हुए भी माल गुजारी के साथ कृषकों से पटवार नामक टेक्स लेना

श्री हंसराज आर्य—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे —

[क] क्या राजस्थान के पटवारियान को मुलाजिम राज्य मान लिया गया है ? यदि हां, तो कब से और क्या पटवार नामक टेक्स मालगुजारी के साथ अब भी किसान पर लगता रहेगा ?

(ख) उपरोक्त टेक्स से सरकार को कुल कितनी आमदनी होती है, जिलेवार बताई जावे ?

[ग] क्या पटवार नामक टेक्स के संबंध में किसी जिले से सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में कोई रिट भी की गई है ? यदि हां, तो उसका क्या फैसला रहा ?

[घ] क्या सरकार पटवारियान की तहख्वाह बढ़ाने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक बढ़ा दी जावेगी और नहीं तो क्यों नहीं ?

[श्री हंसराज आर्य]

[ङ] क्या यह सरकार के ध्यान में है कि राजस्थान में बेगार बन्द हो जाने के बाद पटवारियान को कार-सरकार अंजाम देने में बगैर सवारी के बड़ी भारी बाधा आ गई है ?

[च] क्या सरकार पटवारियान को सवारी अलाउन्स देने की सोच रही है, जैसी कि गिरदावरों और नायब तहसीलदारों को दिया जाता है ? यदि हां, तो उस सवारी अलाउन्स को माहवारी शरह क्या होगी और यदि नही, तो क्यो नहीं ?

[छ] क्या सरकार के यह भी ध्यान में है कि गांवों में सरकार के पटवारखाने न होने के कारण पटवारी को गांव के चौधरी पटेल के घर रहना पड़ता है ? क्या इस वजह से पटवारियान के सामने वसूली में बड़ी भारी कठिनाइयाँ आती हैं ?

श्री **दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)**--(क) राजस्थान में पटवारियान हमेशा से ही मुलाजिम राज्य हैं। पटवार नामक टेक्स भूतपूर्व रियासतों के कानूनों के अनुसार वसूल होता है।

(ख) उपरोक्त पटवार टैक्स जहां जहां वसूल होता है वह जिलेवार इस प्रकार है --

बूंदी में	१३,५५७)रू०
भरतपुर में	८,८१६)रू०
बीकानेर में	२३,७६६)रू०
चूरू में	८२,३७०रू० १५ आना।
गंगानगर में	औसतन ३ से ४ लाख रूपये।
डूंगरपुर में	२२,४६२)रू०

(ग) जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेन्च में भूतपूर्व जयपुर युनिट के लिए रिट पेश की गई थी और उसका यह निर्णय हुआ था कि भूतपूर्व जयपुर रियासत को इस प्रकार की लाग लेने का कानूनन कोई अधिकार नहीं था।

(घ) जी हां। नये वेतन श्रेणी के आधार पर पटवारियों के ग्रेड में वृद्धि की गई है।

(ङ) जी नहीं। पटवारी का हलका छोटा होता है, इसलिए सवारी की आवश्यता नहीं।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(च) जी नहीं, कोई भी पटवार सर्किल ५ मील के दायरे में होता है।

(छ) जी हां। पटवारियों के लिए पटवारखाने की कमी है। इसलिए पटवारखाने बनवाने का काम हाथ में लिया जा रहा है। जहां जहां सरकारी पटवारखाने नहीं हैं वहां पर ४ रुपये मासिक प्रति पटवारी को किराये के रूप में दिया जाता है।

श्री हंसराज आर्य—क्या यह आपने सही फरमाया कि पटवारी हमेशा से सरकारी मुलाजिम थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकारी मुलाजिम हमेशा से माने जाते हैं।

श्री हंसराज आर्य—बीकानेर में हमेशा से वे ऐसे मलाजिम माने गये है कि जिनको छुट्टी नहीं मिलती है, पेन्शन नहीं मिलती है।

श्री दामोदरलाल व्यास:—बीकानेर में कोई खास स्थिति रही हो तो उसकी जानकारी करूंगा। आज तो पटवारियों को सब जगह सरकारी मुलाजिम माना जाता है। बीकानेर में क्या स्थिति थी इसके लिए जांच कराऊंगा।

श्री हंसराज आर्य—अब क्या माने जाते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अब मैंने अर्ज किया कि पटवारी सरकारी मुलाजिम हैं।

श्री हंसराज आर्य—इसके बावजूद भी पटवार टेक्स लागू रहेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—टेक्स जहां जहां वसूल होता है, वह भूतपूर्व रियासतों के कानूनों के तहत होता है।

श्री हंसराज आर्य—लेकिन वह कानून अब तो नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—अभी तक है।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार इस कानून को बदलने का विचार रखती है ?

श्री भैरूसिंह—जब पटवार टेक्स वैध करार दे दिया गया है तो रिफन्ड करने के संबंध में सरकार ने कार्यवाही की या नहीं ?

Page No 25

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने सिर्फ एक जयपुर बेन्च के लिए कहा है।

श्री भैरूं सिंह—जयपुर में जिन लोगों से पटवार टेक्स वसूल हुआ है उनको वह रिफन्ड करने के लिए सरकार के क्या आदेश हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनसे कोई सेस वसूल नहीं किया जाय, यह आदेश दे दिये हैं।

श्री भैरूं सिंह—वसूल कर लिया गया है उसके बारे में ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कोई आदेश नहीं।

श्री भैरूं सिंह—क्या सरकार यह नहीं चाहती कि गलत टेक्स वसूल किया गया है उसको रिफन्ड किया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास—गलत टेक्स का हाईकोर्ट का निर्णय हुआ इस लिए बन्द कर दिया गया है।

श्री भैरूं सिंह—क्या सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हाई कोर्ट के फैसले का पालन किया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पालन किया जा रहा है।

श्री भैरूं सिंह—जब कि पटवार टेक्स बिल्कुल अवैध करार दे दिया गया है तो सरकार रिफन्ड क्यों नहीं करती ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अवैध करार नहीं दिया है बल्कि यह कारण दिया है कि राजस्थान में अब वसूल इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां विधान लागू है, जहां कानून के तहत वसूल किया जा रहा है, भूतपूर्व जयपुर राज्य में नहीं होता है।

श्री हंसराज आर्य—क्या यह अन्य डिवीजनों में भी लागू होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अलग अलग डिवीजन के अलग अलग युनिट लॉज़ हैं इसलिये लागू नहीं होगा।

श्री भैरूं सिंह—जिन लोगों से इस तरह का जयपुर रियासत में टेक्स वसूल किया गया जब कि उन्हें कोई अधिकार नहीं था, जब कि कोई अधिकार नहीं होने की सूरत में जो टेक्स वसूल किया गया है वह गलत है।....

श्री दामोदरलाल व्यास—आप मतलब समझ लीजिये इसका।

श्री भैरूंसिंह—वह गलत है तो रिफन्ड करने में क्या दिक्कत है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उसे नहीं लेने के आदेश दिये गये हैं।

श्री श्रीदास गोयल—जब कि कॉंस्टिट्यूशन में इसको अल्ट्रा वायर्स मान लिया गया है तो कॉन्स्टीट्यूशन लागू होने के बाद में भी जो टेक्स वसूल होता रहा तो उस तारीख से जब से कि कॉंस्टीट्यूशन लागू हुआ और बाद तक जब तक कि वसूल होता रहा उसको रिफन्ड करने में क्या विचार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—रिफन्ड की कोई दरख्वास्त पेश नहीं हुई।

श्री हंसराज आर्य—पटवारी का इलाका आपने ५ मील के एरिया में बतलाया है लेकिन पटवारी का हलका वाकई में १०-१२ मील के एरिया में होता है, अतः बिना सवारी के काम नहीं चल सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने आम तौर ५ मील का एरिया बतलाया है।

श्री भैरूंसिंह—रिफन्ड के लिए दरख्वास्त पेश होती है तो क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आगे से नहीं लेने का इन्कार किया गया है।

श्री श्रीदास गोयल—गांव वालों के बिना दरख्वास्त दिये रिफन्ड करने की कानूनी आवश्यकता है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह हरेक आदमी का अधिकार है कि वह कानूनी रेमेडी हासिल करे।

श्री हिम्मतसिंह—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस लागू होने के बाद यह बन्द हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार इस टेक्स को लौटाना चाहती है ?

श्री हंसराज आर्य—इसका मतलब तो यह है कि इसको हटाने के लिए हर डिविजन के लोगों को हाई कोर्ट में रिट करना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास—वैसे लेन्ड रेवन्यू एक्ट के अन्दर यह प्रोवीजन जरूरी तरीके से हो रहा है, इसलिए रिट करने की गुजायश नहीं है और रिट कामयाब भी नहीं होगा।

श्री भैरूं सिंह—और हाई कोर्ट के निर्णय होने के बाद भी क्या लगातार यह २ वर्ष तक वसूल किया गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास—कहां पर?

श्री भैरूं सिंह—जयपुर स्टेट में।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

एक माननीय सदस्य—क्या पटवारियों की तनख्वाह...

(घंटी)

श्री हंसराज आर्य—क्या राजस्थान लेन्ड रेवेन्यू एक्ट पास होने के बाद बीकानेर का लेन्ड रेवेन्यू एक्ट रिपील हो जायगा?

श्री दामोदरलाल व्यास—अपने आप रिपील हो जायगा।

श्री हिम्मतसिंह—उसके बाद भी आप सैस वसूल करेंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप कानून जानते हैं तो समझ लीजिये कि वह वसूल होगा या नहीं।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या जयपुर रेन्ज के अन्तर्गत कोटा डिवीजन नहीं आता है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरा जवाब अगर आप सुनते तो यह सवाल ही नहीं पूछते। मैंने अर्ज किया कि भूतपूर्व जयपुर युनिट में....

(घंटी)

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, एक बड़ा इम्पोर्टेन्ट सवाल रह गया है। ग्रामीणों के लाखों रुपये का सवाल हैं।

कॉन्स्टीट्यूशन के एप्लाई होने के बाद और हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद तो यह रिफन्ड होना चाहिए था।

श्री दामोदरलाल व्यास—वह मैंने जवाब दे दिया।

श्री श्रीदास गोयल—वह कितना रुपया था?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिए अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री भैरूं सिंह—हाई कोर्ट का निर्णय होने के बाद कितने दिन बाद यह आदेश जारी किये गये कि पटवार टेक्स वसूल नहीं किया जाय?

श्री दामोदरलाल व्यास—फौरन ही।

श्री उपाध्यक्ष—श्री कुम्भाराम आर्य। (अनुपस्थित)

चौधरी श्री मोतीराम—माननीय कुम्भारामजी के पहले इसी सवाल पर में यह पूछना चाहता हूँ कि लेन्ड रेवेन्यू कानून पास होने के बाद भी क्या पटवार टेक्स वसूल करने का हक है?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप लेन्ड रेवेन्यू बिल देखलें।

चौधरी श्री मोतीराम—पटवार टैक्स जायज है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—लेन्ड रेवेन्यु बिल को देख लें।

प्रश्न संख्या ८४२

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न संख्या ८४२।

श्री हंसराज आर्य—माननीय उपाध्यक्ष, ८३७ का मेरा प्रश्न रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न संख्या ८४२, श्री कुम्भाराम आर्य।

(अनुपस्थित कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ८४३

राजस्थान के विभिम्न जिलों की विभिन्न खानें एवं नई धातुओं की खानों का अन्वेषण

श्री हंसराज आर्य—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) राजस्थान में किस किस जिले में किस किस चीज़ की खान है ?

(ब) राजस्थान में आज तक कौन २ सी खनिज वस्तुओं का पता चला है और क्या और भी खनिज वस्तुओं का पता लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो किस २ वस्तु का और कहां २ ? कृपया इसकी ब्यौरेवार सूची देने का कष्ट करें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, उद्योग मंत्री की अनुपस्थिति में)—(अ) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(ब) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री श्रीदास गोयल—क्या सवाई माधोपुर नगर के पड़ोस में पहाड़ियों में तांबा मिलने के प्रोस्पेक्टस हैं, सरकार को मालूम हुआ कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, इसका जवाब अभी नहीं दे सकूंगा । माननीय सदस्य को जानकारी प्राप्त करके बताऊंगा कि क्या गुंजाइश है ।

श्री भगवानसिंह तरंगी—क्या झालावाड़ के निकट पहाड़ियों में सिमेन्ट निकलने की सम्भावना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हां जी ।

श्री श्रीदास गोयल—जैसलमेर में पेट्रोलियम के सिलसिले में क्या इन्फोर्मेशन है !

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी जांच हो रही है । प्रोस्पेटिंग हो रहा है ।

श्री श्रीदास गोयल—अब तक क्या प्रोग्रेस हो पाई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी उम्मीद बंधी है कि वहां मिलेगा ।

श्री भैरोंसिंह—क्या मालपुरा में भी कोई खान निकली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं ।

राज श्री हिम्मतसिंह—क्या जिला कोटा, तहसील शाहबाद में भी कोई लोहे की खान है !

श्री भोगीलाल पंड्या—है, लेकिन कितनी मात्रा में है यह अभी पता नहीं चला है ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भोपालसिंह ।

प्रश्न संख्या ४१४

(दिनांक १० अप्रेल, १९५६ का प्रश्न)

थांवला (त० डेगाना) में मलबा की धनराशि बर्तन, चाय, सेट चारपाई इत्यादि के क्रम में व्यय

श्री जवानसिंह (श्री भोपालसिंह की ओर से)—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१] क्या थांवला तहसील डेगाणा में मलबा की रकम बर्तन, चाय, सेट, चारपाई वगैरह खरीदने में खर्च कर दी गई है ? यदि हां, तो किसकी मन्जूरी से ?

[श्री जवानसिंह]

(२) क्या तहसीलदार को इतनी रकम खर्च करने के अधिकार हैं ?

श्री हंसराज आर्य—माननीय उपाध्यक्ष, ८४३ के बाद ४१४ कैसे आगया ?

श्री उपाध्यक्ष—पोस्टपोन्ड केवश्चन्स हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(१) जी हां, इस सम्बन्ध में तहसीलदार ने किसकी स्वीकृति ली, पता नहीं।

(२) तहसीलदार को इस प्रकार खर्च करने का कोई अधिकार नहीं था और उसके खिलाफ कलेक्टर नागौर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री मानसिंह महार—क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जवाब तलब और उसके बाद चार्ज शीट वगैरह २।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि यह मामला गतवर्ष का है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां।

श्री मानसिंह महार—तो अब तक जवाब तलब नहीं हो सका ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब सरकार के यह बात नोटिस में आई तो जवाब तलब किया गया।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि शिकायत कलेक्टर को एक साल पहले की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—फिर जानकारी में क्या है ? यह तो बतायें कि शिकायत कलेक्टर को एक साल पहले की गई या नहीं, इससे सम्बन्धित है।

श्री दामोदरलाल व्यास—कलेक्टर के सामने यह मामला आया तब उसने जवाब तलब किया। तारीख का मुझे पता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री छीतरलाल।

प्रश्न संख्या ५००

(दिनांक १६ अप्रेल, १६५६ का प्रश्न)

तहसील छोटी सादड़ी (जिला चितौड़)में मवाई- जगपुरा ग्रामों के बीड़ की भूमि वन से राजस्व विभाग में लेना एवं महेन्द्र सिंह को एलोट होना

रावत श्री शंभूसिंह (श्री छीतरलाल शर्मा की ओर से)—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सन १९५३-५४ तक जिला चितौड़ की तहसील छोटी सादड़ी में मवाई जगपुरा नाम के एक बीड़ को भूमि इन हर दो ग्राम के क्षेत्र की वन विभाग में थी और वह कुल या कुछ भूमि राजस्व विभाग में ग्रो मोरफूड के सिलसिले में ले ली है ?

(२) क्या उक्त बीड़ की भूमि में साढ़े तीन सौ बीघा भूमि में १३ कुए और ५००-६०० के करीब फल देने वाले आम आदि के पेड़ स्थित थे ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त भूमि में से पौने दो सौ बीघा भूमि का एक हिस्सा महेन्द्रसिंह नामी नाबालिग लड़के के नाम पर सरकार से एलोट हुआ है ? यदि हां, तो किस साल में किन किन शर्तों पर ?

(४) क्या यह सच है कि श्री महेन्द्रसिंह नाबालिग, मन्त्री श्री अमृतलाल यादव के सुपुत्र हैं ?

(५) क्या उक्त भूमि को इस तहसील छोटी सादड़ी के आदिवासीगण एक काफी समय से काश्त-हेतु लेने की कोशिश सरकार से करते रहे हैं लेकिन इनको न देकर मंत्री के सुपुत्र के नाम एलोट की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(१) जी हां। आवश्यकतानुसार वन विभाग की भूमि काश्त के लिए दी जाती रही ।

(२) जी नहीं । सम्बन्धित जमीन में ३ खड्डे करीब पांच छः हाथ गहरे व एक कच्चा कुआ था तथा महुए के पेड़ होने की सूचना मिली है ।

(३) जी हां । वन विभाग द्वारा काश्त के लिए छोड़ी गई भूमि में से १०० एकड़ भूमि राजस्थान सरकार की विज्ञप्ति संख्या...

(अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, सुनाई नहीं दे रहा है।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) जी हां। आवश्यकतानुसार वन विभाग की भूमि काश्त के लिए दी जाती रही है।

(२) जी नहीं। सम्बन्धित जमीन में ३ खड्डे करीब पांच छः हाथ गहरे व एक कच्चा कुआ था तथा महुए के पेड़ होने की सूचना मिली है।

(३) जी हां। वन विभाग द्वारा काश्त के लिए छोड़ी गई भूमि में से १४.८.५३ को १०० एकड़ भूमि कलेक्टर चित्तौड़ ने महेन्द्रसिंह के नाम अलाट की।

(४) जी हां।

(५) वन विभाग से जो जमीन छोड़ी गई उसमें से महेन्द्रसिंह और अन्य को भी दी गई।

रावत श्री शंभूसिंह—अन्य किन किन को दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बहुत से लोग हैं, इस समय मेरे पास सूची नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—नाबालिग को किस आधार पर जमीन दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनका गार्जियन है उनको।

श्री भैरूंसिंह—दर्ख्वास्त गार्जियन की थी या नाबालिग की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—गार्जियन की ओर से थी।

श्री भैरोंसिंह—फिर नाबालिग को क्यों दी गई, गार्जियन को ही दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—चूंकि नाबालिग की ओर से गार्जियन की दर्ख्वास्त थी इसलिए दी गई।

श्री कंवरलाल जेलिया—महेन्द्रकुमार के पिता का नाम क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वन मंत्री, श्री अमृतलाल यादव।

श्री **मानसिंह महार**—फिर क्या वन मन्त्री ने ही अपने खुद के लड़कों को दिला दी ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**—कलेक्टर ने दी।

श्री **भैरूंसिंह**—क्या यह सही है कि वन विभाग की स्वीकृति से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यह जमीन ट्रान्सफर की गई ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**—जी नहीं।

श्री **श्रीदास गोयल**—क्या वन विभाग की जमीनें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रान्सफर हो जाती हैं ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**—जरूरत के माफिक भूमिहीन में भूमि वितरण के लिए वन विभाग जमीन ट्रान्सफर कर देता है।

श्री **भैरूंसिंह**—यह जमीन देने से पहले सरकार के समक्ष कितनी दर्ख्वास्तें आईं।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—यह अलग प्रश्न है और इसलिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री **भैरोंसिंह**:—इस जमीन को देने से पहले पब्लिक नोटिस दिया था या नहीं ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**:—यह ग्रो मोर फूड के सिलसिले में दी गई थी और उसमें पब्लिक नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं।

श्री **भैरोंसिंह**:—जिनको यह जमीन दी गई तो क्या वह पहले से काश्तकार थे ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**:—किसके लिए पूछ रहे हैं ?

श्री **भैरोंसिंह**:—महेन्द्रसिंह वल्द अमृतलाल यादव।

श्री **दामोदरलाल व्यास**:—ग्रो मोर फूड में इनकी आवश्यकता नहीं थी।

श्री **श्रीदास गोयल**:—माननीय मंत्री ने कहा कि भूमिहीन किसानों के लिए जमीन वन विभाग रेवेन्यू डिपार्ट को दे सकता है। लेकिन नियमों में यह कन्डीशन है कि केवल भूमिहीन किसानों को ही वह जमीन मिलेगी; क्या जिन लोगों को जमीन दी गई वे भूमिहीन किसान थे?

श्री **दामोदरलाल व्यास**:—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य सन् ५० से ५४ तक कितने कानून बने हैं, कितने नियम बने हैं उनका अध्ययन कर लें। ग्रो मोर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

फूड में यह लाजमी नहीं था कि भूमिहीन किसानों को ही वह जमीन दे। ग्रो मोर फूड में कोई भी आदमी आरजी काश्त की जमीन के लिए दे सकता है और दी गई। ५४ में नियम बने हैं। भूमि हीन किसानों के लिए नियम बना दिये कि वन विभाग की जमीन किन शर्तों पर दी जाती है। आज जो प्रथा है और तरीका है वह मैंने बता दिया। इनके लिए सर्कुलर हैं, नियम हैं, उनका अध्यायन करें।

श्री भैरोसिंह:—जो जमीन तकसीम की गई तो उसके लिए और भी दर्ख्वास्तें आयी थीं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास:—आई हैं और दूसरों को दी है।

श्री भैरोसिंह:—महेन्द्रसिंह को जो जमीन दी गई तो क्या उस सिलसिले में और कोई दरख्वास्तें आयी या नहीं आयी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वन विभाग की जमीन, काफी जमीन ली गई। महेन्द्रसिंह को १०० एकड़ जमीन दी गई है और बाकी लोगों को भी तकसीम की गई।

श्री भैरोंसिंह—इस सौ एकड़ जमीन के सम्बन्ध में महेन्द्रसिंह के अलावा और भी कोई किसी की दरख्वास्तें आयीं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री मानसिंह महार—३१ एकड के लिये नियम है, फिर १०० एकड कैसे दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने पहले ही अर्ज किया था कि ग्रो मोर फुड के सम्बन्ध में ऐसी कोई बन्दिश नहीं थी।

श्री भरोंसिंह महार— क्या ग्रो मोर फूड में गांव जितनी जमीन वक्शीश हो सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वक्शीश पुराने जमाने में होती थीं।

श्री भैरोंसिंह— क्या यह सही है कि पेड़ों का कोई मुवावजा नहीं लिया गया और मुफ्त में ही देदिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—महुए के पेड़ थे, मुवावजा लिया है।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि लोग अधिक देने के लिये तैयार थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

एक माननीय सदस्य—जिस वक्त जमीन दी गई उस वक्त बालक की क्या उम्र थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—इस वक्त क्या उम्र है।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्षजी, किन किन की उस जमीन के लिये दरख्वास्त थी, किन किन को अलॉट की गई, चूंकि आप (मंत्रीजी) जवाब नहीं दे सके हैं इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाय ?

श्री मानसिंह महार—१०० एकड जमीन में से कितनी जमीन काश्त पर उठी श्री महेन्द्रसिंह द्वारा।

श्री दामोदरलाल व्यास—अलग से पूछेंगे तो बता सकता हूं।

श्री मानसिंह महार—यह तो कोरिलेटेड हैं। ग्रो मोर फूड के अन्तर्गत जब जमीन दी गई, तो काश्त नहीं हुई तो फिर क्या ग्रो मोर फूड हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि ग्रो मोर फूड के सिलसिले में जमीन दी गई उनकी खातेदारी दर्ज हुई। किस साल में कितनी काश्त हुई, यह तो मैं जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री मानसिंह महार—अब तक वह पूरी जमीन काश्त हो चुकी है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह—क्या जिन लोगों को जमीन अलॉट की गई वे जयपुर में रहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, कार्यवश यहां रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह—जब जयपुर में रहते हैं तो क्या खाते लोगों को सबलेट करके यह जमीन रखी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नौकरों के जरिये, हालियों के जरिये से काश्त कराते हैं, सबलेट नहीं कर रखी है।

श्री भैंरोंसिंह—क्या यह सही है कि वे इसमें कोई पर्सनल मेन्युअल लेबर कॉंट्रिब्यूट नहीं करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह आवश्यक नहीं है कि ग्रो मोर फूड के लिये आदमी पर्सनल मेन्युअल लेबर ही करे।

श्री मानसिंह महार—मंत्रीजी ने अपने नाम से जमीन न लेकर अपने लड़के के नाम से क्यों ली ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मुझे पता नहीं।

श्री हिम्मतसिंह— महेन्द्रसिंह नाबालिग के अलावा क्या और भी किसी नाबालिग को ग्रो मोर फूड के लिये जमीन दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बहुतों को दी गई।

श्री भैंरूंसिंह—क्या यह सही है कि वहां पर एक आदमी के काश्त के लिये ३० बीघा जमीन काफी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कहां पर ?

श्री भैंरूंसिंह—जिस जगह यह जमीन दी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास—ग्रो मोर फूड के लिये यह आवश्यक नहीं था कि ३० बीघा जमीन ही दी जाती।

श्री भैंरूंसिंह—क्या यह सही है कि उक्त जमीन को एलोट कराने के लिए वहां के एक स्थानीय तहसीलदार का तबादला कराया गया और दूसरे तहसीलदार के आने पर जमीन एलोट की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह गलत है।

श्री श्रीदास गोयल— क्या यह सही है कि बाकी जमीन भी सरकारी कर्मचारियों को दी गई ?

श्री दामोदरलाल—जी नहीं, किसानों को दी गई।

श्री श्रीदास गोयल—आप उनके नाम बता सकते हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप अलग से पूछते तो बतला देता।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार उनको यह आदेश देगी कि अगर वे पर्सनल लेबर कॉंट्रिब्यूट नहीं करते हैं तो वे जमीन सरेन्डर कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री मानसिंह महार—क्या इससे यह ज्ञात हुआ है कि इसमें श्री अमृतलालजी यादव की बदनीयती थी?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह—क्या यह सही है कि उस जमीन का आधा हिस्सा पड़त पड़ा है?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह जानकारी मेरे पास नहीं है कि कितना हिस्सा पड़त पड़ा है। अगर अलग प्रश्न पूछते तो जानकारी करके बतला देता।

श्री भैरोंसिंह—क्या सरकार अपने बनाये हुए कानून के अनुसार दूसरे लोगों को उस जमीन पर कब्जा करने का आदेश देगी?

श्री दामोदरलाल व्यास—कौनसा कानून?

श्री भैरोंसिंह—फालो लेन्ड को कल्टिवेट करने के लिये जो कानून है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं उस कानून का नाम जानना चाहता हूं?

श्री भैरोंसिंह—लैंड युटिलाइज़ेशन एक्ट।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह कानून अभी एन्फोर्स नहीं हुआ है।

श्री शंभु सिंह—अभी मंत्रीजी ने यह जवाब दिया था कि इतने दरख्त उस जमीन पर हैं, यह किस ऑफिसर द्वारा जांच करवाई गई कि इतने दरख्त उस पर हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—जमीन एलोट हुई उस वक्त ही जांच करवाली गई थी।

श्री भैरोंसिंह—क्या मंत्रीजी को मालूम है कि लैंड युटिलाइज़ेशन एक्ट लागू हो चुका है?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि जिस समय वन विभाग से रेवेन्यू विभाग में यह जमीन ट्रान्सफर हुई उस समय संबंधित मंत्री वन विभाग के इन्चार्ज थे?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री भैंरूसिंह—पेड़ों का मुआवजा निर्धारित करने वाली कौन सी मशीनरी थी?

श्री दामोदरलाल व्यास—रेवेन्यु विभाग की मशीनरी; कलेक्टर।

श्री भैंरूसिंह—यह रिपोर्ट किस अधिकारी ने पेश की थी?

श्री दामोदरलाल व्यास—कलेक्टर चित्तोड़गढ़ ने।

श्री भैंरूसिंह—क्या यह सही है कि कलेक्टर की सिफारिश ने जितने मुआवजे की सिफारिश की थी उससे आधे से भी कम लिया गया?

श्री दामोदलाल व्यास—यह गलत है। सरकार तक तो आया ही नहीं। कलेक्टर ने ही तय कर दिया।

श्री भैंरूसिंह—इस रकम में से कितनी रकम बाकी है?

श्री दामोदरलाल व्यास—कुछ भी बाकी नहीं है।

श्री भैंरूसिंह—ये तीन खड्डे जो बताये उनसे क्या पानी की सिंचाई होती है?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री भैंरूसिंह—तो फिर खड्डे क्यों बनाये गये?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसी मकसद से बनाये होंगे, लेकिन पानी नहीं निकला।

श्री भैंरूसिंह—सबसे ज्यादा जमीन किसको एलोट की गई?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग प्रश्न है।

श्री शंभूसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल कनेक्टेड प्रश्न है। जब यह कहा गया कि इतने बीघा महेन्द्रकुमार को दी गई और इतनी दूसरों को; यह एक ही प्रश्न के मुतल्लिक सप्लीमेन्ट्री है तो उसका उत्तर देना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरा मतलब यह है कि सैकड़ों आदमियों को जमीन दी गई है। इसलिये किस आदमी के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका अलग प्रश्न पूछें तो उसके बारे में जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री शंभुसिंह—क्या यह सही है कि इस जमीन को एलोट कर देने के बाद भूख-हड़ताल और सत्याग्रह हुआ था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरी जानकारी में यह बात नहीं है, आप जानकारी दे रहे हैं ?

श्री भैंरूंसिंह—क्या इस बात की जांच हुई और यह कहा गया कि यह अवैधानिक रूप से एलोट की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास-मैंने कहा न कि मेरी जानकारी में नहीं है, आप सूचना दे रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—क्या एम. एल. एज़ के नाबालिक बच्चों को भी जमीन दी जायगी या केवल मंत्रियों के बच्चों को ही दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कानून सबके लिये एक है।

श्री मानसिंह महार—मेरा प्रश्न यह है कि क्या एम. एल. एज़ के बच्चों को भी इस तरह से जमीन दी जायगी या केवल मंत्रियों के बच्चों को दी जायगी। आप घबराइये मत, जवाब साफ दीजिये। यह साबित हो चुका है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जवाब दिया कि कानून सबके लिये एक सा है।

श्री भैंरूंसिंह—पर्चा गिरदावरी किसके नाम से बनाया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—महेन्द्रकुमार के नाम से।

श्री भैंरूंसिंह—जब वह काश्त नहीं करता तो पर्चा कैसे बनाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने जवाब दे दिया है कि आदमियों के जरिये काश्त कराते हैं।

श्री भैंरूंसिंह—क्या यह सही है कि इसको सब लेट किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह गलत है।

श्री भैंरूंसिंह—आपका कहना है, कि सब-लेट नहीं किया है तो क्या जमीन बिना काश्त के पड़ी है ?

श्री उपाध्यक्ष—अभी बतला तो दिया था।

श्री मानसिंह महार—क्या खेती ट्रेक्टर से होती है ?

श्री उपाध्यक्ष—नेक्स्ट क्वश्चन।

प्रश्न संख्या ५२२

(१७ अप्रेल, १९५६ का प्रश्न)

रामगढ़ जिला बूंदी के मीणों को जागीर का मुआवजा

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि रामगढ़, जिला बूंदी के मीणों को जागीर के मुआवजे की रकम सालाना मिलती रही है ? यदि हां, तो कितनी और कौन से साल तक मिली।

(ख) उपरोक्त रकम किस आदेश से बन्द की गई है ?

(ग) क्या मीणों की ओर से जागीर कमिश्नर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) जी हां उनको पहले ३५० रु. वार्षिक मिलते थे। फिर बूंदी रियासत की आज्ञा से २२ मई, ४६ से ५०० वार्षिक १.५.४८ तक मिलते रहे।

(ख) भूतपूर्व राजस्थान, उदयपुर की आज्ञा से यह रकम बंद करदी गई।

(३) जी हां। इस पर कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरूसिंह—यह रकम बंद क्यों करदी गई ?

श्री दामोदर लाल व्यास—मीणा लोग पहले शिकार में काम किया करते थे पर बाद में उस काम की आवश्यकता नहीं थी। इसलिये बंद करदी गई।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि रामगढ़ गांव जागरू में था।

श्री दामोदरलाल व्यास-जी नहीं।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि जागीर के महकमें से रकम मिलती थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—महज इसलिए कि शिकार में मदद करते थे।

Page No 41

महाराज श्री केसरीसिंह—शिकार में मदद करते थे तो शिकारखाने से मिलनी चाहिये थी न कि जागीर विभाग से।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह प्रश्न दूसरा है कि कौनसे विभाग से मिलती थी पर शिकार में मदद करने के लिये मिलती थी और अब उसकी आवश्यकता नहीं हैं इसलिये बन्द करदी गई।

महाराजा श्री केसरीसिंह—किस आधार पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सरकारी रेकार्ड के आधार पर।

श्री मानसिंह महार—क्या यह जागीर पुश्तेनी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं। ये रुपये नकद में मिलते थे। पहले ३५० रु० मिलते थे फिर ५०० मिलने लगे।

श्री मानसिंह महार—पुश्तेनी जागीर थी या नौकरी के तौर पर ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नौकरी के तौर पर।

श्री मानसिंह महार—क्या यह सच है कि जागीर चली गई इसलिये ३५० और ५०० रु० मिलने लगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या जानकारी प्राप्त करके उपयुक्त हुक्म देने की कृपा करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी आवश्यकता नहीं है जब कि यह मालुम है कि यह सिर्फ खिदमत के तौर पर थी और अब उस खिदमत की जरूरत नहीं है।

श्री मानसिंह महार—यह कहा जाता है कि जागीर थी या नहीं इसकी जानकारी नहीं है तो कैश में क्यों दी जाती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—किसी जमाने में होगी लेकिन सन् ४६ से नकद में रुपये मिलते हैं और बाद में खिदमत की जरुरत नहीं रहे, इसलिये बंद करदी गई।

महाराज श्री केसरीसिंह—सरकार ने यह अलाउन्स बंद कर दिया लेकिन क्या इसका मुआवजा दिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नौकरी के रुप में दी जाती थी। अब नौकरी की जरुरत नहीं है इसलिये बन्द कर दिया गया। मुआवजे का कोई सवाल नहीं है।

महाराज श्री केसरीसिंह—यह नौकरी नहीं जागीर का मुआवजा था।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह आपकी राय है।

महाराज श्री केसरी सिंह—यह हकीकत है।

राज श्री हिम्मत सिंह—यह मुआवजा कितने आदमियों को मिलता था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—५०० रु० साल मिलता था।

राज श्री हिम्मतसिंह—कितने मीणों को ?

श्री दामोदर लाल व्यास—जितने भी थे।

राज श्री हिम्मतसिंह—एक खानदान को मिलते थे या सब को ?

श्री दामोदर लाल व्यास—इस बारे में मेरी जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या ७८३

(३ मई, १९५६ के प्रश्न सम्बन्धी)

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—उपाध्यक्ष महोदय, महाराज श्री केसरीसिंह ने एक प्रश्न पूछा था उसकी लिस्ट नहीं आई थी इसलिये प्रश्न नहीं पूछ सके थे। अब लिस्ट भेज दी गई है। वे उस पर अगर और प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया था। लिस्ट आपके पास पहुँच चुकी है। उसके आधार पर और प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।

महाराज श्री केसरी सिंह—लिस्ट मेरे पास अभी पहुँची है। क्या इन्सपेक्टर बराबर स्कूल का मुआयना करते रहते हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—समय समय पर करते रहते हैं, यह उनकी ड्यूटी है।

महाराज श्री केसरी सिंह—क्या उनकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—लिस्ट मेरे पास अभी है नहीं, नहीं तो रख देती।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या मंगाकर रखी जायगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यदि समय पर आगई तो रखी जा सकेगी।

महाराज श्री केशरीसिंह – क्या यह सही है कि जो ६ लडकियों बताई हैं उसमें वास्तव में ६ नहीं हैं रोज दो पढ़ने आती है और मास्टर एक पढ़ाने आते हैं ?

श्री मती कमलाकुमारी बेनीवाल – मेरे पास जो रिपोर्ट है यह जानकारी के बाद दी गई है फिर भी अगर जानकारी कम पड़ती है तो जानकारी की जायगी।

महाराज श्री केसरीसिंह – यह रेकार्ड एडमिशन का है या हाजिरी का ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल -- रोल पर जितने आते हैं उनका है।

महाराज श्री केसरीसिंह – क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाजिरी कुल कितनों की है ?

श्री मती कमलाकुमारी बेनीवाल – यह प्रश्न अलग है कितने हाजिर होते हैं, कितने एबसेन्ट रहते हैं और कितने ओन रोल हैं, वह अलग से पूछने पर बताया जा सकता है।

महाराज श्री केशरीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, एक पोस्टपोन्ड क्वश्चन था ७८३ नं० ५१, कृषि विभाग द्वारा सोमवार को उसका उत्तर दिया जाने को था।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं दे दूं उत्तर उसका।

क)
ख)
ग) उत्तर आपके पास भेजा जा चुका है।
घ)

श्री महाराज केसरीसिंह—तालिका, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं आई है।

श्री भोगीलाल पण्ड्या—टेबिल पर रख दी गई है आप देख लें।

(तालिका हेतु ३ मई के कार्य विवरण का परिशिष्ट २ देखिये)

श्री महाराज केसरीसिंह—तालिका मुझ को देने का आश्वासन दिया गया था।

श्री भोगीलाल पंड्या—देने के आश्वासन के माने सदन की टेबल पर रखने के हैं। अगर आप सप्लीमेंटरी पूछना चाहें तो एक प्रति आपको दे सकता हूँ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री उपाध्यक्ष—निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो उनके नाम के आगे निर्देशित है अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है :

१. राजा श्री मानसिंह दिनांक ३।५।५६ से २०।५।५६ तक।

२. श्री अर्जुनसिंह दिनांक १४।४।५६ से सत्र के अन्त तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय

(स्वीकृत)

आज्ञा दी जाती है।

(विराम)

श्री बद्रीप्रसाद।

राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता:—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने के की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष:—क्या सदन की अनुमति है कि यह विधेयक पर पुरःस्थापित किया जावे।

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने अनुमति दी गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता:—उपाध्यक्ष महोदय, मैं उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४

(अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श)

श्री उपाध्यक्ष:—अभी राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज बिल का चेप्टर १३ पेन्डिंग है। इसके संशोधन सर्कुलेट हो रहे हैं तो शायद सदन के सदस्य चाहेंगे कि कुछ समय उसके लिये मिले। तब तक श्री दामोदर लाल व्यास बिल मूव करेंगे।

श्री भैरोंसिंह:—उपाध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपलिटीज बिल को ही लिया जाय। अमेंडमेंट्स मूव करने वाले पढ़ लेंगे और बोल लेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता:—मैं ही मूव कर रहा हूं, साइक्लोस्टाइल के लिए भेज दिये हैं, अभी आ जायें, तब तक इसे ले लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह:—संशोधन यह तकसीम हो रहे हैं न स

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह टिनेन्सी के तकसीम हो रहे हैं, तब तक यह ले लें।

राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९५६ (विचार विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मोशन मूव्ड।

श्री भैरूंसिंह (दांतारामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९५६ के विषय में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। अपने इस प्रस्ताव के पक्ष में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में दिए हुए उद्देश्य व कारणों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा है :

"राजस्थान भूदान यज्ञ एक्ट १९५४ (राजस्थान एक्ट १६ आफ १९५४) को कार्यान्वित करने में कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड की प्रेरणा पर यह प्रस्ताव किया गया है कि उन कठिनाइयों के निवारणार्थ तथा दान की हुई भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही को सुगम बनाने तथा आचार्य विनोबा भावे की योजनानुसार भूमि के वितरण किये जाने के प्रयोजनार्थ एक्ट में संशोधन किया जाय। अतः यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।"

जहां तक इस संशोधन विधेयक का प्रश्न है, वह इसके पहले लागू करने में अब तक जो कठिनाइयां हमारे समक्ष आई हैं उनको लेकर संशोधन आवश्यक समझा गया है। माननीय उपाध्यक्ष, अवश्य यह इससे पता नहीं लगता कि कठिनाइयां किस प्रकार की हैं, बल्कि जिन धाराओं में संशोधन किये गए हैं उन धाराओं से ऐसा लगता है कि जिन कठिनाइयों को दूर करने की चेष्टा की है, वे कठिनाइयां दूर तो अवश्य नहीं होंगी लेकिन ज्यादा बढ़ेंगी।

इस संशोधन विधेयक की एक धारा में यह व्यवस्था की है कि धारा १५ के भाग (१) और (२) हैं, उनमें से भाग (२) के स्थान पर एक नई व्यवस्था की जाय और इस व्यवस्था के आधार पर यदि किसी तहसीलदार को भूदान डिक्लेरेशन की सूचना मिलती है तो वह तहसीलदार रेकर्ड ओफ

Page No 46

[श्री भैरूसिंह]

राइट्स में उसकी एन्ट्रीज़ से एसटेन करेगा और यदि उसी प्रकार की एन्ट्रीज़ मिल जाती हैं तो वह उस आधार पर वह भूदान यज्ञ बोर्ड को, उस जमीन को किसी भूमिहीन व्यक्ति को देने के लिए लिखेगा। यदि इसमें किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उसके लिये भी बोर्ड को उसकी सूचना देगा। धारा १५ में जो पहले व्यवस्था थी, वह इस प्रकार थी कि यदि कोई डिक्लेरेशन भूदान यज्ञ में जमीन देने के सम्बन्ध में तहसीलदार के समक्ष आता है तो वह तहसीलदार उसकी इन्क्वायरी करेगा : with regard to title, right and entries.

और इसके बाद में वह इस निर्णय पर पहुंचेगा कि जिस जमीन के लिए यह डिक्लेरेशन पेश किया गया है उसके विषय में जिसने डिक्लेरेशन पेश किया है उसका उस जमीन पर कब्जा है कि नहीं, वह उस जमीन को ट्रान्सफर करवा सकता है कि नहीं, उसका उस जमीन पर कितना अधिकार है, इन सब चीजों की जांच करने के बाद वह तहसीलदार बोर्ड को सूचित करेगा। पर इस संशोधन को लाकर इस इन्क्वायरी को सीमित कर दिया गया है। लैंड रेकर्ड में उस डिक्लेरेशन के मुताबिक है कि नहीं, बस इसी बात की जांच करेगा। कहने को कहा जा सकता है कि इसके कारण काम में सुगमता होगी और लोगों में जमीन तकसीम करने के बारे में भूदान की तरफ से ताकीद की जा सकेगी, पर इसके विपरीत देखेंगे तो पता लगेगा कि भूदान बोर्ड लोगों को दान देने की प्रेरणा करता है अगर आज कल जमीन पर जो प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए लोगों में स्वतः इच्छा हो, ऐसा नहीं होने पर भी भूदान की वजह से एक वातावरण का निर्माण हुआ है। पर इसके लिए जितने आंकड़े लोगों ने अलग अलग समझ कर अपनी विशेष कमेंटी दी है उनको देखने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि लोगों पर जो व्यक्ति जमीन लेने के लिए आते हैं उनकी पर्सनेलिटी के ऊपर सारा मामला डिपेन्ट करता है।

यदि भूदान के लिये कोई मामूली आदमी जाता है जिसका कोई व्यक्ति पर प्रभाव नहीं होता तो उसको भूदान में कोई जमीन नहीं मिलती और इसलिये उसकी प्राप्ति के लिये कोई बड़ा नेता या मिनिस्टर जाता है, जिसका उस व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव हो, उसे जमीन वा खुश करने के लिये जमीन भूदान में देने की चेष्टा करता है। ऐसी सूरत में हमें यह मानना पड़ेगा कि जो यह चीज त्याग की प्रेरणा से चलाई गई है उसका मक्सद पूरा नहीं होता। अधिकतर लोग आनेवाले नेता या मिनिस्टर के स्वागत में उनको खुश करने के लिये भूदान में जमीन देते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आज तक जितनी जमीन भूदान में लोगों से प्राप्त हुई है उसकी केटेगरी या सोइल की जांच करावें तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार की जमीन भूदान में मिली है। आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह सारी की सारी जमीन जो भूदान में दी गई है, वह बिल्कुल बेकार है जिसमें या तो घास होता था या मवेशियों

[श्री भैंरूसिंह]

की चराई के लिये गोचर छोडी हुई थी। ये जमीनें जो नेता या मिनिस्टर आते हैं उनको खुश करने के लिये दी जाती हैं। ये जमीनें या तो गांव को पड़त जमीन होती हैं या मवेशियों के चराई की जमीन होती है। इस संबन्ध में भूदान यज्ञ बोर्ड में कई शिकायतें आईं और इसकी जांच भी हुई है और जांच होने के बाद गोचर भूमी महसूस करके भूदान यज्ञ बोर्ड ने उसको वापिस गोचर के लिये दे दी। ऐसी सूरत में हमको सोचना होगा कि जमीन को देनेवालों को अधिकार है या नहीं और इस जांच को सीमित बनायें या नहीं। जो जमीन त्याग के रूप में दी जाती है उस जमीन का हाल मैंने आपको ऊपर बताया, फिर त्याग की क्या भावना होती है ? लोग यह देखते हैं कि यह जमीन हमारे किसी काम की नहीं, वह जमीन भूदान यज्ञ में दी जाती है। इसलिये इन्क्वायरी की कार्यवाही को हमें सीमित नहीं करना चाहिये। यह लैंड रेकार्ड को देखने से ही पता चलता है कि फलां नम्बर की जमीन रेकार्ड ओफ राइट में फलां व्यक्ति के नाम है। यदि है तो उससे हमारी इन्क्वायरी विशेष प्रकार से सीमित हो जायेगी कि उस जमीन पर उसको अधिकार है या नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष, अभी अभी जागीर रिजम्प्शन हुआ और सेटलमेंट हुआ। इसमें कई दफा देखने में आया कि पड़त भूमि गांव को मकबूजा लिखी होती है। उसमें मवेशी चरते हैं और वह सार्वजनिक उपयोग के काम में ली जाती है और उसी लिए वह जमीन होती है। इस प्रकार की जमीन का जागीरदार या कोई भी दूसरा व्यक्ति मालिक है, भूदान में दे देता है। वह यह जानता है कि इसकी इन्क्वायरी तो होगी नहीं और राइट ओफ रेकर्ड में मेरा नाम लिखा है ही और जब वह वेरिफाई होगा उस समय उसकी तस्दीक हो जावेगी। ऐसी सूरत में हम भूदान यज्ञ को मुगालता देंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इन्क्वायरी को सीमित करने का कोई प्रोविजन नहीं रखना चाहिये और मैं चाहूँगा कि इस इन्क्वायरी को दूसरे प्रकार से सार्वजनिक बनाई जावे ऐसी चेष्टा करें। इसके लिए यदि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावेगा तो इस पर वहां पर विचार हो सकेगा।

आगे इसकी क्लॉज़ २५ में संशोधन होने वाला है और उसमें लिखा है :

"If any holder of Bhoodan land commits a breach of any of the condition from (a) to (f) in section 24, he will, on the application of the board be liable to ejectment under section 135 or section 177 as the case may be of the Rajasthan Tenancy Act, 1955." माननीय उपाध्यक्ष, यह एक दूसरी अड़चन पैदा हुई है। यदि हमने धारा २४ में कुछ शरायतें मुकर्रर की हैं कि जिस व्यक्ति को भूदान की जमीन दी जावेगी उसको इस प्रकार की शरायतों का पालन करना पड़ेगा और यदि वह उन शरायतों का पालन नहीं करता है तो उसको इजेक्ट कर दिया जावेगा। लेकिन यहां पर हम इस पर भी विशेष

[श्री भैंरूसिंह]

प्रकार की सीमा डाल रहे हैं .. he will, on the application of the board..." यदि बोर्ड इस बात की दरख्वास्त देता है कि जिस काम के लिए वह जमीन दी गई थी वह जमीन उस काम में नहीं आ रही है और शरायतों की तामील नहीं हो रही है तो तहसीलदार इस बात का कॉगनीजेन्स लेकर प्रबन्ध कर सकेगा। मैं यह कहूँगा कि इस प्रकार का प्रोविज़न रख कर उन लोगों को खुली छूट देना है जिनको इस प्रकार की जमीनें मिली हुई हैं। होना तो यह हैं चाहिए कि जिस व्यक्ति को जिस शरायत पर जमीन भूदान की दी गई है यदि वह शरायतों का पालन नहीं करता है तो तहसीलदार स्वयं उसको बेदखल करने की कोशिश करे और बोर्ड से दरख्वास्त आने का इन्तजार नहीं करे। हो सकता है कि यह सारी चीज़ बोर्ड के नोटिस में नहीं हो। जमीन के लगान, गांव के बारे में, जमीन पड़त नहीं रहे आदि के बारे में जितनी जानकारी तहसीलदार को होती है उतनी जानकारी बोर्ड को नहीं होती। इसलिए बोर्ड की सूचना आने पर तहसीलदार कोई कार्यवाही करेगा यह तो उचित नहीं है। अगर तहसीलदार के नोटिस में इस प्रकार की बात आए या शिकायत आए कि फलां व्यक्ति शिरायतों का पालन नहीं करता है तो वह उसको बेदखल कर सकता है। क्योंकि तहसीलदार ही उसको बेदखल करेगा बोर्ड तो करेगा नहीं। बोर्ड तो कोई गवर्नमेंट नहीं। उसके पास कोई गवर्नमेंट मशीनरी नहीं है, यह तो एक ऐसा बोर्ड है जिसमें राजनैतिक दल के लोग रहते हैं यदि हम उनसे यह चाहें कि वे हमको बतावें कि फलां व्यक्ति शरायतों का पालन नहीं कर रहा है तो यह नामुमकिन सी बात है। यदि हम ऐसा करेंगे तो मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि अन्तरिम काल में जो जमीन के बारे में हम व्यवस्था करनी चाहेंगे नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इन दोनों बातों के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह बिल्कुल बेकार है।

अब यह आवश्यक है कि भूदान में जितनी जमीन दी जावे उसकी व्यवस्था अच्छी तरह से हो। यदि व्यवस्था ठीक तरह से करनी है तो वह इससे नहीं हो सकती। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जावे तो यह इसको ज्यादा अच्छा और सुगम बना सकेगा

मैं यह निवेदन करूंगा कि भूदान यज्ञ के बारे में इन्क्वायरी होनी चाहिए। इसके अलावा पड़तल जमीन की बात को लेकर लोगों में भूमि से प्रेम छोड़ने की, भूमि को समाज की होने की प्रेरणा देने को जा रहे हैं वह बात नहीं होगी और वह विकसित धारणा पैदा होती है। हम लोगों को महज खुश करने के लिये पड़तल जमीन जो बेकार होती है, दे देते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिए कोई एडजस्टमेंट कर सकें, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाना चाहिये बस इतना ही निवेदन करके मैं यह चाहूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में प्रसारित किया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, हमारे समक्ष राजस्थान भूदान (एमेन्डमेंट) बिल प्रस्तुत हुआ है। मैं, मेरे दांता रामगढ़ से आये हुए मित्र ने जो इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने की बात कही है, उसका समर्थन करता हूं।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

माननीय उपाध्यक्षजी, यह बात सर्व विदित है कि आज के जमाने में जिस प्रकार से भूदान ने प्रगति की है वह सब जानते हैं। हम मानते हैं और सब लोग इस बात को जानते भी हैं कि जितनी इस काम को प्रायोरिटी मिली है उतना ठोस काम कतई इसमें नहीं हुआ है।

यह कह देने से कुछ नहीं होता कि अमुक प्रान्त में इतनी लाख एकड़ भूमि भूदान में प्राप्त हुई है। हमें तो वास्तविकता की ओर जाना है। हमको यह देखना है कि भूदान का उद्देश्य क्या है ? क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है ? आज अभी अभी उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले हमारे ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी के जरनल सेक्रेटरी भूदान के सिलसिले में किशनगढ और अजमेर तशरीफ लाये। उस समय उनके दौरे के सिलसिले में उनको भूदान में जमीन मिली। उस सिलसिले में जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है वह इतना कोम्पलीकेटेड है, वह हम जानते हैं कि उस काम में कितनी गड़बड़ियां हुई। श्री मन को इस प्रकार काम राजस्थान सरकार ने कराकर दिया हो या अजमेर सरकार ने मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं यह मानकर चलता हूं कि भूदान के सिलसिले में जो कुछ आज बातें हो रही हैं वे बातें ही हमें बताती है कि किस प्रकार से भूदान के नाम पर गावों में जमीन ली जाती है

श्री दामोदरलाल व्यास [राजस्व मंत्री]— आप अपने को अमेन्डमेन्ट तक कनफाइन करें। यह जो प्रोसीजरल अमेन्डमेन्ट है उसमें आपको क्या दिक्कत है वह बतायें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मानसिंह महार (जारी रखते हुए)— माननीय मंत्री जरा गला साफ कराकर आयें, वे क्या बोले सुनाई नहीं दिया लेकिन इतना उनको भी जान लेना चाहिये कि मैं भी कुछ अंग्रेजी भाषा की जानकारी रखता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो यह कहा जाता है कि प्रोसीजरल अमेन्डमेन्ट है उसके लिये मेरा यह मानना है कि यह बहुत ही घातक अमेन्डमेन्ट है उपाध्यक्ष महोदय और मैं इसी पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष— सारे बिल पर बोलने की बात नहीं।

श्री मानसिंह महार— उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे पर नहीं बोल रहा हूं। इसको सिलेक्ट कमेटी में क्यों रेफर किया जाय दो चार मिसालें दे रहा हूं, और कोई बात नहीं।

माननीय मंत्रीजी ने यह फरमाया, उतनी अंग्रेजी भाषा मैं भी समझता हूं कि प्रोसीजरल क्या डिफिकल्टी आती है क्या नहीं आती है। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जो बातें इस अमेन्डमेन्ट के अन्दर रखी गई हैं वे बातें वैसी नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, जैसी की आसान माननीय मंत्रीजी

[श्री मानसिंह महार]

समझते हैं। हम आज यह समझते हैं कि भूदान के कारण गांवों में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि भूदान के अन्दर जागीरदार लोग अपनी जमीनें दे देते हैं वे ऐसी जमीनें देते हैं कि जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है। गांवों के अन्दर ऐसा होता है कई जागीरी इलाकों में ऐसा लिखा जाता है, मुकाबिज ठिकाने वहां गांवों के मवेशी चरा करते हैं। जिस वक्त में ये मुकाबिज ठिकाने लिखे जाते थे उस समय आज की जितनी गांवों में चेतना नहीं थी आज की जितनी जागृती नहीं थी। लेकिन आज देखा यह गया है कि गांवों में जो इस प्रकार की मुकाबिज जमीन थी उनको भूदान में दे दिया गया, खुद की शोहरत के लिये कुछ लोगों को खुश करने के लिये वे लोग इस प्रकार की जमीनों का दानपत्र भर देते हैं। सही तरीके से यदि रेकार्ड आफ राइट्स को देखा जाय तो ऐसी काफी जमीनें मिलेगी जो मुकाबिज ठिकाने में कही जा सकती हैं। देखने में तो यह बात सही दिखाई देती है किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत होती है। वास्तविकता यह होती है, जो गांव की गोचर भूमि होती है वह भूदान में सम्मिलित कर दी जाती है और उस भूमि के विपरित हो जाने के बाद बेचारे गांव वालों के लिये गोचर भूमि नहीं रहती। ऐसी सूरत में जो डिफीकल्टीज़ आज कल ग्रामीण क्षेत्र में इससे व्याप्त हो रही हैं उसकी और हमारी सरकार और माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं है। यह बात मैं भी समझता हूं जो हमारे मंत्री जी ने यह कहा कि इसे प्रोसीजरल अमेंडमेन्ट फरमाया है मैं समझता हूं कि इसनें बड़ी बड़ी मुश्किलें हमारे सामने है। ऐसी स्थिति के अन्दर में यह समझता हूं कि यह प्रोसीजरल डिफीकल्टीज जो कई दिनों से चली आ रही हैं, जो आजतक हमें तजुर्बा हुआ है उसके आधार पर मैं यह कह रहा हूं। मंत्रीजी को तजुर्बा है फिर भी उनका तजुर्बा इतना परिपक्व नहीं, उनके तजुर्बे में बहुत खामी है...

श्री अध्यक्ष—आप अमेन्डमेन्ट पर ही कहिये।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की की कई बातें हैं उनके लिये हमें सोचना पड़ेगा। इसके अन्दर और कोई बातें हैं जिन धाराओं में मैं यह अमेन्डमेन्ट आया है, मैं यह समझता हूं कि इजेक्टमेन्ट Of holder of Bhoodan land on breach of conditions, जो धारा २५ है उसनेंसबस्टीटयूशन हुवाहै उसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है उपाध्यक्ष महोदय, इस इजेक्टमेन्ट धारा के अन्दर यह लिखा है कि "औन दी एप्लीकेशन आफ दी बोर्ड", इसका मैं सख्त विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमको देखना यह है कि आज सरकार एक कानून बनाती है उस कानून को अमल में लाने के लिये जो मशीनरी इवोल्व की जाती है वह मशीनरी क्या है? उस धारा २४ को अमल में लाने के लिये कहा जाता है कि भूदान बोर्ड दरख्वास्त इजेक्टमेन्ट की दी जाय मैं इसे गलत मानता हूं। मैं समझता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, आज जो भूदान बोर्ड बना हुआ है उसमें जो सदस्य हैं वे सारी विचारधाराओं को रिप्रेजेन्ट नहीं करते हैं, वे एक विचारधारा और एक मत को रिप्रेज़ेन्ट करते हैं। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार के बोर्ड

[श्री मानसिंह महार]

को इस प्रकार के अधिकार देने में हम कैसे सहमत हो सकते हैं? इस धारा २५ के संबन्ध में किसी की दो ओपीनियन नहीं हो सकती......

श्री उपाध्यक्ष—जब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिसकशन हो तब ये बातें कह सकते हैं।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ २५ का विरोध कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल टू दी पोइन्ट बोल रहा हूं। भूदान का जो बोर्ड है वह एक पार्टी विशेष का बोर्ड है। अगर उसमें सब पार्टियों का समावेश होता है और सरकार यदि उस प्रकार का अमेन्डमेन्ट लाती तो हम पसन्द करते और उस पर गौर करते। लेकिन एक पार्टी विशेष के लिए जो कानून सरकार बना रही है, इजेक्टमेन्ट करने का अधिकार दे रही है वह उचित बात मैं नहीं मानता, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष—कानून तो बना हुआ है।

श्री मानसिंह महार—वह तो गलत है। वह कानून बहुत गलत है, वह तो इस प्रकार की बात हुई कि जिस समय रूस के अन्दर स्टालिन का जमाना था उस जमाने मेंउसने जिस नीति का अनुसरण किया, आज हम उसका रिपर्कशन देख रहे हैं। स्टालिन के स्वर्गवास के बाद उन्हीं की पार्टी के लोग यह कहते हैं कि स्टालिन ने बहुत अन्याय किया, झगड़े किये। आज आपकी इस प्रकार की विचार धारा हो सकती है। मैं यह मानता हूं कि भूदान बहुत अच्छा काम है इसे मैं यह समझता हूं कि आप बहुत कटुता पैदा कर रहे हैं। हम इस बात के लिए तैयार नहीं कि आज जो एक पार्टी विशेष का में जो काम है जिसे हम पार्टी प्रोग्राम के रूप में मान सकते हैं, किन्तु हम इस प्रकार के क्लॉज़ २५ में जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है उसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इन धाराओं में जो इजेक्टमेन्ट का प्रोवीजन है वह बहुत खतरनाक रखा है। यह उसके लिए जायज होगी जो जमीनें भूदान के लिए दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि भूदान सम्बन्धी जो भी कार्यवाही की जाय वह बहुत सोच समझ कर की जानी चाहिए। ऐसी कार्यवाही न करें जो आगे जाकर कुछ लोग यह कहें कि भूदान एक ढकोसला मात्र है, उसको केवल पब्लिसीटी ही मिली। मैं जानता हूं और मिसालें मौजूद है कि जब भूदान की टोलियां गांवों में जाती हैं और जिसको पब्लिसिटी दी जाती है कि अमुक गांव में २५ बीघा जमीन दी गई। जो २५ बीघा भूदान में दी गई उसको किस प्रकार वितरित किया जाता है उस ओर ध्यान देंगे तो इमें मालूम होगा कि एक घर में तीन भाई हैं, उनके पास जो जमीन है उसके तीन टुकड़े होते हैं। पर क्या किया जाता है कि भूदान में दिखाने के लिए क्योंकि वह जमीन एक आदमी के नाम होती है, एक आदमी जानता है कि तीन हिस्से उसके करने पड़ेंगे तो उसके दो हिस्से भूदान में दान करके वहां के वहां वे दो हिस्से अपने दो छोटे भाइयों को बटवा देता है। कहने को होगया कि उसने २५ बीघा का भूदान किया। पर वह तो दूसरों का, उसके दो छोटे भाइयों का हक था, जिस पर झगड़ा होने को था उसको उसने भूदान में देकर उनको दिलवा दिया। तो इसमें भूदान क्या हुआ? यह तो उनकी रोटी थी। यह तो पब्लिसिटी के लिए था,

[श्री मानसिंह महार]

ढकोसला था। इन बातों पर सही दिल और दिमाग से सोचने के लिए इसको अगर सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया जावे तो यह बहुत ही उचित बात होगी और मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर जरूर ध्यान दें। यहां कोई ऐसी बात नहीं कि आज ही पास कर दी जावे। अगर आपको बहुत जल्दी है तो ऐसी कैद लगा दी जावे कि चार, पांच या आठ रोज में रिपोर्ट तैयार हो जावे और इसी सेशन में आ जावे। इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। पर इसमें इस तरह की जो खामियां हैं और खास कर जागीर पुनर्ग्रहण के कारण इसमें और जो नई बातें पैदा हो गई हैं, उसके लिए इसमें ऑल्टरेशन और एडीशन भी करने होंगे, इसलिए दांता रामगढ़ से आने वाले सदस्य ने जो प्रस्ताव है उसका एक मत से आप सब समर्थन करें।

रावराजा श्री सरदारसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं श्री भैरूंसिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने को खड़ा हुआ हूं। अगर ऐसा हुआ तो जो डिफिकल्टीज आज हम महसूस कर रहे हैं वह इसमें रह जावेंगी और दूसरे अच्छे अच्छे सुझाव और इसमें आ सकते हैं जिनसे भूमि वितरण में और भी जो गड़बड़ियां हो रही हैं वे भी दुरुस्त हो सकेंगी। मिसाल के तौर पर माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी का भी ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि मैंने भी दो हजार बीघा भूमि इस भूदान में दी है। शायद मंत्रीजी की भी जानकारी में यह होगा और यह जानकर दी है कि भूमिहीनों को यह भूमि तकसीम की जावेगी। लेकिन माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह अर्से से देख रहा हूँ कि जो भूमिहीन हैं उनको नहीं दी जाकर उस भूमिहीन का मतलब कुछ दूसरा ही निकाला जा रहा है। भूमिहीन का मतलब मैं जो निकाल सकता हूँ कि इसमें कोई जाति विशेष की भावना नहीं होनी चाहिये। पर मैंने जो जमीन दी है वह एक ही एक जाति वालों को दी जा रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास—यहां इसका सम्बन्ध नहीं है, आप इर्रिलेवेन्ट कह रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—मेरे कहने का मतलब यह है कि और भी जो जो इस तरह की डिफिकल्टीज मालूम होती हैं तो उनको भी दूर करने के लिए सिलेक्ट कमेटी में जाना इसका जरूरी है, इसके लिये अच्छे सुझाव आ सकते हैं। इसलिये मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। इसमें आपको क्यों आपत्ति आ रही है? मैं तो यह भी कह रहा हूँ कि आपके मालपुरा में भी भूमि न हो तो उनको भी मिल सकती है। यह तो अच्छा है। मैं तो यह अर्ज करने को खड़ा हुआ हूँ कि भूमिहीन राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, महाजन भी है, चमार, कोली आदि भी हैं, सभी हैं पर होना वह भूमिहीन चाहिये, फिर किसी जाति का हो। यह नहीं होना चाहिये कि चमार ही चमार को और अपने पार्टीवालों को पार्टी के हित में दे। रामराज्य की पार्टी के भी हैं, जनसंघ की पार्टी के हैं, कई और पार्टी के भी हैं तो वहां पार्टीबन्दी की नजर से नहीं देखा जाना चाहिये, वहां तो जो भी भूमिहीन हों उन्हें दी जानी चाहिये, पार्टी का खयाल किये बिना, किसी जाति विशेष का

Page No 53

[रावराजा श्री सरदारसिंह]

विचार नहीं होना चाहिये । इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने से ये प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज़ हों वो भी सोल्व हो सकेंगी ।

एक बात और है उपाध्यक्षजी । मैं इसकी ओर मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं ! मैंने जो भूमि दी है उसमें एक गांधीग्राम बस रहा है ।

उसके लिये सरकार बहुत ही रुपया खर्च कर रही है । सरकार ने रुपया तो खर्च करना सीखा है पर उसकी जांच और देखभाल करना नहीं सीखा । चूंकि वह सारा खर्चा पार्टी द्वारा होता है इसलिये ओवरलुक कर देती है । वह सारा रुपया अपनी पार्टी द्वारा चमारों के लिये ही खर्च किय जा रहा है, दूसरी कौम के लिये नहीं किया जाता । अपनी पार्टी के लोग चाहे जो करें सरकार निश्चित रहती है । वह जांच नहीं करती कि यह रुपया सदुपयोग में लग रहा है या इसका दुरुपयोग हो रहा है ।

इस वास्ते फिर प्रार्थना करता हूं कि इसको अवश्य सिलेक्ट कमेटी में भेज दें । आप गरम न होवें ।

रावत श्री शंभूसिंह—भूदान यज्ञ पर जो भैरूंसिंहजी ने अमेन्डमेन्ट रक्खा है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं । भूदान के एक्ट में जो दफा १५ का अमेन्डमेन्ट रक्खा गया है उसमें यह है कि डिक्लेरेशन होने के बाद यदि वह डिक्लेरेशन इल्लीगल हो या बगैर प्रोपराइट के लिये है या राइट को मिसयूज़ कर दिया है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जावे । इसके वास्ते निवेदन करना चाहता हूँ कि डिक्लेरेशन होने के बाद, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जावे और फिर उसको रिजेक्ट किया जावे । अगर उसमें कोई कमी है तो । ठीक तो यह होता कि डिक्लेरेशन से पहले इन्वेस्टिगेशन होता । डिक्लेरेशन होना ही नहीं चाहिये, पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिये प्रोसीजर ऐसा होना चाहिये कि डिक्लेरेशन करेक्ट हो और डिक्लेरेशन होने के बाद में इस प्रकार से रिजेक्ट करना तो यह असुविधाजनक बात होगी ।

इसी प्रकार से इसकी धारा २५ में जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है उससे तो यह बात स्पष्ट प्रतीत हो जाती है कि यह भी भूदान एक्ट का जो कानून है वह एक पार्टी विशेष को बल पहुँचाने के वास्ते और पार्टी विशेष का प्रचार करने के वास्ते ही बनाया गया है । अब तक तो यह बात थी कि जिन व्यक्तियों को जमीन अलॉट की जाती है वे जब तक एक पार्टी विशेष की खुशामद नहीं करते जमीन के अलोटमेंट से ही महरूम रहते और लाजिमी तौर से पार्टी विशेष को फेवर करना पड़ता, पर अब वह जमीन अलॉट हो जाने के बाद भी यह जरूरी हो जावेगा कि उस बोर्ड के या उस के वे सदस्य जो एक पार्टी विशेष से सम्बन्धित हैं हर वक्त इशारे पर चलते रहें और यदि वे उनका फेवर न करें तो न मालूम किस वक्त वे उनके कोप के भाजन होकर वह जमीन उनसे छीन ली जावे ।

[रावत श्री शम्भूसिंह]

तो इस तरह से विनोबा भावे ने जिस प्रेरणा से प्रेरित होकर यह भूदान का मूवमेंट चलाया था उसका उद्देश्य नष्ट हो जाता है और जिस प्रकार से बोर्ड का निर्माण किया गया है और एक विशेष पार्टी के व्यक्ति ही उसमें लिए गये हैं और दूसरे पार्टी के सदस्यों को हालां कि वे उसमें शरीक होने के वास्ते ज्यादा कॉम्पीटेन्ट हो सकते हैं फिर भी जानबूझकर इग्नोर किया गया और इस प्रकार से यह बोर्ड बनाया गया है। उससे काफी असंतोष है, और उन बोर्ड्स को यह भी अधिकार दिये जाने वाले हैं कि यदि किसी प्रकार से उन भूमि-हीन लोगों को जमीन भूदान में मिली हुई जमीन में से दी जाय तो उनको उस पार्टी के इशारों पर चलने के वास्ते हमेशा मजबूर होना पड़ेगा और यदि वे उस पार्टी के इशारों पर नहीं चलते हैं तो फिर उस पार्टी के कोप के भाजन हो जाते हैं और उनको जमीन से हाथ धोना पडेगा। तो आचार्य बिनोबा भावे ने जिस सत्प्रेरणा से प्रेरित होकर यह मूवमेंट चलाया था उसका उद्देश्य नष्ट हो जाता है। और उसका उद्देश्य केवल यह रह जाता है कि एक पार्टी विशेष के हामी होकर रहने वालों को ही इस जमीन का लाभ उठाने का मौका मिल सकता है। तो इस प्रकार की यह जो व्यवस्था की गई है इसमें मैं समझता हूं कि बहुत सी खामियां हैं। दफा १५ और २५ में जिस प्रकार का संशोधन किया जा रहा है उसमें फिर सोच विचार की जरूरत है। इस बात के लिए यह उचित होगा कि यह सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और वह सिलेक्ट कमेटी इसको इस प्रकार से बना कर सदन के सामने लाये कि यह एक निष्पक्ष तरीके से काम में आने वाला बिल प्रमाणित हो सके।

श्री भोपालसिंह— उपाध्यक्ष महोदय, भैरूंसिंह जी ने जो भूदान के एमेंडमेंट एक्ट को सिलेक्ट सिलेक्ट कमेटी में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है उसके संबंध में अर्ज करना चाहता हूं कि भूदान यज्ञ आज वह सिर्फ एक पार्टी विशेष के तौर से है, और इसमें जो जागीरदारों द्वारा मुकाबिजा जमीन दी जाती है वह जमीन अक्सर गोचर जमीन होती है। इसमें यह देखना है कि गोचर भूमि गांववालों के लिए है या नहीं? फिर यदि यह भूमि दे दी जाती है तो पहले गांव के लिए जह देखना चाहिए कि गोचर भूमि की जरूरत है तो वह रखकर बाद में जो बचती हो वह ली जानी चाहिए। तो इस तरह से इस पर विचार करने के लिए सिलेक्ट कमेटी में जाना जरूरी है, क्योंकि जो जमीनें गांव वालों के काम के लिए हैं वे अगर कोई जागीरदार या दूसरा दीगर आदमी दे देता है तो वे जमीनें इसमें लेना वाजिब नहीं होता हैं और उन जमीनों के देने की बात एक पार्टी विशेष के बोर्ड को इसको दे दिया जाय, तो यह बात मैं ठीक नहीं मानता हूं। मेरा खास तौर से अनुरोध है कि गोचर भूमि है वह गांव वालों के विशेष काम की जमीन है। उसको ठीक ढंग से इस एक्ट के अन्दर रखने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करके राय ली जाय। उसके बाद यहां पर विचार होना चाहिए। इसके पहले इसका सिलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत है।

श्री रामरतन टिक्कीवाल— उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि यह पार्टी विशेष का नाम लेते हैं भूदान यज्ञ के विषय में, वह बिल्कुल गलत सी बात है। दरअसल

[श्री रामरतन टिक्कीवाल]

गांव के अन्दर कोई भी जाति का भूमिहीन हो तो गांव के लोगों को इकट्ठा करके उन्हीं के राय से दी जाती है, सबके सामने दी जाती है। अभी उनियारा से आये हुए एक माननीय सदस्य रावराजा साहब ने जमीन दी है। तो गवर्नमेंन्ट का हिसाब लेने का कोई प्रश्न उठता नहीं है, क्योंकि तीन-तीन सौ रुपये एक कुटुम्ब को मिले हैं और उन्होंने २ या ३ हजार रुपये लगाकर वहां मकान बना रहे हैं तो हिसाब लेने का प्रश्न उठता नहीं है। इस तरह से इस एमेंडमेंट पर इस तरह का वातावरण भवन में फैलायें और और इस तरह की बातें कहें, वह ठीक नहीं है। उन्हें कहने का हक है। परन्तु ऐसे काम के अन्दर इस तरह का विरोध, इस तरह पार्टी विशेष का नाम लेकर बुरी बातें कहना ठीक नहीं मालूम पड़ता है। भूदान में करीब २ सभी संस्थाओं के लोग शरीक हैं और हो सकते हैं। सभी साथ में जाकर बैठे हैं गांव के आदमी इकट्ठे होकर फिर गांव वालों की राय से जमीन देने के वक्त सब मौजूद रहते हैं। तहसीलदार, पटवारी या गिरदावर भी होते हैं, उनके सामने वह भूमि वितरित की जाती है। इस तरह से पार्टी विशेष पर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत सी बात है। यह मेरी समझ में नहीं बैठता है। जो जमीन दी जाती है वह मरने वाली गाय तुल्य है। उसको हम जीवित करते हैं तो वह इल्जाम लगाते हैं। वह इस तरह की जमीन है जैसी कि मरने वाली गाय होती है। अगर वह मर जाती है तो हत्या पाले पड़ेगी भूदान वालों के ऊपर, वे कैसा एहसान करते हैं? (घंटी) मेरी समझ में नहीं बैठता है कि मरने वाली, हत्या होने वाली गाय का दान करने वाले ऐसी बात करते हैं। दो हजार बीघा जो जमीन दी गई है वह बजंड़ जमीन थी। इसको हमने ठीक करने हेतु ४५ कुटुम्बों को दी और मकान बनवा रहे हैं, और भी बनाने वाले हैं। इस तरह की जो बात रावराजा साहब ने को है वह मेरी समझ में नही बैठी है। इससे तो उनका नाम ऊंचा हुआ है। (घंटी) वे परिवार आपके ही सताये हुए हैं।

(घंटी के दौरान में-)

हमने बसाकर क्या बुरा किया?

रावराजा श्री सरदारसिंह—ओन ए प्वॉइन्ट ऑफ एक्स्प्लेशन, सर, माननीय उपाध्यक्ष, मेरा यहां पर नाम लिया गया है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं। यह कहा गया है कि माननीय रावराजा साहब के सताये हुए हैं, तो मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वे कौन से व्यक्ति सताये हुए हैं। (घंटी) राव राजा साहब ने कौन से व्यक्ति हैं जिनको कि सताया है। यह मेरे ऊपर बड़ा आरोप है।

दूसरी बात यह कही गई है कि मरी गाय को जीवित करते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। मैंने जो २ हजार बीघा जमीन दी है वह अगर मरी गाय के मानिन्द होती है तो आज उस जमीन के ऊपर ४५-४५ मकानात और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बनतीं? जैसा कि मेरे मित्र कह रहे हैं। और वहां हरिभाऊ उपाध्याय जैसे बड़े बड़े नेता उस जमीन पर क्यों आते? मैं तो आपको यह अर्ज

करता हूं, माननीय मुख्य मन्त्रीजी से भी अर्ज करता हूं कि आप भी पधारें और मैं आपको गारन्टी देकर कहता हूं कि उसमें से बहुत सी जमीन एक कार्यकर्ता के हवाले के अन्दर रख रखी बताई और उन चमारों से अपना हवाला कराता है और बोपार करता है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे भी यह अर्ज करता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी को शायद यह मालूम होगा, वे इस वक्त चुप बैठे हुए हैं। (घंटी) बात यह है कि यह तो इस तरह से बोलने की बात है कि रावराजा साहब बोलें तो कुछ कहें। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मरी गाय के तुल्य यह जमीन होती तो यह भी लेने वाले माननीय सदस्य भी थे कैसे लेते, मैं कहूं कि बड़े बड़े आदमी दान लेने के लिए आते हैं,बड़े आदमी ही देते हैं जब बड़े आदमी दान ही देंगे तो ऐसा क्यों देंगे जो कि बाद में जाकर उनको दुखे। उपाध्यक्ष महोदय, आज उस जमीन पर बनास से नहर आने वाली है और बनास की नहर जाने से वह जमीन बहुत ही उपजाऊ होने वाली है, उसमें गन्ना वगैरह की ही खेती नहीं होने वाली है बल्कि जो टोंक के क्षेत्र से आये हुये माननीय सदस्य है उनके बडे उस जमीन में गड़े हुये हों तो बनास की नहर आजाने गंगा से भागीरथ के कुटुम्ब की तरह ऊपर आ सकते हैं जो यह मुझ से कह रहे हैं कि इनके सताये हुये हैं। मैं इसका एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। यह क्या बात है मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, जिस तरह की भाषा प्रयोग में लाई गई है यह कतई पार्लियामेन्ट्री नहीं है। इसको एक्सपन्ज किया जाना चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह—मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि यह मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि वे मेरे सताये हुये हैं, इसलिये मैंने कहा। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि कभी मेरे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकले हैं।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—इस लिए कहा है कि गांव में मुर्दा मवेशी उठाने के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर! यहां पर इस तरह की बहस होने की बात नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह—अगर उनको बुरा लगा तो वे अपने शब्द वापिस लें, मैं भी अपने शब्द वापिस लेता हूं।

श्री रामरतन टिक्कीवाल— गांधीग्राम को बदनाम करने की वजह से उन्होंने कहा है, नहीं तो मैं नहीं कहता।

रावराजा श्री सरदारसिंह—माननीय मुख्य मंत्रीजी इनको कहें कि मेरे ऊपर यह सदस्य क्यों फिजूल इल्जाम लगा रहे हैं, इसको वापिस लें।

Page No 57

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष जी, यह भू-दान संशोधन बिल सदन के सामने आया है और उसके अन्दर भैरोंसिंहजी ने सिलेक्ट कमेटी को भेजने के बारे में जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। क्योंकि ऐसा बिल राजस्थान में आया है, जमीनों के बारे में जो उन्होंने बताया है वह गलत बताया है।

भूदान के अन्दर हिन्दुस्तान के अन्दर माने हुये आदमी काम कर रहे हैं। राजस्थान के अन्दर ऐसे उच्च कोटि के व्यक्ति हैं जिनको आप सब मान कर चलने वाले हैं। आज जिस तरह से जमीन का बंटवारा किया है, यह तो मैं नहीं कहता कि कोई गलती किसी कार्यकर्ता से हो नहीं सकती है, हो भी सकती है लेकिन हजारों में से एक गलती हो जाती है तो उसको सारी जगह हाउस में और दूसरी जगह उसका प्रचार करना उचित नहीं होगा।

सिलेक्ट कमेटी के बारे में जिस तरह का सुझाव दिया है माननीय सदस्य ने वह गलत है और इसको हाउस में लाना चाहिये और जल्दी से जल्दी पास करना चाहिये और जिस तरह से अमेन्डमेन्ट आया है वह भी मेरे खयाल से माननीय सदस्य को नहीं रखना चाहिये। क्योंकि जितनी इस बिल में देरी होगी, उतना ही जनता को नुकसान होगा। सिलेक्ट कमेटी में जाने पर पन्द्रह दिन, महीना दो महीना भी लग सकता है और उसके बाद एसेम्बली बैठे तब यह बिल आये। माननीय सदस्य की मंशा यही है कि किसी तरह से यह बिल सिलेक्ट कमेटी में चला जाय।

माननीय उपाध्यक्षजी, भूदान में जिन महानुभावों ने जमीनें दी हैं और जिन लोगों को मिली हैं वे बडी खुशी से उन जमीनों को पाते हैं और अपना किसी तरह से गुजारा करते हैं इसके लिये तो वे बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आज माननीय उपाध्यक्षजी, किस किस को जमीन भूदान में मिलने के बावजूद भी राजस्थान में गरीबों का भला हुआ है और जमीनों का जो बंटवारा नहीं हुआ है वह भी जल्दी से जल्दी हो जायगा, क्योंकि जो बिल पास किया गया था इस हाउस में उसमें त्रुटि होने से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, अब जो संशोधन हुआ है उससे वह दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के लिये न मान कर इसको हाउस में लाना चाहिए और मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि इसको पास करना चाहिए न कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)— माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो सिलेक्ट कमेटी में इस संशोधन बिल को भेजने का अमेन्डमेन्ट आया है। मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। बात इतनी सी है कि अमेन्डिमेन्ट बिल में मामूली प्रोसिजरल अमेन्डमेंट किया गया है। तुजुर्बे ने यह साबित किया है कि भूदान में जो जमीनें दी जाती हैं उनको अलाट करने में काफी देर हो जाती है और तहसीलदार को प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी में देर लगती है जो कि गैर जरूरी है, यह बात तो माननीय सदस्य जिन्होंने यह अमेन्डमेन्ट पेश किया है खुद ही महसूस करते हैं। रेकर्डस् ऑफ राइस हैं उनमें जो इन्ट्रीज़ हैं,

[श्री दामोदरलाल व्यास]

उनके अनुसार तहसीलदार को फैसला करना होता है कि जमीनों की मिलकियत, खातेदार या उस जमीन पर किस किस के हकूक हैं। यह जो अमेन्डमेंट बिल रखा है, तो उसके अनुसार, तहसीलदार इन्क्वायरी कर रहा है, वह रेकर्ड ओफ राइट को देख कर लेगा कि उस जमीन पर किसका मालिकाना हकूक है, जिसने भूदान में जमीन दी उसको भूदान में जमीन देने का अधिकार भी है या नहीं। अगर तहसीलदार इसके अलावा भी इन्क्वायरी करे, जिसमें काफी देर लगती है, तो भी वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि जो उस जमीन के सम्बन्ध में रेकर्ड ओफ राइटस हैं, और उन एन्ट्रीज़ का यही प्रिज़म्पशन है कि वे करेक्ट हैं, जो उस जमीन पर राइट थे वे पहले भी रहे हैं और अब भी हैं। किस के अधिकार हैं, किसके राइटस हैं वह उसी से उस नतीजे पर पहुंच सकता है। जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है, उसके लिए माननीय सदस्य ने सुझाव तो दिया नहीं और कहा कि इसको सिलेक्ट कमेटी मे भेज दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

यह कहा गया कि गोचर भूमि दी जाती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि गोचर भूमि के लिए अलग ऑलरेडी प्रोविजन है। रेकर्ड ओफ राइट्स से जो तहसीलदार देखेगा तो फिर भ्रम का सवाल नहीं है। जहां रेकर्ड ओफ राइट्स उपलब्ध नहीं है, तो वह इन्क्वायरी करने का अधिकारी होगा और इन्क्वायरी करेगा। रेकर्ड ओफ राइट रखने का मतलब इतना सा है कि जमीन के बंटवारे में देरी न लेगे। पिछले तजुर्बे ने यह साबित किया है कि कई महीने इस इन्क्वायरी में लग जाते हैं। बहुत से लोग उर्जदारियां पेश करते हैं और आखिर उसका नतीजा यही होता है कि जो रेकर्ड ओफ राइट में होता है उसको ही मानना पड़ता है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो बताया उसकी आवश्यकता नहीं है।

दूसरा क्लॉज़ २५ बताया, कि अमेन्डमेन्ट बिल गलत है। मैं कहता हूं कि यह ठीक है। इजेक्टमेन्ट के लिए टिनेन्सी बिल में प्रोविजन है। इसमें रखा है कि कोई भूदान की जमीन की खिलाफवर्जी करता है, उनकी शर्तों की तो उसको इजेक्ट कैसे किया जाय? तो इसके लिए यह रखा है कि भूदान बोर्ड की एप्लीकेशन पर उसको इजेक्ट कर दिया जावेगा। यह कहना कि भूदान बोर्ड को अधिकार नहीं देना चाहिए, भूदान बोर्ड ही जमीन देता है, इसमें किसी के हक सुरक्षित रहते हैं। यह जो अमेन्डमेन्ट रक्खा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, वह उचित प्रतीत नहीं होता है। यह बहुत ही प्रोसीजरल पोइन्ट है और यहां डिस्कशन होकर पास होना चाहिए।

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, जिस बिल को केवल एक प्रोसिजरल अमेन्डमेंट लाने वाली बात कहा जाता है और यही कहकर उसको प्रवर समिति के सिपुर्द न करने की बात कही जाती है, ये दोनों ही बातें माननीय उपाध्यक्ष, मुझे जंचती हुई सी प्रतीत नहीं होती हैं।

[श्री भैरूंसिंह]

जहां तक उसके इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है वहां अभी माननीय मंत्री ने बताया कि भूदान में दी हुई जमीन को तकसीम करने में देर होती है और देर इस कारण से होती है कि जो डिक्लेरेशन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत होते हैं उसकी इन्क्वायरी के कारण, कई लोग एतराज कर देते हैं और उसकी इन्क्वायरी में समय लगता है और आखिर में जाकर वह इसी नतीजे पर ही पहुँचता है कि जो रेकर्ड्स ओफ राइट्स में इन्ट्रीज़ हैं वे ही दुरुस्त हैं। और यह भी कहा कि हमें यह प्रिज़्यूम करके चलना चाहिए कि रेकर्ड्स ओफ इन्ट्रीज में जो एन्ट्रीज़ हैं वे बिलकुल दुरुस्त हैं, लेकिन माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सदन में कई दफा इस बात का जिक्र आया कि रेकर्ड्स ओफ राइट्स में जो एन्ट्रीज़ हैं वे गलत हैं और जमीनों पर जिनका एक्चुअली पज़ेशन हैं वे दूसरे आदमी हैं जिनका रेकर्ड ओफ राइट्स में कोई नाम ही नहीं है। टिनेन्सी एक्ट में प्रोटेक्शन दिया गया है, जयपुर लेन्ड रेवन्यू एक्ट में प्रोटेक्शन दिया गया, टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्शन दिया गया है और उनके कारण कई दफा फैसले हुए हैं, मामूली अदालतों में नहीं, हाईकोर्ट के फैसले हुए हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि रेकर्ड्स ओफ राइट्स की एन्ट्रीज़ का ही इत्मिनान करके एक्च्युअल पज़ेशन जैसी बात को स्वीकार नहीं कर लेनी चाहिए और वैसी सूरत में माननीय उपाध्यक्षजी, निवेदन करूंगा कि कोई वाजिब हकदार है इस तरह से उसका निर्णय लेने से पूर्व एक्चुअली उस जमीन पर कब्जा किसका है उसको इन्क्वायरी करवाना चाहिए। यदि वह इन्क्वायरी नहीं की जाती है तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि जिस भूदान के लिए जमीन देना चाहते हैं वह गरीबों को भूमिदान देने के लिए नहीं लेकिन बड़े बड़े लोगों को खुश करने के लिए, गरीबों की जमीन छीनकर उसको भूदान में शामिल किया जायगा। इसमें दिक्कत कौनसी है यदि इन्क्वायरी करलें तो। आज कब्जा किसी दूसरे का है लेकिन काश्त कोई दूसरे ही करते हैं। कई दफा इस बात का जिक्र आता है कि टिनेन्ट इन चीफ या जागीरदार बड़े प्रभावशाली होते हैं। वे पटवारी गिरदावर को दबाकर, प्रलोभन देकर या टेक्टिक्स एम्प्लाई करके जो लोग जमीन पर काश्त करते हैं उनका नाम न लिखवा कर रेकार्ड में स्वयं का नाम दर्ज करवा लेते हैं। जमीन पर उस काश्तकार का कब्जा है इस बात का पता नहीं चल सकता। यदि आप रेकॉर्ड आफ राइट्स उठाना चाहते हैं तो जो सीधी सादी बात आप करना चाहते हैं वह नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तहसीलदार इन्क्वायरी करने में देरी करते हैं, उसमें बाधाएं आती हैं, इसलिये कानून में जो विशेष सिद्धांत स्वीकार किया गया है उसको दूर रखकर इन्क्वायरी जैसे प्रोविज़न को हटा दें। हमें चाहिए यह कि ऐसा प्रोविजन करदें कि ज्यों ही तहसीलदार के पास दरख्वास्त पेश हो, 'विदिन ए मन्थ' का प्रोविजन रखकर इन्क्वायरी करके रिपोर्ट पेश करें। लेकिन इन्क्वायरी का प्रोविजन उठाना ठीक नहीं है। मैं राजस्व मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से जमीन पर जिनका कब्जा है उनसे जमीन छीनने का यह एक प्रयत्न होगा, इन्क्वायरी को व्यवस्था नहीं करने का असर नहीं पड़ेगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि हम बोर्ड को अधिकार देते हैं कि बोर्ड को दरख्वास्त देने पर जो जमीन भूदान में दी गई है उसको यह समझा जायगा कि सरकार की ओर से जमीन मिली है। तो

[श्री भैरूं सिंह]

सरकार का एजेन्ट तहसीलदार होता है जो पैदावार के बारे में रेकॉर्ड ऑफ राइट्स रखता है, पैदावार की एन्ट्री करता है, उसको ज्यादा मालूम होता है कि जो जमीन भूदान के लिए दी है उसके मकसद को पूरा करने के लिए उसका उपयोग होता है या नहीं। बोर्ड का एक्ट देख लीजिए, रूल्स देख लीजिये, बोर्ड निगरानी करेगा, वह किस प्रकार से करेगा इस बात का जिक्र उनमें नहीं है। बोर्ड का काम है जमीन लेने का और लैंड लेस टिनेन्ट्स को तकसीम करने का। लेकिन ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसके द्वारा बोर्ड को मालूम होता रहे कि अमुक जमीन पर काश्त होती है और अमुक पर काश्त कभी नहीं हुई। एक जमीन इजेक्टमेन्ट के काबिल है उसके लिए कोई मशीनरी नहीं है। तहसीलदार ही सूचना दे सकता है क्योंकि उसको जानकारी हो सकती है। इसके लिये इसमें व्यवस्था कर देनी चाहिये। एक्ट में और रूल्स में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि यदि तहसीलदार को जानकारी हो तो बोर्ड को लिखेगा। बोर्ड को मालूम होगा तभी बोर्ड लिखकर रोकेगा। तहसीलदार और बोर्ड में यदि मतभेद होता है तो उसका फैसला कैसे होगा, उसकी भी व्यवस्था इसमें रखनी होगी। इसको प्रोसीजीरल बातें कहकर टालने की कोशिश की जा रही है। लाजमी तौर से इससे काम्प्लीकेशन पैदा करेंगे। यदि इस सदन में कोई बात नहीं हो सके तो हमें चाहिए कि सिलेक्ट कमेटी के सम्मुख इसे पेश करें और जैसा वाजिब हो वैसा कमेटी सोच विचार करके तय कर ले।

मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि जो जमीन दी जाती है वह बेकार होती है, चाहे किसी भी दबाव से दी जाती है, चाहे किसी भी दबाव से की जाती है। टोंक से आने वालों ने ५०० बीघा जमीन दी उन पर आक्षेप लगाया जाता है। चाहे आन्दोलन के संचालक बड़े ऊंचे आदर्श वाले हैं लेकिन यहां पर कार्य करने वाले आज भी विद्वेष की भावना रखते हैं। यदि हम भूदान में भाग लेते हैं और उसमें भी विद्वेष की भावना रखते हैं तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा कि हम उच्च आदर्श की प्रेरणा नहीं लेते हैं। हमें उच्च आदर्श रखना चाहिये। विद्वेष की भावना तनिक मात्र भी हो तो उसे दूर करना चाहिये। आज यह कहा जाय कि भूदान लागू करने में कई प्रकार की कठिनाई हैं। इन्क्वायरी में समय लगता है तो समय निर्धारित करने की व्यवस्था कर दें, खुदकाश्त की लेन्ड से इजेक्ट करने के लिए तहसीलदार किस प्रकार बोर्ड को इत्तला देगा और बोर्ड किस प्रकार आगे कार्यवाही करेगा। इन सारी चीजों की व्यवस्था होना चाहिये। यदि हम इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजेंगे और वहां सोच समझ कर विचार करके निर्णय किया जायगा तो यह सबके लिये हितकर होगा।

आपसे यह कहूंगा कि प्रभावात्मक, प्रेरणात्मक संशोधन मैंने बिल में रखा है इसलिए इसे स्वीकार करने में मेरा सहयोग दें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूंसिंह ने राजस्थान भूदान यज्ञ संशोधन विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

Page No 61

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान भूदान (संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

खण्ड २, ३ व ४

श्री भैंरूसिंह—क्लॉज़ ३ का हम विरोध करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—Thre is no amendment.

श्री उपाध्यक्ष—किस क्लॉज़ का विरोध करेंगे ?

श्री भैंरूसिंह—क्लॉज़ तीन का विरोध करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३

श्री भैंरूसिंह (दांता रामगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस क्लॉज़ का लोप कर दिया जाय। इसके लिए कुछ कारण, मैंने अभी इस सदन में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि इस बिल को प्रवर समिति के पास विचारार्थ भेजा जाय, उस समय निवेदन किए थे। लेकिन अब स्पष्ट रूप से जो बातें इस प्रकार की क्लॉज़ स्वीकार करने से कठिनाई पैदा करेंगी उन बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

क्लॉज़ १५ जो मूल अधिनियम का है उसमें यह व्यवस्था है :

[श्री भैरोंसिंह]

"Upon receipt of the Bhoodan declaration, the Tehsildar shall make preliminary enquiry as to the right, title or the interest of the donor in such land and report the result of such enquiry to the Board for advice".

अब इसको हमने बदलने की चेष्टा की। इसे बदलने की चेष्टा क्यों की, इसके बारे में अभी मंत्रीजी ने बताया था कि इन्क्वायरी में समय लगता है इसलिए लोग जो उजरात पेश करते हैं उनका निर्णय जल्दी नहीं होता इसलिए भूदान में जो जमीन मिलो है वह जल्दी ही तकसीम नहीं की जा सकती, उसको बदल कर ठीक रखना है।

Clause 3 of the Amendment Bill is :—

"Upon receipt of the Bhoodan declaration, the Tehsildar shall by reference to the entries in the record of rights ascertain the right, title and interest of the donor in such land and also examine the declaration with a view to seeing whether it is otherise in order and report the result to the Bhoodan Board for advice."
इन दोनों में, मैं यदि यह कहूं कि काफी अन्तर है तो कोई अतिश युक्ति नहीं होगी। पहलो द्वारा व्यवस्था थी पूरी जांच करने की फिर रेकर्ड ओफ राइट देखने की व्यवस्था हुई और फिर इस बात को देखने की व्यवस्था की गई कि जो डिक्लेरेशन है वह इन ओर्डर है कि नहीं। डिक्लेरेशन इन ओर्डर में है कि नहीं, इसका जहां तक सवाल है मैं समझता हूँ, इस प्रकार की व्यवस्था हमें कानून में करनी चाहिए। इसके साथ साथ रेकर्ड ओफ राइटस भी देखना जरूरी है। डिक्लेरेशन इन ओर्डर में नहीं हो तो हमें उस समय सोचना पड़ेगा कि ओर्डर में नहीं होने से किस रूप में गलती हुई है, जहां तक यह प्रश्न है, मैं समझता हूँ यह ठीक हैं परन्तु जहां इन्क्वायरी को सीमित किया गया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि अधिकार तहसीलदार को दिये और उस तरीके में किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं थी। अब इन्क्वायरी का तीसरा अजीब तरीका अपना लिया है कि उसको "by reference to the entries in record of rights"

इसके अलावा वह कुछ नहीं करेगा। यदि उसको जानकारी में हैं कि जिस जमीन का डिक्लेरेशन किया गया है उसका उल्लेख रेकर्ड ओफ राइट रजिस्टर में ए. के नाम है वह वास्तव में ए. के कब्जे में नहीं है, उस पर बी. का अधिकार है, लेकिन यह सब कुछ उसके ध्यान में होते हुए भी वह इस बारे के कुछ नहीं कर सकेगा क्यों कि हमने तहसीलदार को केवल यह जांच करने का अधिकार दिया है कि रेकर्ड ओफ राइट्स में डिक्लेरेशन के मुताबिक एन्टरीज़ है कि नहीं। मैं नाम बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कई जागीरदारों ने भूदान के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को जो जमीनें दान में दी हैं, उनके बारे में गांव वालों ने एतराज किया है कि रेकर्ड ओफ राइटस में मकबूजा ठिकाना लिखा हुआ है तो परवाह नहीं, इस जमीन में हमारे मवेशी चरा करते थे। अब व्यवस्था

Page No 63

[श्री भैरूंसिंह]

कर दी कि रेकर्ड ओफ राइट्स देख लें, मकबूजा जागीरदार के नाम से है, तो हमें इन्क्वायरी करने की जरूरत नहीं। इसमें यह आवश्यक था कि इन्क्वायरी करने का मौका देना चाहिये था, नहीं तो जानबूझ कर गलती करेंगे, तहसीलदार के इल्म में है कि डिक्लेरेशन में जिस जमीन का उल्लेख किया गया है, जो जमीन भूदान में दे रहे हैं, उस जमीन को डिक्लेरेशन करने वाले ने पटवारी को किसी प्रकार का प्रलोभन देकर अपनेनाम वह जमीन लिखा ली है, तो भी,यह सब इल्म में होते हुए भी तहसीलदार, जो गलत चीज होने जा रही है, उसको नहीं रोक सकेगा।

ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करूंगा कि देरी हो जाने के डर से इस प्रकार का संशोधन नहीं लाया जाय। जिस काम के लिये वह जमीन मिली है, वह काम जल्दी से जल्दी हो, लैंड लैस लोगों को जल्दी से जल्दी लैंड मिले, अनएवोइडेबल देरी होती है, उसके अलावा विशेष देरी होती है तो उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये, पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि अनएवोइडेबल देरी के बगैर सही तरीके से हो नहीं सकतीं उन चीजों को खत्म करना चाहेंगे तो इससे ज्यादा कोम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे। तो उनके बारे में सोचना होगा। देरी को रोकने के लिए जो कुछ रेकर्ड में है उसी को तहसीलदार सही मान कर रिकमन्ड करदे, यह तरीका ठीक नहीं होगा। रेकर्ड ओफ राइट्स में जो है उसकी इन्क्वायरी करने का मौका तो अवश्य दिया जाना चाहिये।

साथ ही हम यह भी कहते हैं कि पब्लिकेशन होना चाहिये। जो जमीन दी जाय, उसके लिये गांव वालों से पूछा जाय कि इतनी जमीन भू-दान में दी है, इसके बारे में किसी को एतराज हो तो पेश करें, इस प्रकार के पब्लिकेशन के लिये भी हम कहते हैं, अगर रेकर्ड ऑफ राइट्स देख कर ही ठीक समझा गया तो इस प्रकार के पब्लिकेशन की जरूरत नहीं रहेगी। मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया उसमें कहा कि एतराजात को अवोइड करने की गरज से यह संशोधन लाया गया है मैं समझता हूं यह घोर अन्याय है, इसको दूर करने के लिये जितनी व्यवस्था करना जरूरी है वह की जानी चाहिये। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मैंने संशोधन जरूर प्रस्तुत किया है परन्तु देर हो जाने से वह आया नहीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जो ये शब्द बढ़ाये जाते हैं, "and also exemine the declaration with a view to seeing whether it is otherwise in order and repor tthe result to the Board for advice." इन शब्दों के अलावा ऊपर की तीन चार लाइन्स हैं वे बिलकुल हटा दी जाय और क्लॉज़ १५ में जो पहले व्यवस्था है वही रखी जाय। इसमें भू दान में देरी हो जाने के कारण भू-दान के प्रति लोगों में जो अश्रद्धा है वह दूर हो जायगी। अनएवोइडेबल देरी को दूर करने के लिये अगर इस प्रकार रेकार्ड ऑफ राइट्स में है उसी को ठीक माना गया और पूरी इन्क्वायरी नहीं कराई गई तो इससे लोगों के दिलों में दुर्भावना पैदा हो जायगी और भू-दान की जो मूल भावना है उससे लोगों को यह और ही दिशा में ले जायगी।

[श्री भैरूंसिंह]

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मौलिक रूप में जो संशोधन मैंने पेश किया है उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि इस क्लॉज़ को डिलीट कराने में मुझे सहयोग दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्ष, श्री भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खडा हुआ हूं। पहले जो भूदान यज्ञ बिल बना था उसमें क्लॉज़ १५ थी, उसके अनुसार तहसीलदार को इन्क्वायरी करने के पावर दिये था। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि कोई आदमी भूदान में जमीन देता है, फोर्म भरता है तो उसकी इन्क्वायरी तो जरूर होनी चाहिये, इसमें यह बात जरूर है कि तहसीलदार के अलावा पंचायतें राजस्थान में बनी हुई हैं और म्युनिसिपेलिटीज़ भी बनने वाली हैं, इसलिये यह कर दें कि पंचायतें इसकी जांच करके जल्दी से जल्दी पेश करदें गी, यह इसमें रखेंगे तो ठीक रहेगा। यदि इन्क्वायरी किये बिना ही जो कुछ रेकर्ड ऑफ राइट्स में दर्ज है उसी को सही मान कर उसके अनुसार कार्यवाही की गई तो इससे बड़ी गडबडी हो जायगी, गांव में आपस में झगड़े तो होते ही हैं, जिनके जमीन का आपस में झगड़ा होगा तो उनमें से एक आदमी या एक पार्टी भू-दान बोर्ड को वह जमीन दान में दे देगी, इस तरह के दो-तीन उदाहरण हमारे सामने आये हैं। इसलिये यदि तहसीलदार इन्क्वायरी नहीं करेगा तो बड़ी गडबडी होगी। हां देरी को रोकने के लिये समय निर्धारित कर दिया जाना चाहिये कि इतने समय के अन्दर पूरी इन्क्वायरी कर ली जाय। 'पंचायतें' और 'म्युनिसिपेलिटीज़' शब्द इसमें एड कर दिये जाते है तो पंचायतें जल्दी जांच करके शिफारिश कर देंगी, उस डिक्लेरेशन फोर्म के ऊपर तो इस तरह जो देर हो जाया करती है वह नहीं होगी। इसमें देर होती है इसकी वजह यह भी है कि तहसीलदार के पास रेवेन्यू का काम रहता है, आगे ही बहुत काम है फिर यह काम रहने से और देरी हो जाती है। जब पंचायतों को इतने अधिकार दिये हैं तो एक यह भी अधिकार दे दिया जाना चाहिये और उनकी सिफारिश तहसीलदार मान ले तो ज्यादा अच्छा होगा।

इतना सा मेरा सुझाव है। मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री महोदय इसे जरूर मान लेंगे और श्री भैरोंसिंहजी ने जो सुझाव रखा है उसको थोडा काट-छांट कर के मान लेंगे।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, मैं क्लॉज़ ३ का विरोध करते हुए सदन से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार ओरिज़िनल क्लॉज़ को तोड मरोड कर इस अमेंडिंग बिल की क्लॉज ३ में रखा गया है वह कदापि उचित नहीं है।

धारा १५ की उपधारा (४) में है :

"The Tehisldar shall publish a declaration for inviting odjections to be made and any day may be appointed within four months from the date indicated by the Board under the preceding sub-section."

[श्री मानसिंह महार]

तो हमारी सरकार इस क्लॉज़ को रखने में इतनी प्रगतिशील बन गई है कि वह इस पर कोई ओब्जेक्शन्स मानना भी उचित नहीं समझती। मैं मानता हूँ कि सरकार भू प्रगति की ओर से तेजी से बढ़ रही है और आज चारों ओर से भू प्राप्ति कर रही है और भूदान के लिए लोगों को बाध्य किया जाता है। यदि कोई सीधा सादा आदमी भूदान का अर्थ नहीं समझकर भूदान में जमीन हजारों बीघा दे तो उसको बदनाम किया जाता है जैसा कि इसी सदन के सदस्य पर सदस्यों ने लांछन लगाये। दूसरा यह नमूना है।

(घंटी)

तीसरा यह है कि आज गरीब जागीरदारों की जागीरें जाती हुई देखकर बिल्कुल बोखला से रहे हैं, उनको दबाकर उनकी गोचर की भूमि भूदान में लेना चाहते हैं। वह जमीन उन ठिकानों के मकबूजा नाम से दर्ज होने पर उन जागीरदारों के रेकर्ड में दर्ज हो रही है। इसलिए उन जमीनों को लेने के लिए बड़े बड़े आदमियों को भेज कर या बाहर से बड़े बड़े आदमियों लाकर उनको दबाया जाता है और खास कर वे लोग वे जमीनें दे देते हैं। इसलिए सरकार ने यह सबसे अच्छा तरीका सोचा कि जो चार महीनों का एतराज का मामला है उसको अगर नहीं रखा जावेगा तो वह पोल नहीं खुलेगी और अगर वह मामला रहता है तो उनकी पोल अवश्य सामने आ जावेगी।

माननीय उपाध्यक्ष, सदन के समक्ष मेरे दो पूर्व वक्ताओं ने इसका विरोध किया है और जो मुद्दे उन्होंने उठाये हैं उनको मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन खास कर मैं राजस्व मन्त्री से यह निवेदन करूंगा कि इसमें यह बात देखने की है कि आज जब हम किसी हिन्दू फेमिली को देखते हैं कि जिसके चार भाई होते हैं तो उनके चारों भाइयों के नाम पर्चे नहीं होते और न वह जमीन चारों भाइयों के नाम रेकर्ड ओफ राइट में दर्ज होती है। वह तो एक ही आदमी के नाम से दर्ज होगी।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—आप बिल पर ही बोलें।

श्री मानसिंह महार—मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ और इसी संबन्ध में कह रहा हूँ। हिन्दू अनडिवाइडेड फेमिली में चार भाई होते हैं। पर्चा तो एक आदमी के नाम होता है और अगर यह क्लॉज एमेंडिंग बिल में आ रही है, उसी रूप में रखी जावेगी तो तीन भाइयों को हक नहीं होगा। आज तक तो ऐसा होता था कि अगर किसी को कुछ ऐतराज होता था तो वह अलग अलग पर्चे करवा लेते थे।

(घंटी)

[श्री मानसिंह महार]

मैं इन्साफ की बात कह रहा हूँ आप तो खुद कानून के माहिर हैं। यदि आप आज्ञा दें तो इसका जिक्र कर दूं।

तो क्लॉज़ ३ के बारे में यह निवेदन कर रहा था कि इसकी तह्त में जब किसी को किसी प्रकार का ऐतराज करने का मौका नहीं दिया गया है, मैं यह मानता हूँ कि पर्चे वगैरह बनते हैं और रेकर्ड ऑफ राइट में जो एन्ट्री होती है वह एक ही व्यक्ति के नाम पर होती है। जोइन्ट हिन्दू फेमिली में चार भाई होते हैं और टीकाई ही सारा कारोबार संभालता हैं और काम काज सब शामिल ही होता है। इसलिए एक के नाम पर्चा बन जाता है। कहीं कहीं चारों के नाम अलग अलग पर्चे होते हैं लेकिन यह लाजमी नहीं है कि चारों भाइयों के नाम पर पर्चे अलग अलग बनें। कई जगह पर्चे एक ही भाई के नाम होता है। अब मान लें किसी कारणवश पर्चे एक भाई के नाम होने से आपस में दूसरे भाइयों में खींचातान होती है और अगर वे भाई यह समझते हैं कि किसी तरह से बंटवारा करा लें क्योंकि जमीन पर सबका बराबर हक है तो उस समय किसी गांव में भूदान की आवाज पहुँचती है तो वह टीकाई जो होता है वह कह देता है कि इतना बीघा जमीन में भूदान में देता हूं और इस क्लॉज़ (३) के माफिक तहसीलदार रेकर्ड ऑफ राइट्स को देखता है तो उसको मालूम होता है कि वह एक ही आदमी के नाम लिखी हुई मिलेगी और उस हिसाब से एक ही आदमी उसका हकदार है। इस सूरत में क्या होता है कि वे बेचारे दूसरे भाईयों ही रो रोकर रह जावेंगे और उनकी जमीन जबरदस्ती भूदान में दे दी जावेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप भूदान, भू प्राप्ति करें, संपत्ति दान प्राप्त करें आप कुछ भी करना चाहें करें लेकिन मैं यह कहूंगा कि 'दान' शब्द को इतना नीचा मत गिरावें। दान एक बहुत ऊंची चीज है। दान यह चीज है जिसको करण जैसे आदमी ने दुनिया को दिखाया था कि दान क्या चीज है। आज आप दान के नाम पर ऐसी बातें नहीं करें जिससे लोगों में आपस में द्वेष भाव बढ़े। इसलिए क्लॉज़ ३ पर मेरा यह निवेदन है कि ओरिजिनल धारा १५ है उसको यह कहना कि बहुत रोचक है, जो रहनी चाहिये। केवल यह कहने से कि इसमें समय लगेगा कोई काम नहीं चलेगा। समय लगेगा तो लगेगा क्या बात है जब आप किसी की जमीन लेते हैं तो उस व्यक्ति को उचित हक ही उजरदारी का नहीं देना चाहते हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि आपको भूदान की जमीन को किसी को देना है तो दे दें मगर जब उसकी उजरदारी का फैसला हो जाये तो आप उस जमीन को खाज कर दें. अगर आपकी रफ्तार बहुत तेज है मगर जिस रफ्तार से काम होता है उससे तो कोई तेज रफ्तार दिखाई नहीं देती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और इस धारा को रखते हैं तो मैं यह कहूंगा कि इसका मतलब यही होता है कि कोई न कोई इसमें आपकी बदनियती जरूर है, अगर हमारी नियत साफ है तो हम इस प्रकार की जल्दबाजी करके कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। जिससे यह हो सके कि किसी के हक पर कुठाराघात न हो, लेकिन यह नहीं होकर....

(घंटी)

[श्री मानसिंह महार]

आप यह चाहते हैं कि मैं जल्दी इसको खत्म करूं। आप यहां पर इस प्रकार की धारा रख रहे हैं। जागीरदारों के बारे में यदि मैं कुछ कहूंगा तो मेरे मित्र दांता रामगढ़ से आनेवालों ने जो बातें कही हैं उसका रिपिटेशन हो जावेगा इसलिये मैंने जोइन्ट फेमिली की बात कही है उस पर ही कहूंगा। माननीय राजस्व मन्त्री खुद वकील हैं उनको खुद को मालूम है। वे कोई विलायत से आये नहीं हैं। उनका गला खराब है लेकिन दिमाग तो ठीक है। मैं आशा करूंगा कि जो वाजिब बात की तरफ ध्यान देंगे और जैसी धारा थी वैसी ही रख देंगे।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)— माननीय उपाध्यक्ष, राजस्व मंत्री ने यह जो रखा है इससे ऐसा विदित होता है कि भूदान की कार्यवाही में काफी विलंब होता है और इसलिये जल्दी से जल्दी जमीनों का सोल्यूशन हो जावे, ऐसा उन्होंने इस एमेन्डमेंट के द्वारा इन्तजाम करने का सोचा है। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जल्दी करने से कोई काम ठीक नहीं होता है। काम तो काम की रीति से होना चाहिये और जो विलंब हो रहा है वह हमारे एक्ट में प्रोविजन का नहीं होना नहीं, बल्कि अपने रेवेन्यू विभाग की शिथिलता ही हो सकती है। जब एक लैंड होल्डर जमीन दान देता है और जमीन दान दी जा रही है तो उसका अमल कागजातदेही में जरूर होना चाहिये और उसका पता तभी लग सकता है जब उसकी एन्क्वायरी हो। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इन्क्वायरी का शब्द हटाना बिल्कुल अनुचित है। जमीन की ट्रान्सफर के लिये एन्क्वायरी का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपका यह कहना इन्वायरी नहीं है, यह बिलकुल गलत तरीका है। इन्क्वायरी पहले अवश्य होनी चाहिये। विलंब का कारण तो है रेवेन्यू विभाग की शिथिलता। कानूनगो, पटवारी आदि के फैसले वर्षों तक नहीं होते। मैं नहीं समझता कि इतने मामूली से काम के लिये इतना विलंब क्यों होता है। एक कागज महीनों तक गायब रहता है और उसका पता नहीं चल सकता है। इसलिये इस पर खास कर ध्यान देना और सोचा जाना चाहिये। मेरा सिर्फ इतना सा ही सुझाव है कि जो एमेन्डमेंट रखा है उसमें यदि दो शब्द बढ़ा दें तो इसका मतलब पूरा हो जावेगा जो यह हाउस चाहता है इसके माफिक इसका उद्देश्य पूरा हो जायगा।

"Upon receipt of the Bhoodan declaration, the Tehsildar shall after summary enquiry and reference to the entries in the land records...." सिर्फ इतना सा बढ़ा देने की आवश्यकता है जिसके अन्दर यह कार्य आसानी से हो सके। केवल एन्ट्रीज़ देखने से काम नहीं चल सकता। लेन्ड रेकर्ड किस तरह मेन्टेन किया जाता है वह आज किसी से छिपा नहीं है उसके ऊपर विश्वास कर लेना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। लैंड रेकार्ड जो सेटलमेन्ट के समय से हुवा था उसमें आजतक क्या अन्तर हुआ यह नहीं दिखता है। पुराने जो रेकार्डमेन्टेन होते थे उससे तो आज कितनी स्थिति में अन्तर आगया है अगर हम तहसीलदारों द्वारा की हुई एन्ट्रीज़ को ठीक मान लेते हैं तो डोनर तो कोई हैं और यदि उसके नाम पर दर्ज है तो

[राज श्री हिम्मतसिंह]

उसमें बहुत बड़ी गलती हो जायगी, बहुत हकदार उस जमीन के मिल जायेंगे। मैं समझता हूं राजस्व मन्त्री ऐसी गलती नहीं करेंगे। 'इन्क्वायरी' जो शब्द है वह जरूर रहना चाहिये। बगैर 'इन्क्वायरी के इससे कोई मतलब हल होने वाला नहीं इसलिये इन्क्वारी इसको इनसर्ट नहीं करेंगे तो बहुत गलती करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ तीन पर किसी माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट दिया क्या वह for the deletion of clause 3 है ?

श्री भैरू सिंह—मैंने दिया है।

रावत श्री शंभु सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, ओरिजिनल क्लॉज़ ३ में यह प्रोवीजन है कि ओब्जेक्शन लेकर सब बातें सुन करके पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पहले की धारा के अनुसार हमें ओब्जेक्शन्स रेज़ करने के और वाजिब बातें सामने रखने की सुविधा थी, मौका था। पहले यह था Undivided Hindu family record of right किसानों में एक भाई के नाम पर हो सकता है और दूसरे भाई के नाम नहीं होता था। मान लीजिये रेकर्ड पर दूसरे भाईयों को एतराज हुवा उनको ओब्जेक्शन पेश करने का कौनसा मौका रहेगा ? आज हम ओब्जेक्शन लेने का इसमें से विधान हटा रहे हैं मैं समझता हूं अगर इसको हटा दिया गया तो इसमें एक बहुत भारी खामी आजायगी।

दूसरी भी इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें आई हैं वह यह है "Ascertain the rights, titles and interest of the donor" इसमें उपाध्यक्ष महोदय, जहांतक मैं समझता हूँ टाइटल का जहांतक सवाल हैं इनवेस्टीगेशन का सवाल है तहसीलदार टाइटल आदि की कैसे जांच करेगा ? मैं समझता हूँ जहां तक टिनेन्सी एक्ट में इस प्रकार की क्लॉज़ हैं कि इस प्रकार टाइटल का जहां सवाल आता है सिविल कोर्ट को रेफर किया जाता है। यदि हम तहसीलदार को टाइटल डिसाइड करने का अधिकार देते हैं तो तहसीलदार एक मामूली अधिकारी हैं उसको इस प्रकार के अधिकार नहीं दिये जासकें। जहां तक टाइटल के डिसाइड करने का काम हैं वह हमें सिविल कोर्ट को देना चाहिये, मैं इसप्रकार से कानूनी बात को विचार के लिये सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। टाइटल डिसाइड करने का अधिकार मामूली अधिकारी को नहीं होना चाहिये। टाइटल डिसाइड करने के अधिकार सिविल कोर्ट को हैं, यदि हम ऐसा करते हैं तो वह सिविल कोर्ट के अधिकारों में हस्तक्षेप है इस वास्ते मैं यह समझता हूं यह जो क्लॉज है वह डिलीट होना चाहिये और जो ओरिजनल क्लॉज़ है वैसा का वैसा रहना चाहिये।

(श्री अवनिकुमार मुकर्जी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—इस बात को माननीय मंत्री स्वीकार करते हैं इसलिये ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं।

Page No 69

श्री भैरूं सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें संशोधन प्रस्ताव करता हूं कि क्लॉज़ तीन का लोप किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—मुझे इसको स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है। I have no objection.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ३ को विलोपित करने का श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

क्लॉज़ ३ का संशोधन बिल में से विलोपित हुआ।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ४ व ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ४ व ५ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ४ व ५ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ ६

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैंने इस क्लॉज़ के ऊपर जो संशोधन रखा है उसे प्रस्तुत करके उस पर अपने विचार व्यक्त करूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन टाइम पर नहीं दिया है इसलिये मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री भैरोंसिंह—आप जरा सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपके संशोधन को अस्वीकार करता हूं।

श्री भैरोंसिंह—(जारी) उपाध्यक्ष महोदय, आप संशोधन स्वीकार करें या अस्वीकार करें, लेकिन मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि आज सुबह ही मैंने संशोधन प्रस्तुत किये, उसमें से एक भाग को तो सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गई लेकिन जब दूसरे भाग पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिये प्रार्थना की जाती है तो उसके लिये एतराज क्यों किया जाता है, मुझे यह समझ में नहीं आया। इस संबन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका हमें इस बारे में प्रोटेक्शन मिलता रहे तो एक सुविधा-जनक बात होगी। मैं इस क्लॉज़ का विरोध करता हूं। मेरा इस क्लॉज़ के विरोध करने का मुख्य कारण यह है कि मूल क्लॉज़ २५ जो है मूल अधिनियम की उस धारा में यह व्यवस्था की है:"If any lessee commits a breach of any of the conditions from (a) to (g) in section 24, the Board may apply to the Revenue Officer for determining the lease.

(2) The Reveuue Officer may after giving full opportunity to the lesse to be heard, and after such enquiry as he may deem fit, determine the lease and restore the possession of the land to the Board."

अब इस स्थान पर यह व्यवस्था की जा रही है:

"If any holder of any Bhoodan land commits a breach of any of the conditions from (a) to (g) in section 24, he will, on the application of the Board, be liable to ejectment under section 175 or section 177, as the case may be of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955)."

माननीय उपाध्यक्ष, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया भूदान में अगर किसी व्यक्ति को जमीन दी जाती है, वह व्यक्ति अगर भूदान के संबन्ध में, भूमि के सम्बन्ध में अगर कोई शरारत के खिलाफ अर्जी करता है तो वहां भूदान में दी जमीन से बेदखल करने का अधिकार तहसीलदार को होना चाहिये या बोर्ड को? पहले व्यवस्था थी :

"If any lessee commits a breach of any of the conditions from (a) to (f) the Revenue officer for determining the lease."

अब फोर डिटर्मिनिंग दी लीज़ क्या इससे यह मकसद पूरा हो जाता है या बेदखली के बारे में उस लीज़ को डिटर्मिन करने के सम्बन्ध में करवाना चाहते हैं। ए से जो तक जी को हमने नई धारा के अनुसार विशेषतया से ए से एफ तक जमीन पडत नहीं रहेगी। हमने यह व्यवस्था की है कि जमीन का लगान समय पर दिया जावेगा। हमने यह व्यवस्था की है कि उस जमीन की दूसरे आदमी से काश्त नहीं होगी। हमने यह भी व्यवस्था की है कि उसके बारे में यदि किसी दूसरे से आपका लगान लिया जावेगा तो यह भी एक प्रकार का ब्रीच होगा। इन सब बातों को लेकर हमने यह कन्डीशन निर्धारित

[श्री भैरूंसिंह]

की और यह अपेक्षा की कि हर मनुष्य को उनका पालन करना चाहिये। मना करता है तो he is liable to ejectment.

यह सही बात है। पर हमारी वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इन कन्डीशन्स के पालन करने का उत्तरदायित्व किस आधार पर हो तो हमें पता लगता है रेकार्ड आफ लैंड्स, पटवारी पटेल, के द्वारा जमीन का नगरवाह के द्वारा इस सम्बन्ध की पूरी सूचना किसी को सबसे पहले मिलती है तो वह है तहसीलदार। बोर्ड को कब मिलती है जब तहसीलदार बोर्ड को लिखे। और तहसीलदार पर यह ओब्लीगेटेरी प्रोवीजन है कि अमुक प्रकार की ब्रीच आफ कन्डीशन हो रही हैं इस कारण से बेदखल करना है तो बोर्ड को लिखे और बोर्ड फिर एप्लीकेशन दे तहसीलदार को कि बेदखल किया जावे, उस स्थिति में वह बेदखल हो पर हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जो आदमी सबसे ज्यादा सम्बन्ध रखता है, उन ब्रीच आफ कन्डीशन्स की सबसे पहले जिस आदमी को जानकारी होती है उसको हम सीमित सा अधिकार दें। उसको बेदखल करने के सम्बन्ध में जिस प्रकार की धारा रक्खी गई है १५२ डी उस प्रकार की धाराओं के अनुसार उसको मौका देकर उसकी बात सुनकर, उसका डिफेन्स लेकर बेदखल करने की व्यवस्था करें। पर इस नई व्यवस्था के द्वारा यदि बोर्ड एप्लीकेशन देता है तो कार्यवाही होगी।

अब मान लें जैसा संशोधन आया है वह उचित है तो ऐसा संशोधन स्वीकार करने से एक जबर्दस्त दिक्कत आवेगी। न तो तहसीलदार के लिये एक्ट में ओब्लीगेटरी प्रोवीजन है कि वह बोर्ड को सूचना देगा। वह न तो सूचना दे अब दे भी दे तो अब बोर्ड में लिखने में देर होती है। बोर्ड उसे नहीं लिख रहा है। यदि बोर्ड दरख्वास्त नहीं देता है तो उस स्थिति में तहसीलदार मजबूर होकर बैठा रहेगा। लगान वह आदमी नहीं दे रहा है, ब्रीच ऑफ कन्डीशन्स करने के बावजूद भी वह बेदखल नहीं हो रहा है। माननीय उपाध्यक्षजी, फर्स्ट ऑफ मई से लगान वसूल किया जाता है। सारे काश्तकारों को १ तारीख से लगान जमा कराने के लिये हुक्म देती है सरकार, अब यदि वह व्यक्ति जिसको भूदान में जमीन मिली हुई है यह कहे कि मैं लगान जमा नहीं कराता। जितनी तहसीलदार कार्यवाही करता है इसके बावजूद लगान नहीं मिलता। तहसीलदार कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगा सिवाय इसके कि वह बेदखल करे! यह कब करे जब बोर्ड लिख करदे। अगर बोर्ड नहीं देता है तो लगान नहीं देने की सूरत में भी निरन्तर वह काश्त करता रहेगा और तहसीलदार मजबूर होकर बैठा रहेगा। यदि यह दृष्टिकोण है कि शरायत की तामील करनी है तो अन्याय फिर क्यों करते हैं? रियायत यह करने की आपकी मंशा क्या है? वाकई में ऐसा करने से आपकी कुछ न कुछ गलत मंशा है। आप गलत चीज करवाना चाहते हैं। तहसीलदार को अधिकार न देकर एक गलत बात की गई है जिसका जिक्र सदन में हुआ था। एक ने बताया मैंने कुछ जमीन भूदान में दी, दूसरे

[श्री भैरूंसिंह]

ने कहा बेकार दी जो जमीन बेकार पडी थी वह दी, उस जमीन में एक ही वर्ग के लोगों को बसा दिया, दूसरे जरूरतमन्दों को भूमि हीनों को, नहीं दिया। इन बातों के बारे में जो वाद-विवाद हुआ यहां दोनों में यहां तो दोनों ने एक दूसरे पर थोडी बहुत छींटाकशी की। उससे पता लगा जमीन वितरण करने में भी जो न्याय होना चाहिए वह नहीं हुआ, बल्कि ऐसों को का मिलती है जहां कोई न कोई उन लोगों से राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने की चेष्टा करें। (घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस घंटी का मतलब क्या है ? इससे हमारे मस्तिष्क में रुकावट पैदा होती है। मैं इर्रिलेवेन्ट जाता होऊं तो वहां रोकिये पर जहां रिलेवेन्ट जाता हूं वहां इस तरह से घंटी बजे यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उपाध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है कि आपको इस प्रकार से चैलेन्ज किया जाय। What is this? It is not a proper language. वे अपने शब्द वापिस लें।

श्री भैरोंसिंह— मैं निवेदन करता हूं कि बार बार घंटी बजती है तो इसका मतलब यह होता है कि हम या तो बोलें नहीं या बोलें तो मस्तिष्क दूसरी तरफ चला जाय। घंटी का मतलब यह है कि जहां पर आप समझें कि विषय से बाहर जा रहा हूं वहां घंटी बजती है। यहां मैंने कौनसी इर्रिलेवेन्ट बात कही। अगर हो तो आप उसे प्रोसीडिंग्स से निकाल दें। इसमें कोई इर्रिलेवेन्ट बात ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष— ज्यादा इधर उधर न जाइये, विषय पर रहिये।

श्री भैरूंसिंह— ज्यादा इधर उधर इसलिये कहना पड़ता है कि उस चीज की इसके बिना पूरी जानकारी नहीं होती है।

श्री शंभुसिंह— उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा जो ऐसी पड रही है यह ठीक नहीं है, इसलिये मुझे भी सफाई...

श्री उपाध्यक्ष— Order please. (श्री भैरूंसिंह से) Be sritctly relevant.

श्री भैरोंसिंह—स्ट्रिक्टली रिलेवेन्ट ही कह रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष, वैसी सूरत में तहसीलदार के सामने कोई चारा नहीं रहेगा। वह बैठा रहेगा बोर्ड के हुक्म की इन्तजार में और उसको लिखकर देने के बाद में बोर्ड दरख्वास्त करे या न करें इसके लिये उसे कौन कहे। तो यह कौनसा न्याय है ? तहसीलदार जो गजेटेड अफसर होता है उसको ऐसी सूचना मिल जावे कि ब्रीच ऑफ कन्डीशन्स हो रहा है, भूमिहीन समझकर जिसको खुद खेती करने के लिये जमीन दी है पर अगर वह उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं करे तो उसे तुरन्त बेदखल करे और दूसरे को जो उसका

[श्री भैरोंसिंह]

इच्छुक है उसको दे दे। पर तहसीलदार यह नहीं कर सकेगा। बोर्ड की एप्लीकेशन आवेगी तभी वह ऐसा कर सकेगा। अब बोर्ड के बारे में भी मैं निवेदन करूं कि उसमें आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाशनारायण बहुत कम हैं। ऐसे अधिक हैं जो कांग्रेस के डिस्सेटिसफाइड वर्ग के हैं, उनको एम्प्लोयमेन्ट प्रोवाइड करना है अब वे अपने ग्रुप के किसी एक विशेष आदमी में दिलचस्पी रखते हैं उसको तहसीलदार समझता है कि चूंकि इसने ब्रीच ऑफ कन्डीशन्स किया है बेदखल होना चाहिये पर बोर्ड चाहता है कि नहीं बेदखल हो, यह तो ऐसी सूरत में बोर्ड एप्लीकेशन नहीं भेजेगा तहसीलदार के पास और तहसीलदार फिर उसे बेदखल नहीं कर सकेगा। तो ऐसी सरत में वह आदमी कभी भी बेदखल नहीं होगा। इसलिये निवेदन करूंगा कि

"....on the applicaton of the Board"

इन शब्दों को डिलीट कर दिया जावे। यदि सरकार यह चाहती है कि बोर्ड को सूचना मिलनी चाहिये। तो इसके आगे ऐसे शब्द बढ़ा दिये जावें "and shall inform the Board accordingly."

अगर तहसीलदार एक्शन लेता है तो बोर्ड को भी सूचना देगा। बेदखल नहीं किया जावे वह, बोर्ड यह चाहता है तो वह किसी प्रकार से इन्टरफीयर कर सकता है, इन्टरफीयरेंस को प्रोवाइड करें तो यह समझ में आ सकता है। पर ऐसा अधिकार दे दें कि बोर्ड एप्लीकेशन देगा तभी बेदखल होगा नहीं तो नहीं होगा, तो यह उचित नहीं होगा। इजेक्टमेन्ट का प्रिन्सिपल एक रक्खें। इसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। जब एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था करदी गई कि वह जमीन भी सरकार के द्वारा दी हुई जमीन समझी जावेगी तो इसका जोता और सरकार का जो सम्बन्ध है वह उस जमीन का जोता और बोर्ड का सबन्ध सरकार में स्थापित होना चाहिये। यह सम्बन्ध जहां सरकार में स्थापित हो गया वहां ब्रीच ऑफ कन्डीशन्स न हो ऐसा सरकार इन्तजाम करे। इसलिए निवेदन करूंगा कि अव्वल तो मैंने कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किया पर अगर आप यह व्यवस्था रखना ही चाहते हैं तो इसमें से ये शब्द हटादें और अगर नहीं हटाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले जो व्यवस्था थी वही ठीक है, उसे ही रहने दें। और इस व्यवस्था को किसी भी प्रकार से मन्जूर नहीं किया जावे। इन शब्दों के साथ मैं इस धारा का विरोध करते हुए सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मेरे इस सुझाव को सदन द्वारा मनवाने में सहयोग दें।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूल क्लॉज़ २५ के ऊपर जो संशोधन ६ नंबर की धारा में लाया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दिमाग कुछ ऐसी ओर जा रहा है कि जहां पर हम शायद समझ नहीं सके हैं कि भूदान में जो जमीन दी जायगी, जो जमीन वितरित की जायगी वह किसी की संपत्ति होगी, क्या होगी। मैं यह समझता हूँ,

[श्री मानसिंह महार]

उपाध्यक्ष महोदय, कि इसी कानून के अन्दर जब सरकार एक बार यह मान लेती है कि इस जमीन के वितरण करने में, इस जमीन के डिक्लेरेशन फार्म के कन्फर्म करने में सरकार की तरफ से भी उसके ऊपर स्वीकृति होगी। जब ऐसी बात सोचते हैं, सरकारी अफसरान उसकी जांच वगैरह कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता उपाध्यक्ष महोदय, कि आगे चलकर क्लॉज़ २५ के अन्दर जिस प्रकार से ओरिजिनल एक्ट के अन्दर रेवेन्यू ऑफिसर को यह अधिकार दिया जाता है कि वह भूदान में जो जमीन दी हुई है उसके लिए अगर कोई आदमी कोई कन्डीशन्स को पूरा नहीं करता है तो वह तहसीलदार या वह रेवेन्यू ऑफिसर जो भी हो वह लीज़ को टर्मिनेट कर दे। लेकिन अब सरकार ने इसको एमेंड करके और इस प्रकार की बात रखी है कि अगर वह लीज़ टर्मिनेट की जाय तो उस लीज़ के टर्मिनेशन के अन्दर बोर्ड जब तक लिखकर नहीं दे कि इस लीज़ को टर्मिनेट नहीं किया जाय तब तक वह लीज़ टर्मिनेट नहीं की जाय। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार की क्लॉज़ अगर इसमें स्वीकार कर ली जायगी तो शुरू से आने वाली क्लॉज़ और यह क्लॉज़ कुछ कन्ट्राडिक्टरी सी हो जायगी। फिर भी अगर कन्ट्राडिक्शन है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहां के कानून इन दिनों में जो बने हुए हैं वे कन्ट्राडिक्शन्स से भरपूर होते हैं। लेकिन कन्ट्राडिक्शन ही नहीं हमको वास्तविकता की तरफ जाना पड़ेगा। हमको देखना यह है कि हम रेवेन्यू ऑफिसर से यह अधिकार ले लेते हैं तो फायदा हो जाता है या नुकसान। जो ए से एफ की धाराएं हैं तो उनको गौर से देखेंगे तो यह मालूम होगा कि कई बातें ऐसी हैं कि जिनका तहसीलदार से बड़ा संबंध रहता है। क्लॉज़ (एफ) इस प्रकार है :

"The lessee shall pay the rent equall to the land revenue fixed by the State Government direct to the land holder or the State Government as the case may be on or before the date when it falls due."

उपाध्यक्ष महोदय, इस सूरत के अन्दर एक तरफ सरकार यह कहती है कि तहसीलदार को या लेन्ड लोर्ड को वह लेसी जमीन का लगान दे दे। टिनेन्सी एक्ट के अन्दर इसको प्रोवाइड किया है कि अगर वह लगान नहीं देता है तो वह रेवेन्यू ऑफिसर उसको, उस आदमी को उस जमीन से हटा सकेंगे। लेकिन यहां पर हम टिनेन्सी एक्ट वगैरह को सबको एक तरफ ताक में धर करके यह करने जा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि भूदान में दी हुई जमीन की यह विशेषता होगी कि चाहे २० वर्ष तक लगान नहीं दे सरकार लेन्ड लोर्ड को या किसी को और यदि वह बोर्ड इस किस्म की सिफारिश नहीं करे कि उसकी लीज़ को टर्मिटनेट कर दिया जाय, तब तक वह लेसी टर्मिनेट नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि यह कौनसा नया कोड सरकार अपनाने जा रही है। हम तो समझते हैं कि राजस्थान में रेवेन्यू कोड ही ऐसी चीज़ होगी जिसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन यह एक नया कोड बनाया जा रहा है, उपाध्यक्ष महोदय। तो यह भी सूचना उसके अन्दर एड होती कि तसीलदार को हक होगा तो भी हम कुछ हद तक मान लेते। कई बातें, दो एक बातें, ऐसी भी हैं कि जिनका भूदान यज्ञ समिति, बोर्ड, का संबंध होता है वह बातें तहसीलदार के हक में नहीं दी जातीं तो वह बात उचित मानी जा सकती, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन लगान नहीं देने की बात ऐसी ग्लेरिंग बात है

[श्री मानसिंह महार]

कि जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में मैं यहां तक निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि यह बात आगे जाकर बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। आज तो मुमकिन है कि भूदान बोर्ड वगैरह में एक ही सरकार बनी हुई है, एक ही पार्टी बनी हुई है, चाहे तो भूदान बोर्ड में वे हैं जो असंतुष्ट हैं या चाहे उनको प्रोवाइड करने के लिए रखा गया है कि जिनको कांग्रेस की मिनिस्ट्री में या डी. सी. सी. या पी. सी. सी. वगैरह में नहीं लिया जा सका है और वे असंतुष्ट हैं। उनको किसी प्रकार से भूदान में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब यह है कि आज तो कांग्रेस का भूदान बोर्ड में एक ही तांता समझ लीजिये, लेकिन हो सकता है जिस प्रकार से आज जो भारतवर्ष लेफ्ट को जा रहा है और अगले चुनावों के बाद भारतवर्ष में कम्युनिस्टों की सरकार बने, वह सरकार सारे भारत में नहीं बनेगी तो भी कई प्रान्तों में बन में जायगी।

(घंटी)

वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत हो रेलेवेन्ट है। मैं कम्युनिस्टों की सरकार से नहीं घबराता।

श्री शंभुसिंह—(श्री राजस्व मंत्री एवं स्वायत्त शासन मंत्री के ऑफिसर्स गेलेरी में अधिकारियों से बात करने पर) क्या हाउस के अन्दर केबिनेट की मीटिंग हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष ?

(घंटी)

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि वह भी समय हो सकता है कि किसी प्रान्त में भूदान बोर्ड में और सरकार में किसी प्रकार का क्लैश आ जाता है तो उस समय बहुत ही खतरनाक स्थिति इस प्रकार की धारा से हो जायगी। सरकार लगान वसूल नहीं कर सकेगी। भूदान में दी हुई जमीन पर कन्ट्रोल रखने का सरकार के पास हथियार नहीं होगा जिसके जरिये से लगान वसूल कर सकेंगे, जब तक कि भूदान बोर्ड इस बात की सिफारिश नहीं करेगा कि इसकी लीज़ टर्मिनेट कर दी जाय। यह एक नाकामयाबी है। कहा यह जाता है कि एमेंडमेंट्स समय पर नहीं आये इसलिए उचित नहीं हैं, यह है वह है। मैं यह कहता हूँ कि कानून बनाते वक्त बडे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिये। हमको यह देखना है कि क्या बात वाजिब है, क्या नावाजिब है। वाजिब या नावाजिब ही नहीं लेकिन हमको परिस्थिति को देखना चाहिये। हमको केवल बनायें उस दिन की परिस्थिति को नहीं सोचना चाहिये बल्कि आगे के जमाने के लिए सोचना चाहिये। बहुत मुमकिन है कि जो आज आप निकाल रहे हैं वह कुछ हद तक सही हो, लेकिन साल दो साल बाद वही मामला पेचीदा हो सकता है, लिया जा सकता है। इसलिए भी मैं निवेदन करूंगा, खास तौर से मंत्रीजी से, कि मुझे अफसोस तभी होता है, उपाध्यक्ष महोदय,

[श्री मानसिंह महार]

जब कि एक कानून के ज्ञाता मंत्री इस विभाग में होते हुए भी और रेवेन्यू विभाग में जिसने इतने वर्षों तक प्रेक्टिस की है, उनको मालूम है कि लगान देने में किस प्रकार से एवॉयड किया जा सकता है। ये सारी बातें जानते हुए भी आज इस प्रकार के क्लॉज़ेज़ जब आते हैं तो मैं समझ नहीं सकता कि क्या चीज़ हो रही है, किधर जा रहे हैं, क्या अराजकता की ओर बढ़ रहे हैं, क्या हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से ऐसी बातें होनी चाहिये कि जिनका कोई कायदा कानून नहीं है ? एक तरफ तो टिनेन्सी एक्ट बना कर सरकार को हक दिया जाय और दूसरी तरफ भूदान एक्ट बनाया जाता है। भूदान बोर्ड को अख्त्यार दिये जाते हैं इस तरह के। तो हमको तो सही चीज़ देखनी चाहिए, मैं तो आप से निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर मंत्रीजी नहीं माने तो रेवेन्यू विभाग के आप बडे माहिर हैं आप इन चीजों को देखिये कि कितने आगे के क्लॉज़ेज़ कन्ट्राडिक्टरी हैं। गवर्नमेंट इस तरह के क्लॉज़ेज़ मन्जूर करयेगी तो आज के युग के अन्दर जो इजेक्टमेंट के या टेनेन्सी एक्ट के अन्दर प्रोविज़न्स हैं उनको खत्म कर दिया जाय।

इन बातों को देखकर माननीय मंत्रीजी से आशा करूंगा कि वे अपने नाम से ही अमेंडमेंट दे दें, वाजिब चीज़ करें। मैं यह नहीं चाहता कि किसी तरह अनुचित करें। या तो उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो बातें कही हैं, उनको मंजूर करें और न करें तो हमें ठंडे दिमाग से समझाने की कोशिश करें कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह उचित है। हम तो सदा समझने के लिये तैयार हैं। यह जो गलत बात हो रही है उसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी से जरूर निवेदन करूंगा कि उसको वे प्रेस्टिज का सवाल न समझें। यह तो जनता का सवाल है, जनता को सहूलियत देने का सवाल है, सरकार का भी प्रश्न है कि हमारे यहां अराजकता न फैले, सही चीज़ हो और ऐसी सूरत में सदन के सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्रीजी से निवेदन करें, अपनी जिद्द पर न रहें, और वाजिब चीज़ को मंजूर करें। जिस प्रकार म्युनिसिपेलिटी बिल में एक मिसाल प्रस्तुत की है वे भी यह दिखावेंगे कि वे बहुत अकमोडेटिंग हैं, जिद्द पर अडे हुए नहीं हैं और वे दूसरों की बातों को मानते हैं और पिछले तीन क्लॉजेज़ में अमेंडमेंट मंजूर करके दिखा ही दी है। इसमें भी कोई वाया मीडिया उचित तरीके से निकालेंगे।

रावत श्री शंभुसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ ६ पर मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। दफा २५ जो ओरिजिनल एक्ट की है उसमें जो यह नया क्लाज़ एड करना है वह डिस्क्रिमिनेटरी है, रिडन्डेन्ट है और सुपरफ्लुअस है। माननीय उपाध्यक्षजी, इस वक्त तक भूदान यज्ञ के द्वारा मिली हुई ज़मीनों को बोने वाले किसानों और अन्य जो साधारण किसान हैं उन किसानों के साथ समान व्यवहार होता रहा है। ऐसा होना वाजिब भी है। किसान किसान में इस तरह का भेद न रखा जावे। लेकिन इस क्लाज़ को पास कराके, किसानों किसानों के बीच किस तरह से विवेद किया जाय, उनमें एक भेद उत्पन्न करना चाहते हैं। यह इस प्रकार से

Page No 77

[रावत श्री शम्भूसिंह]

डिस्क्रिमिनेटरी है कि टिनेन्सी एक्ट की दफा १७५ और १७७ के अनुसार तहसीलदार और माली अधिकारी को जो अधिकार दिये हैं उन जमीनों के बारे में और जो वे एक्शन ले सकते हैं वे अब इसके द्वारा नहीं ले सकेंगे, जब तक कि बोर्ड उनको नहीं लिखेगा। और जब तक नहीं लिखेगा तब तक तहसीलदार और माली अधिकारी कोई एक्शन लेने से वंचित रहेंगे। तो आज तक इस तरह से किसान एक कानून से गवर्न होते थे और अब वे किसान दो कानूनों से गवर्न होने लग जायेंगे किसानों का एक वर्ग ऐसा होगा कि जो भूदान यज्ञ एक्ट से गवर्न होगा और दूसरा वर्ग ऐसा होगा कि जो साधारण टिनेन्सी एक्ट के अनुसार गवर्न होंगे। इस प्रकार से एक डिस्क्रिमिनेशन जो, संविधान के भी विपरीत है, इस क्लॉज़ को पास करके पैदा करने जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष, इसमें लिखा है कि यदि कन्डीशन्स वेव करते हैं तो तहसीलदार जो एक्शन टिनेन्सी एक्ट की क्लॉज़ १७५ और १७७ के अनुसार ले सकता था और जो वह कार्यवाही कर सकता था वह नहीं कर सकेगा। यह आपके देखने का प्रश्न है कि जो कन्डीशन्स, १७५ और १७७ में रखी हैं वह इससे कहां तक कोरिलेटेड हैं। यदि वे कोरिलेटेड हैं तो फिर टिनेन्सी एक्ट की धारा १७५ और १७७ के अनुसार ही गवर्न होना चाहिए। फिर यह क्या बात है कि भूदान यज्ञ बोर्ड लिखे और उसके अनुसार ही माली अधिकारी कुछ कार्यवाही करने की दशा में हो और बोर्ड कुछ न लिखे तब तक माली अधिकारी कुछ कार्यवाही करे ही नहीं। तो इस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, यह डिस्क्रिमिनेटर क्लॉज़ हो जाता है। और पास करने के लिए इतना जोर दिया जा रहा है इसलिए शंका पैदा हो गई है कि एक नये वर्ग के लोगों को राजस्थान में पनपाना चाहते हैं, उस वर्ग के लोग इस काम के लिए होंगे कि एक पार्टी विशेष को वे फेवर करेंगे और उन पर साधारण टिनेन्सी एक्ट लागू नहीं होगा और न दूसरे प्रकार के कानून ही। बोर्ड कुछ न लिखे तब तक वे हर प्रकार से स्वतन्त्र होंगे और वे टिनेन्सी एक्ट से गवर्न नहीं होंगे। तो यह शंका जो की जा रही है कि एक पार्टी विशेष को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको पनपाया जा रहा है, अपने कृपा पात्रों को सहूलियतें देने की तैयारी की जा रही है वह अधिक पुष्ट हो जाती है। इसलिए उपाध्यक्ष, महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज़ पास नहीं होना चाहिये और सुपरफ्लुअस और रिडन्डेन्ट तो यह है ही। जब सब किसानों के साथ कन्डीशन्स वही हैं जो कि टिनेन्सी एक्ट के क्लॉज़ १७५ और १७७ में प्रोवाइडेड हैं, उनमें मौजूद हैं तो फिर यह सुपरफ्लुअस है, रिडेन्डेन्ट है। इस क्लॉज़ को यहां भूदान बिल में रखने की क्या आवश्यकता है? केवल एक पार्टी विशेष के व्यक्तियों को विशेष प्रकार की सहूलियतें देने के वास्ते, एक पार्टी विशेष के अनुयायी पैदा करने के वास्ते यह प्रोविजन करना चाहते हैं जो नितान्त अनुचित है और इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा और सदन से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेटरी क्लॉज़ को पास नहीं करना चाहिये।

राज श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ छः इस अमेन्डमेन्ट बिल का उपस्थित हुआ है और उस पर वादविवाद हो रहा है। मैं इस विषय में यह निवेदन करूंगा कि

[श्री हिम्मतसिंह]

भूदान यज्ञ के प्रिन्सिपल्स अगर वह देखे जावे तो वह यह है कि किस तरह से जमीन एक्वायर करके, दान में ले करके, उन लैंडलेस आदमियों को जमीनें एलॉट की जावें जिनके पास जमीनें नहीं हैं। यहां तक भूदान यज्ञ का जो एक्ट बना है उसकी मंशा ठीक मालूम होती है। उसके आगे भूदान यज्ञ बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। एक दफा जमीन एक्वायर करके तकसीम कर दी गई, उसके बाद फिर भूदान यज्ञ बोर्ड के पास कोई काम नहीं रहता है फिर तो सरकार की ड्यूटी आजाती है कि स्टेट गवर्नमेंट देखे कि जिन कन्डीशन्स पर जमीन दी गई है वे कन्डीशन्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं। अगर भूदान यज्ञ वाले यह देखें और भूदान यज्ञ के बोर्ड वाले यह देखें कि कन्डीशन्स फुलफिल होती हैं या नहीं तो मैं यह कहूँगा कि यह उनके लिए नामुमकिन काम है। भूदान बोर्ड के पास ऐसी मशीनरी नहीं होगी कि हर गांव में जाकर देखें कि किन किन कन्डीशन्स पर किन किनी को जमीन दी है और वे कन्डीशन्स कहां कहां फुलफिल हो रही हैं। यह तो कानूनगो और पटवार का काम होगा कि जिन कन्डीशन्स पर जमीन दी है वे कन्डीशन्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं। इसमें यह प्रोविज़न रखा गया है कि बोर्ड की एप्लीकेशन पर तहसीलदार कार्यवाही करे तो मैं कहता हूँ कि इससे ठीक तरह से कार्यवाही नहीं होगी।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

बोर्ड को पता नहीं है कि किस तरह से कन्डीशन्स फुलफिल हो रही हैं। उनकी तो रेस्पोन्सिबिलटी वहां तक सीज़ हो जाती है कि जब जमीनें लोगों को दे दें।

और अब तो गवर्नमेंट की रेस्पोन्सिबिलेटी रह जाती है कि जिन कंडीशन्स में जमीन दी है वे फुलफिल होती हैं या नहीं। मैं यह चाहता हूँ कि मंत्रीजी इस पर विचार करें। दरअसल में जो अमेन्डमेन्ट लाया गया है वह प्रेक्टिकेबल होगा या नहीं, क्यों कि एप्लीकेशन बोर्ड की तरफ से होने के लिए तो बोर्ड के पास साधन नहीं हैं पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन किस तरह से देंगे। यह तो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिये। इजेक्ट होने के बाद किस तरह से दी जायगी। लेकिन जिस काश्तकार को इजेक्ट करना है उसके लिए बोर्ड की तरफ से एप्लीकेशन देना वास्तव में ठीक बात नहीं होगी। तहसीलदार या पटवारी, कानूनगो की तरफ से ऐसा सुझाव आना चाहिये कि जमीन दी गई वह इसमें नहीं आती इसलिए इजेक्ट किया जाय। मैं समझता हूँ इस क्लॉज़ को अभी डेफर कर दिया जाय और सोच समझकर दूसरा Amendment लावें ताकि काम पूरा हो सके।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—चेयरमेन महोदय, यह जो संशोधन है मैं उसका विरोध करना चाहता हूँ ...

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—First I would like to know whether the Minister concerned want to defer this claus.?

श्री द्वारकादास पुरोहित—No Sir, not at all.

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—चेयरमेन महोदय, जब कोई संशोधन बिल सदन में लाया जाता है तब उसकी मंशा यह होती है कि जो प्रिन्सिपल एक्ट पास किया गया है उसको सुधारा जाय। मैं उम्मेद करता हूँ मंत्री जो जब उत्तर देंगे तब बताने की कोशिश करेंगे कि इस बिल में कौनसा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जहां तक मैंने इसकी क्लॉज़ देखी है इसमें मुझे कोई इम्प्रूवमेन्ट नजर नहीं आता। इसके जरिये हम यह व्यवस्था करने जा रहे हैं कि मान लीजिये किसी प्रकार से भूदान के जरियेकिसी को जमीन मिलती है और उस पर वह २ साल तक काश्त नहीं करता है और पड़त रहती है या वह किसी को ट्रान्सफर कर देते हैं तो ऐसी हालत में बोर्ड के पास से एप्लीकेशन आने पर ही उसके खिलाफ कार्यवाही करने का तरीका काम में लाया जायगा। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि यह कैसे हो सकता है मैं यह समझता हूँ कि किसी को जमीन दी जाती है तो इस बेसिस पर दी जाती है कि वह उस पर काश्त करे। यदि वह आदमी जमीन को पड़त रखता है तो दो तरह के नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो यह होगा कि लगान नहीं मिलेगी और दूसरा नुकसान यह है कि धान की उपज नहीं होने से देश को नुक्सान होगा। इसलिए हम यह चाहते हैं कि जो जमीन किसी को दी जाती है उसका समान रूप से उपयोग हो और जो लगान सरकार को मिलना चाहिये वह मिलता रहे। यहीं सिद्धांत हमने अपनाया है और इसी सिद्धांत के कारण लैंड युटिलाइजेशन का कानून भी बनाया है जब इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है तो फिर समझ में नहीं आता कि इस सिद्धांत के प्रतिकूल क्यों चला जा रहा है। जब हमने (क) सिद्धांत को स्वीकार किया है तो उसका पालन करना पड़ेगा। हमें यह करना पड़ेगा कि यदि भूदान के जरिये किसी को जमीन मिलती है और वह यदि २ साल तक जमीन को पड़त रहता है या उस पर काश्त नहीं करता है या किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है तो उस तहसील के तहसीलदार को यह अधिकार होना चाहिये कि वह फौरन उसको बेदखल करदे यदि इसको Board पर ही छोड़ेंगे तो land utilization के सिद्धांत को कुचला जायगा और देश को सामूहिक नुक्सान होगा। इस पहलू पर विचार करना चाहिये।

श्री हनुवंतसिंह—चेयरमेन महोदय, कौरम नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी (जारी)—इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर अच्छी तरह से सोच विचार करें और जो दृष्टिकोण मैंने और दूसरे सदस्यों ने रखा है उस पर मनन करें और उसके बाद सदन में माकूल जवाब दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय चेयरमैन, यह संशोधन सदन के सामने आया है क्लॉज़ ६ पर और क्लॉज़ २५ के अन्दर जो लिखा है, बोर्ड को जो अधिकार दिये गये हैं इस क्लॉज़ के अन्तर्गत, उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। माननीय चेयरमेन, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि आज सब लोग जितने बोर्ड में हों और सरकार के अन्दर हैं वे सारे के सारे एक ही तरह का दिमाग

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

रखते हों, यह बात नहीं है। प्रत्येक बोर्ड का कोई न कोई सदस्य गल्ती कर सकता है और जो सरकार चलाते हैं वे भी गल्ती कर सकते हैं...

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—If the Government is earnest to pass the Bill they should see that there is quorum in the House.

(गणपूरक घण्टी के पश्चात्)

The hon'ble member should continue.

श्री मुक्तिलाल मोदी— माननीय चैयरमैन, इस क्लॉज के अन्दर क्लॉज़ १५ में जो लिखा है कि बोर्ड की एप्लीकेशन आवे तब उस जमीन के ऊपर से इसको हटा दिया जायगा। माननीय चेयरमैन, मैं आपके जरिये मंत्रीजी को बताना चाहता हूँ कि बहुत सी जमीन है जो भूदान के अन्दर लोगों ने दी और भूदान वालों ने दूसरे लोगों को सबलेट करदी। लेकिन उसके बावजूद भी आज उसमें से बहुत सी जमीन पर काश्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि कोई जमीन देने वाला जागीरदार या जमींदार, क्योंकि जमीन दो ही आदमी के पास होती है और व्यापारियों और दूसरे धंधेवालों के पास तो जमीन नहीं होती है। भूदान में इस तरह के फार्म भरे जाते हैं। एक कश्तकार भूदान का फार्म भर कर अपने नाम पर जमीन ले लेता है तो उस जमीन पर वही काश्तकार काश्त कर सकता है। लेकिन उसके पास दूसरी जमीन होते हुए भी वह भूदान वालों से जमीन ले तो कुछ जमीन खराब भी हो सकती है। कोई जमीन जब बोर्ड द्वारा लोगों को दी गई है उसमें भी आज कोई तरह की गड़बड़ हो रही है। वह जमीन योंही पड़ी रहती है और उसका किसी तरह का लगान वसूल नहीं होता है और दो साल बाद कहते हैं कि जो भूदान में जमीन दी मैं उसको छोड़ता हूं। तहसीलदार को उसके बारे में पोवर है। इस धारा २५ से वह पोवर छीन ली जाती है तो भूदान बोर्ड क्या करेगा। बोर्ड को क्या पता लगेगा कि कौनसी जमीन हो बिना काश्त पडी है। बोर्ड लिखेगा तब तहसीलदार करेगा। तो तहसीलदार पर क्या पाबन्दी रहेगी ? साल दोसाल या तीन साल तक पड़ी रहने पर पता चला तो इतना समय यों ही बीत जायगा। तहसीलदार ही पाबन्दी करा सकता है न कि बोर्ड। इसलिये मैं तो ऐसा मानता हूं कि आज सरकार को अधिकार होगा, तहसीलदार को अधिकार होगा कि जो काश्त नहीं करता है, लगान नहीं देता है तो उसको इजेक्ट किया जा सकता है। चेयरमेन महोदय, जो आदमी भूदान बोर्ड को जमीन देते हैं और जो फार्म भरकर जमीन लेते हैं यदि उसी के नाम जमीन कर देते हैं तो उसने तीन साल भी लगान नहीं दिया तो सरकार क्या करेगी। लगान नहीं देनेवाले इस तरह के कई लोग मिल जायेंगे। यह कानून की क्लाजेज़ पास होगीं तो मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ज्यादा काश्तकार इस तरह के होंगे और पचासों मुकदमे चलेंगे। दो तीन साल हो क्या २५ साल तक की वसूली नहीं होगी। आज भी सरकार के लाखों रूपये लोगों में बकाया हैं तकावी के और रेवेन्यू लगान के जिनके लिये टेलीफोन

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

जाते हैं इस साल वसूल नहीं किये जावें अगले साल किये जावें। पीछे वसूल किया जायगा तो इस प्रकार फिर भूदान बोर्ड वालों के पास बड़े बड़े टेलीफोन आयेंगे और इस तरह एक दो साल तक यों ही टल सकता है, फिर मुकदमें चलेंगे सरकार के वकील होगें, और इस प्रकार सरकार का खर्चा होगा। तो माननीय मंत्री महोदय सोचें कि इससे सरकार को कितना नुक्सान होगा और आपके पास क्या अधिकार है कि भूदान वालों को आप कह सकें कि इतने समय से लगान नहीं दिया है तो आपको तुरन्त लिखना पड़ेगा। यह जो भूदान बिल बनाया है उसमें यह चीज नहीं हैं, और न आप भूदान वालों पर दबाव डाल सकते हैं। तहसीलदार के ऊपर आपका पूरा दबाव है, इसलिये माननीय चेयरमेन, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को न लें, नहीं तो बड़ी गड़-बड़ होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय चेयरमेन, वैसे तो इस क्लॉज़ पर काफी बहस हो गई है और जो अमेंडमेंट मैं लाया हूँ उसको माननीय सदस्यों ने गलत समझा है, जो क्लॉज़ पहले है उसको और इसको मुलाहिजा करेंगे तो पता लगेगा कि इसमें सिवाय इसके कि, इसको राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुकूल बनाया जाय, और विशेष कुछ नहीं किया गया है, लैंग्वेज़ का इम्प्रूवमेंट है, वरना और कोई खास फरक नहीं है।

यह कहना कि भूदान बोर्ड को यह अधिकार नहीं देना चाहिये कि वे दरख्वास्त दें तब इजेक्टमेंट हो। भूदान एक्ट के तहत में जो जमीन एलोट करते हैं, उसके मातेहत टीनेन्ट्स पर कुछ पाबन्दियां लगाते हैं तो यह कहां तक ठीक होगा कि उन्हें यह अधिकार न दें। यह अमेंडमेंट बहुत सोच समझकर रखा गया है। कोई ब्रीच ऑफ कन्डीशन्स करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने रेवेन्यु मशिनरी को मूव करने के लिए अगर कोई उपयुक्त संस्था हो सकती है तो वह भूदान बोर्ड ही हो सकती है।

मैं माननीय सदस्य की एक बात को एप्रेशियेट करता हूँ। हो सकता है कि इससे कुछ कुछ हार्डशिप्स लेण्ड होल्डर्स को लगान के बारे में हो सकती है, और भूदान बोर्ड वाले उसको बेदखल करने की कोशिश नहीं करें तो माननीय चेयरमेन, मैं आपकी आज्ञा से मौजूदा क्लॉज़ है उसमें (ए) टू एफ के बजाय (ए) टू (ई) "from (a) to (e) in section 24" इन्सर्ट कर दिया जाय और इस अमेंडमेंट के साथ इसे पास करें।

क्लॉज़ ६ के अन्दर जहां यह लिखा हुआ है :

"If any holder of Bhoodan land commits a breach of any of the condition from (a) to (f) in section 24" वहां (ए) टू (ई) कर दिया जाय। "from (a) to (e) in section 24, he will on the application of the Board"

[श्री दामोदरलाल व्यास]

I think that will serve the purpose.

माननीय सदस्यों के दिमाग में जो एक तरह का डर पैदा हो गया है कि नोन पेमेंट ऑफ रेंट से भी उसका इजेक्टमेंट नहीं होगा। मेरे खयाल से हो जायगा। जहां : non-payment of rent का सवाल है ordinary tenancy law will prevail.

यहां भूदान का यह क्लॉज़ एप्लाई नहीं होगा। इसलिए अब फिर इसमें डरने की बात नहीं है। ordinary tenancy law will prevail. from (a) to (e) हो जाता है।

The general provision will apply to all such cases. First my amendment may be put to vote and then the original clause bedoted.

श्री भैरोंसिंह—अमेंडमेंट क्या है ?

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—अमेंडमेंट यह है कि जहां तीसरी लाइन में (ए) टू (एफ) है उसके साथ ब्रेकेट्स एन्ड लेटर्स के साथ (ए) टू (ई) रहेगा।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय चेयरमेन, मुझे इसमें कुछ निवेदन करना है।

श्री सभापति—बतौर Explanation के आप कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय चेयरमेन, अभी माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने संशोधन प्रस्तुत किया और उसके सम्बन्ध में एक बात जो कही थी कि टिनेन्सी एक्ट के प्रोविजन्स लागू होंगे उनके कारण से बाधा उपस्थित हो सकती है, उस बाधा को दूर करने के लिए संशोधन का वह भाग स्वीकार किया पर जहां उन्होंने ए. टू एफ है, इन चार कन्डीशन्स में यह लाजमी रखा कि बोर्ड की एप्लीकेशन पर ही कार्यवाही हो सकती है। वहां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक बात उन्होंने ऐसी छोड़ दी है जिसका राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में प्रोविजन है, वह है इसका भाग ई। ई में है :

"The lessee shall not allow the land to lie fallow for a period of in excess of two years:"

बहुत मुमकिन है कि मेरी याद्र कुछ गलत हो, लेकिन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में भी हमने इस प्रकार की एक व्यवस्था की है। मैं तो समझता हूं राजस्थान टिनेन्सी एक्ट मुझे दिया जाय तो बता सकता हूं। टिनेन्सी एक्ट में फोलो लैंड के लिए व्यवस्था की है कि इतने समय तक

[श्री भैरूंसिंह]

वह पड़ी नहीं रह सकती, टिनेन्सी बिल पास होने पर राजस्थान युटेलाइजेशन बिल को रिपोल किया है। वैसी सूरत में मैं यह अर्ज करूंगा कि लगान न देने की सूरत में बेदखली का है, दो साल से अधिक पड़त रहने की सूरत में भी बेदखली करने का है। इसलिए ई. को ऐक्सक्ल्यूड कर दें तो ठीक होगा क्योंकि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में यह कार्यवाही करेंगे तो ए में है:

"The lessee shall be entitled to hold the land as such, so long as it continues vested in the Board,"

"(b) The lease hold rights shall on the death of the holder pass to his heirs:"

लेकिन तीसरा है :

"(c) The lessee shall not transfar any interest in the land:"

जब इसमें ऐसी कौनसी दिक्कत आती है कि इसके कारण हमें बोर्ड को पूछना पड़े। बोर्ड तो यह हिस्सा दे रहा है।

श्री सभापति—The hon'ble member will confine his speech only to part (e).

श्री भैरोंसिंह—जो संशोधन आपने प्रस्तुत किया है उसके विरोध में कह रहा हूं, यह कह कर कि जो यह संशोधन है वह नाकाफी है, क्यों है? इसलिए है कि ए. बी. सी. डी. का उल्लेख किया है। (ई) के साथ साथ (बी) के लिए अर्ज कर रहा था कि....

"(d) The lessee shall not sublet the land without the previous sanction of the Board:"

अब बोर्ड की ऐसी मंशा है कि जिस व्यक्ति को जमीन काश्त के लिये दी जाय, वह काश्त करे। वह अगर नहीं करता है, दूसरा काश्त कर रहा है उसकी सूचना कौन देगा। उसका वकील तो वहां पर कोई नहीं है। उसको निगरानी कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। उसकी देखभाल करने व व्यवस्था करने की मशीनरी है वह है रेवेन्यु ओफिसर्स और उसमें आता है तहसीलदार जिसकी डाइरेक्ट रेस्पोन्सिबिलीटी है। तहसीलदार यहां पर इसलिए बैठा है कि भूदान बोर्ड की तरफ से कोई आदेश उसके पास नहीं आया है इसलिये वह कुछ कार्यवाही नहीं करेगा। मैं यह कहूंगा कि कोई व्यक्ति क्राइम करेगा या कोई क्राइम होगा तो क्या उसके लिए इस बात की इन्तजार करने की क्या जरूरत है कि उसके लिए अर्जी आवेगी या कोई आदेश

[श्री भैरोंसिंह]

आवेगा। कानूनन उसको जो पनिसमेंट मिलनी चाहिये वह मिलनी चाहिये। न्याय का तरीका अपनाया जाना चाहिये लेकिन यह बात यहां पर नहीं है। यदि कोई आदमी चोरी करता है तो क्या उसके लिए इस बात की इन्तजारी की जावेगी कि कलेक्टर का ऑर्डर आवेगा तो उसको गिरफ्तार किया जावेगा और बगैर कलेक्टर के आर्डर के उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि चोरी करना अपराध है और जब चोरी करना अपराध है तो चोर को सजा देने के लिये यह कहना कि बोर्ड की पर्मिशन के बिना उसको हम सबलेट नहीं कर सकते या उस व्यक्ति को इजेक्ट नहीं कर सकते जो काश्त करता है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि जहां पर ब्रीच आफ प्रिविलेज हो तो उसको बेदखल करना चाहिये। जहां तक बोर्ड का सवाल है अभी मैंने उसका उल्लेख किया है।

अब प्रश्न आता है :

"(c) The lessee shall not transfer any interest in the land;"

अब यदि वह अपना इन्ट्रेस्ट ट्रान्सफर करता है और तहसीलदार को सूचना मिलती है और वह फिर बोर्ड के आदेश का इन्तजार करेगा। जब हमने कन्डिशन्स उसमें प्रेस्काइब्ड की हैं तो हम इस बात को मानते हैं कि उनको तामील हो। अगर उसका ब्रीच होता है तो मैं यह कहूंगा कि जल्दी से जल्दी ब्रीच करने वाले व्यक्ति को सजा दी जानी चाहिये। हमने सिर्फ यह व्यवस्था की है कि बोर्ड की तरफ से आदेश आने पर उसको बेदखल कर दिया जावे। यदि बोर्ड को किसी प्रकार की सूचना नहीं हो और वह इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकता कि तहसीलदार को सूचना दे तो तहसीलदार उसको बेदखल नहीं करेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस क्लाज़ में जो प्रोविजन रखा है वह बिल्कुल गलत है।

यदि तहसीलदार को इस प्रकार की इत्तिला मिल जावे तो तहसीलदार का यह फर्ज होना चाहिये कि वह सूवो मोटो कार्यवाही कर सके। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो संशोधित विचार धारा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसको स्वीकार करें। मैं उसको उनके सामने पेश कर रहा हूं।

अब मैं टीनेन्सी एक्ट के बारे में यहां पर नहीं कहना चाहता क्योंकि वह उपयुक्त नहीं होगा। इसलिये अब मैं यही निवेदन करूंगा कि तहसीलदार को सूवो मोटो ऐसे अधिकार होने चाहिये। यदि बोर्ड चाहे तो एप्लीकेशन दे सकता है। यदि दोनों चीजें स्वीकार कर लेते हैं तो यह एक प्रकार की बहुत अच्छी चीज होगी।

श्री मानसिंह महार— माननीय चेयरमेन, मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री सभापति—इस पर काफी वाद विवाद हो चुका है। मैं उचित समझता हूं कि इसको अब प्रश्न के रुप में रखा जाए।

श्री मानसिंह महार—मैं इस एमेंडमेंट का विरोध करना चाहता हूं।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय चेयरमेन, इस पर थोड़ा बोलने की इजाज़त दी जानी चाहिये। जब एप्लीकेशन के बारें में सुझाव दिये गये थे उस समय माननीय मंत्री महोदय ने वैसे ही टाल दिये। यह तो तहसील का काम है। इसको तो सूवोमोटो तहसीलदार को ही मूव करना चाहिये और वह कर सकता है।

श्री सभापति—दो मिनिट में आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री मानसिंह महर—माननीय चेयरमेन, मैं अपना भाषण जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा। मैं सदन के समक्ष राजस्व मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसकी भावना की तो मैं कदर करता हूँ लेकिन उसको मैं बहुत ही अनुपयुक्त मानता हूँ। मैं यह समझता था कि माननीय मंत्रीजी के दिमाग में हमने जो सुझाव रखें हैं वे कुछ हद तक आ गये हैं और वे इस प्रकार का एमेंडमेंट पेश करेंगे जो रिजनेबल होगा लेकिन जब हमने एक ही पोइन्ट पर चेयरमेन जोर दिया तो उस पर्टीकुलर पोइन्ट को मन्जूर कर लिया क्योंकि लेन्ड रेवेन्यू का वह मामला था और वह इसलिए मन्जूर कर लिया कि रेवेन्यु वसूल नहीं हो और अराजकता फैलेगी इसमें एक तो :

"(c) The lessee shall not transfer any interest in the land."

इसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको बहुत जल्दी की क्या वजह है। लेन्ड के मामले में इन्ट्रेस्टेड हो उसको कानूनी तरीके से ट्रान्सफर करना चाहिये समझ में नहीं आता कि भूदान बोर्ड इस मामले में क्यों रोड़ा अटकाता है। यदि कोई व्यक्ति जिसके कोई औलाद वगैरा नहीं है और वह अपने इन्ट्रेस्ट को किसी ऐसे आदमी को ट्रान्सफर करना चाहता है जिसके पास जमीन नहीं है और जिसको वह उचित समझता है या वह अपने जवांई के नाम ट्रान्सफर करना चाहता है तो इसमें बोर्ड को क्या एतराज हो सकता है। ऐसा क्योंकि वह इसके लिए बोर्ड की इजाजत ले, क्यों ले वह बोर्ड की इजाजत। जब किसी आदमी को जमीन पर हक देते हैं तो फिर उसको इस प्रकार के हक क्यों नहीं होने चाहिये। जब हमने टीनेन्सी एक्ट में इस प्रकार के हक दिये हैं और जिसको वह ट्रान्सफर करता है वह हकदार होता है तो फिर भूदान की जमीन में जिसको जमीन दी जावे उसको वही हक मिल जाता है जो खातेदारी का होता है। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि यह हक तो उसको होना चाहिये। यदि इसको हटा दिया जावेगा तो बड़ा अन्याय होगा।

दूसरी चीज यह है :

[श्री मानसिंह महार]

(e) The lessee shall not allow the land to lie fallow for a period in excess of two years."

मैं यह समझता हूं कि इस बारे में भी हमारे पास कानून मौजूद पहले से हैं। यदि हम इस प्रकार की बात रखेंगे तो यह कान्ट्राडिक्ट्री बात होगी। यदि इस प्रकार की कान्ट्राडिक्ट्री धाराएं रखती है तो मैं यह कहूंगा कि इसके लिए एक ही बात मानता हूं कि सरकार की नियत यह है कि कोन्ट्राडिक्ट्री कानून बना कर मुकदमें बाजी बढाई जावें। (घंटी) जिससे वकीलों को पैसा पैदा हो और काम मिले।

(घंटी)

कानून ऐसे मिनिस्टरों के जरिये बनाये जा रहे हैं जो वकील रह चुके हैं और आयन्दा भ वकील रहना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि वकालत करनी पड़े तो उसके लिए इस प्रकार के कोन्ट्राडिक्ट्री कानून होंगे तो लिटिगेशन बढेगा। इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे जनता को परेशानी होगी। हम तो यह समझते हैं कि पब्लिक को व काश्तकारों को राहत मिले और उनका हित हो और उनके हित के लिये यह वाजिब है कि मुकदमाबाजी जल्दी से जल्दी कम हो। कानून ऐसे बनाए जावें जिससे मुकदमाबाजी कम हो। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि (एफ) को लोप करने की जो बात है उसको सदन ना मंजूर करे। इसको हमें गिरा देना चाहिए क्योंकि यह कोई राहत पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो एमेंडमेंट श्री दामोदरलालजी (राजस्व मंत्री) ने रखा है वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ संशोधित रूप से स्वीकार किया जावे?

(स्वीकृत)

खण्ड ६ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बना।

(विराम)

[श्री सभापति]

खण्ड ७ व ८

श्री भैंरूसिंह—८ पर कुछ कहना है।

श्री सभापति—क्लॉज़ ८ पर कोई अमेंडमेंट तो है नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड ७ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ५४

श्री भैंरूसिंह—चेयरमेन महोदय, मूल धारा ३२ में है "Power to make rules" इसमें यह संशोधन है : In sub-section (2) of section 32 of the principal Act, clause (e) and (p) shall be omitted.

आगे ई है :

"(e) The nature, scope and manner of the enquiry under section 15."

सेक्शन १५ को डिलीट करने के बारे में संशोधन आया था उसके अनुसार अगर यह क्लॉज़ यों का यों रह गया तो इसका (ई) पार्ट है उसको यों ही रखना पड़ेगा।

श्री सभापति—Whether the Government has any thing to say regarding this ?

श्री दामोदरलाल व्यास—That is right, Sir.

यह ठीक है, यह कोन्सीक्वेन्शल अमेंडमेंट है धारा १५ को डिलीट करने का। (e) should be deleted.

श्री सभापति—What is your amendment ?

श्री दामोदरलाल व्यास—'(p)तो रहेगा Out of this in cause 8 the clause (e) should be delete.

श्री भैरोंसिंह—इतने शब्द इसमें से निकल जायेंगे (एस) (ई) और (एन्ड)।

श्री सभापति—I would like the hon'ble Minister to read the redrafted clause.

श्रीदामोदरलाल व्यास—"Is sub-section (2) of section 32 of the principal Act sub-clause (e) shall be omitted."

श्री सभापति—हिन्दी पढ़िए अमेंडमेंट बिल की।

श्री दामोदरलाल व्यास—सभापति महोदय, मूल एक्ट की धारा ३२ की उपधारा (२) में खन्ड (ई) विलोपित कर दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह—सभापति महोदय, इसमें फिर भी थोड़ी सी कसर रह जायगी, इस क्लॉज़ में से (एस), (ई) और (एन्ड) निकल जायेंगे।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ में जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने रखा है कि क्लॉज़ ८ में से (ई) विलोपित किये जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ में संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १, टाइटल व इनेक्टिंग फोर्मुला।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल व इनेक्टिंग फोर्मुला स्वीकृत हो।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, टाइटल व इनेक्टिंग फोर्मुला विधेयक के अंग बने।

श्री दामोदरलाल व्यास—सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को पास किया जाय।

श्री सभापति—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मानसिंह महार—चेयरमेन महोदय, राजस्थान भूदान यज्ञ (अमेन्डमेन्ड) बिल, १९५६ के तृतीय वाचन पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधित कानून के अन्दर कुछ ऐसी त्रुटियां रह गई हैं जिनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना बहुत जरुरी है। मैं यह समझता हूं कि इस बिल के अन्दर दो-तीन बातें इस प्रकार की स्वीकार की गई हैं जिससे मूल बिल में अमेन्डेड बिल में काफी परिवर्तन होगा शायद उस पर रिडिस्कशन नहीं किया जायगा। चेयरमेन महोदय, आपने इसको लेने के लिये आज्ञा प्रदान की है इसलिये हमको मजबूरन तृतीय वाचन पर बोलने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है।

चेयरमेन महोदय, अभी हमने थोड़ी देर पहले निवेदन किया था कि इस कानून के अन्दर जो क्लॉज् ६ है अमेन्डेड बिल के क्लॉज् ६ के अनुसार जो धारा २५ को अमेन्ड किया गया है वह धारा सिद्धान्ततः बहुत गलत धारा है। हमने जो इस धारा के अन्दर बातें कहीं थीं उसका कुछ गलत अर्थ लगाया गया है, चेयरमेन महोदय, मैं ऐसा मानता हूं। जो धारा ६ के अन्दर एक अमेन्डमेन्ट माननीय मंत्री जी ने मन्जूर किया उसके बारे में मैं यह समझता हूं कि वह महज इसलिये किया गया है कि गवर्नमेन्ट को लेन्ड रेकर्ड न मिले, वैसी सूरत में काश्तकारों को इजेक्ट कर सकते हैं। चेयरमेन महोदय, हमारी नीयत में कभी किसी प्रकार की बात नहीं थी कि हम इस धारा को लोप करने का सुझाव दे रहे हैं। हम तो केवल इस नीयत से यह अधिकार देते हैं कि गवर्नमेंन्ट अपनी सहूलियत के लिये ऐसी कार्यवाही करे। मैं यह मानता हूं चेयरमेन महोदय, हमने जो सुझाव इस धारा को विलोपित करने का रखा था उससे हम यह चाहते थे कि जो अधिकार सरकार बोर्ड को देना चाहती है कि बोर्ड किसी प्रकार के इजेक्टमेन्ट ओफ लेन्ड हो, उसमें भूदान बोर्ड पहली ओथोरिटी है उसको हम लोग कभी मानने के लिये तैयार नहीं। हमारा मानना यह था कि यह अधिकार सरकार के हाथ में होने चाहिये। यहां यह कह देना कि भूदान बोर्ड ओफिशियल बोर्ड है, कोई बेजा बात नहीं होगी। आज मुमकिन है इस बोर्ड के अन्दर हमारे ऊंचे ऊंचे नेतागण आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाशनारायण जैसे व्यक्ति हों, इस प्रकार के दो चार आदमी हो सकते हैं। वास्तविकता यह है कि इस बोर्ड के अन्दर केवल वे ही आदमी हैं जो कांग्रेस पार्टी के कहिए, कांग्रेसी सरकार के कहिये या सत्तारुढ दल के कहिये जिनको कहीं प्रोवाइड नहीं कर सके हैं उनको प्रोवाइड करने के लिये यह भूदान बोर्ड बनाया गया है। जो कोई असन्तुष्ट होता दिखता है उसको भूदान बोर्ड वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। वास्तविकता यह है भूदान बोर्ड की, चेयरमेन महोदय। भूदान बोर्ड सरकार का ही ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर कि हम काश्तकारों के भाग्य को छोड़ सकें। मेरी यह मान्यता है कि अगर सरकारी अफसरान जैसी कोई चीज होती, तो इन्डिपेन्डेन्ट होती, हम किसी हद तक मान्य कर सकते थे। नोन ओफिशियल बोर्ड पर इतनी भारी जिम्मेदारी छोड़ना मैं बहुत अन्याय पूर्ण मानता हूं। इसके अलावा चेयरमेन

Page No 90

[श्री मानसिंह महार]

महोदय हम यह भी नहीं कह सकते कि वर्तमान में जो बोर्ड का परसोनल है वही कायम रहेगा, उसमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं होगा। जहां हम तहसीलदारों के लिये राजस्थान में देखते हैं, हर महीने तहसीलदारों की बदली हुआ करती है, हर छठे महिने तो तहसीलदार बदलते ही हैं। चेयरमेन महोदय, मैं अपने जमवारामगढ़ की मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ जहां दो महीने के अन्दर अन्दर छः तहसीलदार बदले जा चुके, आमेर सब डिविजन में चार एस डी. ओ. बदले जा चुके इन दो तीन महीने के अरसे में। मैं समझता हूँ इसी प्रकार की बातें इस भूदान बोर्ड में होगी इसलिए इस बोर्ड को जो क्लॉज़ २५ के तहत अधिकार दिये गये हैं, मैं उनका विरोध करता हूं और जोरदार शब्दों में विरोध करता हूं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजमेन्ट में जिन व्यक्तियों को छः साल के लिए डिबार किया गया।

(घंटी)

बिलकुल टू दी पोइन्ट। अब उनको बोर्ड में ओप्ट कर दिया जावेगा। आप मेरी बात तो सुनिये। आज हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय जो यहां से हट जावेंगे, करप्ट प्रेक्टिस में हटे हैं; वे छः साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, न वोट दे सकेंगे...

श्री सभापति (जवानसिंह)—अप्रासंगिक न बोलें।

श्री मानसिंह महार—बिलकुल प्रसंग युक्त बात कर रहा हूं चेयरमेन महोदय। छः वर्षों तक के लिये वे हटा दिये गये हैं। अब वे मिनिस्टर नहीं रह सकते, असेम्बली का चुनाव नहीं लड़ सकते तो भी कोई बात नहीं, वह भूदान बोर्ड में लगा दिये जावेंगे। यह फैक्ट है चेयरमेन महोदय, आप देख लीजिये। हमारी डिफीकल्टी को आप तो अवश्य ध्यान में रक्खेंगे। ऐसे करप्ट प्रेक्टिस के आदमी को हम भूदान में कैसे रख सकते हैं?

श्री सभापति—जिस वक्त में बोर्ड के मेम्बर बनें तब इसका ऐतराज करें।

श्री मानसिंह महार—चेयरमेन महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वे जिस रोज चाहें उसी रोज ओप्ट कर सकते हैं, इसकी क्या बात है? इसमें ऐसा तो कोई प्रोवीजन नहीं है कि इस प्रकार के मतदान से भी डिबार आदमी होगा तो बोर्ड का मेम्बर नहीं हो सकता या ऐसी करप्ट प्रेक्टिस वाला आदमी बोर्ड का मेम्बर नहीं बन सकता ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है कि ऐसा कोई आदमी नहीं हो सकता या कि डिसमिस्ड गवर्नमेंट सरवेन्ट सदस्य नहीं हो सकता। इसमें तो सभी हो सकते हैं!

श्री कंवरलाल जेलिया—यह क्या सपना आ रहा है आपको?

श्री भैरूंसिंह—आपकी तबियत तो बहुत खुश हो रही है इस बात से।

श्री मानसिंह महार—मैं न किसी को खुश करने के लिये कह रहा हूं और न किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिये कह रहा हूं। मैं तो चेयरमैन महोदय, आपके जरिये और मन्त्रीजी का भी और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस भूदान बोर्ड को वे जितना उच्च समझते हैं वह उतना उच्च नहीं है। हम यह समझते हैं कि, मैं तो व्यक्तिगत नामों पर तो जाना पसन्द नहीं करता हूं, चेयरमैन महोदय। नहीं तो मैं बोर्ड के नामज़द जितने भी व्यक्ति हैं उन सबकी क्वालिफिकेशन्स बता सकता हूं। आप इससे नाखुश होंगे अगर बताऊंगा तो इसलिए आपको नाखुश करके कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं जनरल बात कह रहा हूं। यह सरासर अन्यायपूर्ण चीज़ होगी कि हमारे हजारों काश्तकारों का जिनकी आमदनी का जरिया एक मात्र जमीन है उनको ऐसे बोर्डों के हाथ में छोड़ दिया जावे कि जिनसे न्याय की कोई आशा न कर सके।

इस बोर्ड की रिकमन्डेशन के लिए एक नई बात और देखिये। तहसीलदार कोई रिकमन्डेशन करता है, या जितने भी टीनेन्सी के कानून हैं उनमें अपील मौजूद है। अपीलें हो सकती हैं। पर यहां पर आप देख लीजिये कि भूदान बोर्ड अगर किसी की सिफारिश कर देता है या कोई फैसला दे देता है और इसके तहत अगर कोई काश्तकार इजेक्ट हो जाता है तो उसकी अपील भी कहीं नहीं है। इसमें अपील का प्रोविज़न तक नहीं है। यह धारा कितनी खतरनाक है। यह भी ध्यान देने की बात है कि आज के इस युग में हम उस गरीब काश्तकार को अपील का भी हक न दें। अगर यह भी कहीं होता तो मान लेता कि यह न्यायोचित होगा। अगर इस बोर्ड में रेवेन्यू बोर्ड जैसे मेम्बर, अनुभवी व्यक्ति होते तो अगर अपील का प्रोवीजन न भी होता तो समझ में बात आ सकती थी। आज रेवेन्यू बोर्ड में एक हाई कोर्ट का जज है, सैशन कोर्ट का जज है या रेवेन्यू विभाग के रिटायर्ड मेम्बर हैं ऐसे योग्य आदमी उसमें बैठते हैं तो उसकी अपील नहीं हो तो यह न्यायोचित कहा जा सकता है। पर जिस भूदान बोर्ड में मिसाल दूं कि ऐसे आदमी बैठेंगे जैसे हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय जो कि करप्ट प्रेक्टिस के मामलों में ५ साल के लिए मतदान से भी वन्चित किए जा चुके हैं तो उससे क्या उम्मीद की जा सकेगी, क्या न्याय की आशा की जा सकेगी। इन मिनिस्टर महोदय का तो फिर भी स्तर उच्च गिना जा सकता है। इस बोर्ड में तो इनसे भी ज्यादा पार्टीबाजी में फंसे हुये आदमी बैठे हैं। ऐसी पार्टीबाजी से ओत प्रोत बोर्ड होता है उन को हम गांव वालों के भाग्य का फैसला देने के लिये फाइनल ओथोरिटी मुकर्रर कर देना वाजिब नहीं है। मैं यह समझता हूं कि आज के युग के अन्दर अगर भूदान बोर्ड को भी आप पॉवर देना चाहते हैं तो उसके फैसलों की अपील करने का हक भी जरूर होना चाहिये। अगर यह अपील कहीं आप प्रोवाइड करते हैं इस कानून में तो आज के युग में यह बात न्यायोचित होगी।

मैंने जिस समय उस धारा को लोप करने का प्रस्ताव देखा तो उन दोनों में इस अधिकार का जिक्र है वे वापिस तहसीलदार को दे देंगे। रेवेन्यू अधिकारी को यह अधिकार देने से अपील की भी बात चलती। सारी बातें कानूनी तरीके से जितने भी रेवेन्यू के कानून हैं उनके मातहत होती। हम तो यह समझ रहे थे कि उस बात को सरकार ने मंजूर कर लिया है। नहीं तो हम विरोध

[श्री मानसिंह महार]

करते। पर राजस्व मंत्री ने बड़ी तरकीब से जनता के फायदे की ओर ध्यान नही दिया। उन्होंने फायदा ढूंढ लिया कि लैंड रेवेन्यू तो ले लेंगे, यह मुबारिक हो उनको। मैं तो यह मानता हूं कि गवर्नमेंट में जाकर वे इतनी बात तो सीख सके। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। पर उन गरीब किसानों ने जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि हम सदन में आपको आनरेबल कहें। (हंसी) यहां बिठाया, उनको उस बोर्ड में छोड़ देते हैं उनसे निवेदन करें उनको हाथ जोड़े, और उनकी मनमानी के शिकार हों, उनकी पार्टी- बाजी के वे शिकार हों। क्या वजह है कि उन गरीब किसानों के हक आप उन्हें नहीं देते, उनको अपील का हक नहीं देते। आप गरीब किसान को यह अधिकार क्यों नहीं देते कि वह गरीब अपनी जमीन जिसको चाहे दे दें, बेचे नहीं पर देना चाहे तो दे दे। पर मैं जानता हूं, किसान की हालत गांव में। गांव में कई किसानों में भाइयों भाइयों में झगड़े होते हैं। एक किसान देखता है कि मेरा भाई शराबी है, बदचलन है अगर मेरे बाद मेरी जमीन का हक इसके पास जाता है तो वह इस जमीन को अपने पास कभी नहीं रख सकेगा और ऐसी सूरत में अगर वह किसान अपनी पुश्त को ठीक ढंग से चलाने के लिये अपने अधिकार किसी अच्छे काश्तकार के नाम कुछ समय के लिये कर देता है तो इसमें क्या हर्ज है जैसा कि हमारी हिन्दू जोइन्ट फेमिली की प्रणाली है। आज आप हिन्दू ला में भी हेर फेर कर सकते हैं पर माननीय चेयरमेन महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज के युग में हिन्दू ला में हेर फेर होने से ही हिन्दू ला पलट नहीं जायगा। हेरफेर होते ही कोई कनो हसनें नहीं हो जाती है। इसमें समय लगेगा। जोइन्ट फेमिली को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है इसमें कई वर्ष अभी लगेंगे। आज भी ऐसे भाई हैं जो बड़े भाई की आज्ञा शिरोधार्य करने को तैयार हैं। आन सब को बराबर नहीं देखते। आज एक भाई दूसरे भाई के लिये अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है। तो ऐसी सूरत में हमें चेयरमेन महोदय, इसे बहुत ध्यान से देखना है। और माननीय मंत्रीजी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें। मैं यह समझ रहा था कि यह जो अमेन्डमेन्ट है उनमें दो तो मन्जूर कर लें पर यह तीसरा जो इतने बड़े अख्तियारात देने की बात कहता है उसे न माने इसे हम जरा बरदाश्त नहीं कर सकते। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप ग्रामीण लोगों की तरफ देखें जिनको पांच धाराओं की तहत काम करना होता है और इन पर वह बोर्ड जो इस प्रकार का है।

(घंटी)

मैं दो एक ही शब्द निवेदन करुंगा। एक ऐसा सरकार का बनाया हुआ भूदान बोर्ड जिसके मेम्बरों के बारे में मैंने काफी अर्ज किया तो ऐसे आदमियों को संरक्षण देने वाले बोर्ड से यह आशा नहीं कर सकते कि वे न्याय करेंगे। अगर मोरेलिटी थोड़ी बहुत उनमें होती तो फाइनेन्स मिनिस्टर को त्याग पत्र अवश्य दे देना चाहिये था।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय सभापति. . .

Page No 93

श्री सभापति—आप बहस में भाग लेना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—इसका विरोध करूंगा, २५ वें क्लॉज़ का।

श्री सभापति—अब क्लॉज़ नहीं बची है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—तृतीय वाचन पर विरोध करूंगा। अब क्या कहेंगे आप।

(हंसी)

माननीय चेयरमैन, यह जो भूदान संशोधन का जो बिल पेश हो रहा है और उसमें क्लॉज़ ६ के अन्दर जो २५ वीं धारा के अन्दर इस तरह की धारा पेश की गई है एमेंडमेंट के द्वारा कि किसी को भूदान यज्ञ में जमीन दी हुई वह ट्रान्सफर कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। तो माननीय चेयरमैन आपके जरिये क्योंकि उसके अंदर कई दिक्कतें आ सकती हैं कहना चाहता हूँ कि आज भूदान यज्ञ के अंदर जमीन किसी को दी तो जब कि आप जागीरों को खत्म कर रहे हैं और भूधरों को खत्म कर रहे हैं दूसरी चीजों को खत्म कर रहे हैं तो आपने जमीन काश्तकारों को दी नहीं और दूसरे बड़े बड़े लोगों को जमीनें देकर जागीरदार बना रहे हैं तो वहां तो नहीं किया है। वह जमीन जो भूदान यज्ञ वालों को देते हैं तो १५, या २० बीघा तक देते हैं और अगर वह ट्रान्सफर करता है किसी दूसरे अपने भाई को जिसके पास ऐसी जमीन नहीं है या कोई आदमी किसी लड़के को गोद लेता है तो लड़के के नाम जमीन कम से कम ट्रान्सफर करेगा जो बाप होगा, और गोद लेगा वह। तो, माननीय चेयरमैन, इस धारा के अंदर वह जमीन किसी अपने लड़के को जो कि गोद लिया हुआ है उसको ट्रांसफर करेगा। इसके अंदर यह कर दिया जाता कि जो आदमी उस लड़के को गोद लेगा, अगर अपने भाई को राजीखुशी देना चाहता है तो कर दे जब कि आपने उसको बेचने का अधिकार नहीं दिया है। किसी आदमी के वारिस नहीं हों तो उस आदमी के ट्रान्सफर करने का अधिकार तो जरुर इस बिल के अंदर और इस धारा के अंदर दिया जाना चाहिये था। अगर वह, ट्रान्सफर करने का अधिकार नहीं देंगे तो, माननीय चेयरमैन, यह तो मैं भी मान कर चलता हूँ कि आज सरकार पर हमारा अंकुश हो सकता है हरेक पब्लिक के आदमी का, परन्तु बोर्ड के ऊपर हरेक पब्लिक के आदमी का अंकुश नहीं है। बोर्ड वालों पर कोई खासजरिया नहीं है कि जिससे बोर्ड वालों के ऊपर एप्लिकेशन सरकार के अन्दर या और किसी के अन्दर दे सकें और अगर कोई नाजायज कार्यवाही करेंगे तो रोक सकें, जैसा कि माननीय चेयरमैन, आपके जरिये बताऊं कि जो वाटर बोर्ड जिस तरह की कार्यवाही कर रहा है वह यह है कि यहां जयपुर डिविजन में जहां ७५ हजार या १ लाख रुपया दे रहे हैं जब कि २ लाख की स्कीम को कम करके बहुत कम कर दिया है जब कि दूसरी जगह ५, ६ लाख मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आता है तो बढ़ा दिया जाता है (घंटी) तो आज भूदान यज्ञ के अन्दर भी वही कार्यवाही होगी : उसमें भी किसी मिनिस्टर साहब का या सेक्रेटरी का टेलीफोन आयेगा। वे वाटर बोर्ड वाले दूसरे डिस्ट्रिक्ट में सब कुछ कर लेते हैं। जयपुर डिविजन में १७ लाख की पापुलेशन होकर ५।। लाख रुपये दिये हैं और जहां ४ लाख की पापुलेशन हैं वहां ४, ४ लाख रुपये वाटर

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

बोर्ड ने दिये हैं। यह कोई तरीका नहीं है। यह कोई सिद्धान्त नहीं है। सरकार ने बोर्ड को पूरे अधिकार दे दिये हैं। सन् ४९ में भी सरकार ने कई बोर्ड बनाये थे और लाखों रुपये सरकार के मटियामेट हो गये हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। तो माननीय चेयरमैन, जमीन को कोई ट्रान्सफर नहीं कर सकता। वह काश्तकार का अधिकार है, वह तहसीलदार के पास होता तो कम से कम वह अपील कलेक्टर के पास कर सकते थे, कलेक्टर की रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर तो कर सकते थे, परन्तु बोर्ड को अख्त्यार देने के बाद में जमीन की अपील कहां करेंगे यह भी माननीय मंत्रीजी बता दें। बोर्ड उस आदमी के लिए लिख देता है कि उसको जमीन नहीं दी जाय या उस जमीन के बारे में वह लिख देता है कि जमीन को छीन लिया जाय तो अपील करने का जो अधिकार उस आदमी को होना चाहिए। आज के टेनेन्सी एक्ट में क्या, हरेक एक्ट में क्या, जो म्युनिसिपेलिटी एक्ट बना रहे हैं उसमें अधिकार दे रहे हैं कि कोई आदमी बोर्ड का किसी के साथ अन्याय कर देता है तो उसका अधिकार है कि वह अपील करे। अगर इस तरह का, इस एक्ट में माननीय मंत्रीजी यह कर देते कि इसमें अपील सुनने का अधिकार तहसीलदार को रहेगा, कलेक्टर को होगा तो मैं भी मान लेता कि कम से कम काश्तकारों को अधिकार मिल गया है। परन्तु जब तक यह अधिकार नहीं रखते हैं और बोर्ड को सारे अधिकार दे देते हैं तो, माननीय चेयरमेन, जो लोग बोर्ड के अन्दर हैं उनकी बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बोर्ड पर सरकार का अंकुश हो। जहां तक सरकार का अंकुश रखना चाहते हैं तो सरकार को कुछ कह सकते हैं, परन्तु बोर्ड को नहीं कह सकता जैसा कि मैंने अभी वाटर बोर्ड का उदाहरण के तौर से बताया था। जिस तरह से उस बोर्ड के अन्दर कार्यवाही होती है और सुनवाई भी नहीं की जाती है। अपने जंचे जैसा करते हैं, अपने जंचे जैसा खर्चा होता है, अपने जंचे जैसे जिस तरीके से मिलते हैं। जिस मीटिंग में जैसा चाहें कर सकते हैं उसकी तरह से भूदान के अन्दर आज चुने हुए आदमी हैं। उसमें ऊंचे दर्जे के लोग जरूर हैं और जो हैं बहुत कम लेते हैं, जैसे बिनोवाजी हुए, जयप्रकाशनारायण हुए। परन्तु जो नीचे काम करने वाले हैं वे जैसे कि आज जितने भी उसके अन्दर हैं उनमें खराब मनुष्य भी हो सकते हैं। वे सारे के सारे बिनोवाजी जैसे नहीं हैं। कई यहां हम असेम्बली के मेम्बर हैं वह कोई ५० तरह की गलतियां करते हैं (घंटी) मिनिस्टर्स हजारों तरह की गलतियां करते हैं। वे साफ नहीं हैं। तो क्या बोर्ड के अन्दर जाने से शुद्ध और साफ बिनोवाजी जैसे बन जायं तो आज हिन्दुस्तान बहुत बड़ा हो सकता है। आज हिन्दुस्तान की जितनी फौरेन कन्ट्रीज में इज्जत है उसकी आठ गुनी इज्जत हो जाय। अमेरिका आज हमारे सेकिन्ड प्लान के लिए रुपये दे रहा है तो हमको जरूरत नहीं रुपया लेने की। तो, माननीय चेयरमैन, आपके जरिये बताऊं कि बहुत सा रुपया लेप्स हो रहा है।

(घंटी)

श्री सोहनलाल भटनागर—यह बजट नहीं है।

Page No 95

श्री मुक्तिलाल मोदी—बजट का क्या ? आज इस बोर्ड के अन्दर काश्तकार को अधिकार दिया जाता, अपील का अधिकार दिया जाता तो वैसा मान लेता कि आज काश्तकार को जो अधिकार नहीं था वह दिया जा रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ट्रान्सफर करने का अधिकार काश्तकार को मिलना चाहिए। भूदान यज्ञ की जमीन है तो क्या है ? वह जमीन हैं सरकार की। जागीरदार की थी पहले यदि भूदान यज्ञ के अन्दर नहीं लेते तो। जागीरदार लोग जमीन इसलिए दे रहे हैं कि वे यह सोचते हैं कि जागीरें जा रही हैं उनमें से थोड़ा सा भूदान वालों को दे दें तो क्या हर्ज होगा। इसलिए दी है नहीं तो एक पैसा तो कोई ने कभी नहीं दिया। मैं, माननीय चेयरमेन, आपके जरिये बताना चाहता हूँ कि कई आदमियों पर, हजारों आदमियों पर, मुकद्में हैं कि विचारे पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। बहुत कम आदमी सदा देते हैं। करोड़पति हैं, लखपति हैं, हजारों जागीरदार हैं व जो कि एक पैसा नहीं देते हैं तो ऐसी हालत में जमीन कौन दे देता है। जमीन का जो मालिक होता है वही देता है। काश्तकार को अधिकार ट्रान्सफर का नहीं देते हैं तो यह ठीक नहीं है।

अपील का हक नहीं दें यह तो और भी खराब है मैं माननीय मंत्रीजी से फिर निवेदन करूंगा कि अपील के अधिकार तो काश्तकार को रहने चाहिए और सारे अधिकार बोर्ड को दे देंगे और अपील के अधिकार नहीं रखेगें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गड़बड़ी होगी, अमेन्डमैंट आयेंगे, संशोधन होंगे और मंत्रीजी आज नहीं मानेंगे तो ६ महीने के बाद ८ महीने के बाद, कोई भी सरकार बनेगी, उसको इसमें अमेन्डमेन्ट करना पड़ेगा और इस बिल में जो इस प्रकार की क्लॉज़ है उसको हटाना पड़ेगा। माननीय मंत्रीजी भी जिन्दा रहेंगे और मैं भी जिन्दा रहूंगा।

(हंसी)

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—माननीय चेयरमेन, मैं भी भूदान यज्ञ संशोधन विधेयक, १९५६ तृतीय वाचन के सिलसिले में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं पहिली बात तो यह कह देना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने आज जो स्पिरिट दिखायी है उसको मैं एप्रिशियेट करता हूँ कि उन्होंने इस स्पिरिट में ही आवश्यक संशोधन स्वीकार कर लिये मैं आपके सामने जो खास बात रखना चाहता हूं, वह एक सिद्धान्त की बात है और सिद्धान्त की खास बात यह है कि जब कोई कानून में संशोधन लाना चाहते हैं तो दृष्टिकोण यह रहता है कि मूल कानून में आवश्यक सुधार हों और इसी दृष्टिकोण से मूल एक्ट और संशोधन विधेयक पर विचार करना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से मूल एक्ट और संशोधन विधेयक पर विचार करते हैं तो कई कमियां नजर आती हैं और अगर सबसे बड़ी कमी इस मूल एक्ट में कोई है तो वह यह है कि बोर्ड के Composition के बारे में जो व्यवस्था की गई है वह ठीक नहीं है और उसके ठीक न होने से भूदान बोर्ड में ऐसे आदमी आजाते हैं जिनका वहां होना वांछनीय नहीं है। उनके होने से बोर्ड की कार्यवाही ठीक तरह से चलती नहीं है। कठिनाइयां क्या होती हैं उस पर सोचविचार की आवश्यकता है। यह जो संशोधन विधेयक आया है उसमें बोर्ड को बहुत सारे अधिकार दिये गये हैं। जब बोर्ड ही ठीक ढंग से बना हुआ नहीं है तो फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि बोर्ड ठीक तरह से काम करेगा और आपकी मंशा पूरी हो पायेगी। अगर इसमें यह

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

व्यवस्था करते कि बोर्ड पर सरकार की देख रेख बढ़ जाय तो मैं उसकी तारीफ कर सकता था। आपका इस संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण है वह, मैं यही कहूंगा कि रचनात्मक नहीं है और आपने इस पर विचार भी नहीं किया है, जिससे कमियां भी रह गई हैं। अगर आप इस दृष्टिकोण से विचार करते तो बोर्ड पर नियंत्रण लगाने की इसमें व्यवस्था करते, लेकिन चूंकि आपने इसमें इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की है इसलिए आपने शायद इस पर विचार भी नहीं किया है, यह प्रतीत होता है। इसलिए आयन्दा जो संशोधन होने वाले हैं इस कानून में, उनमें इस प्रकार की व्यवस्था का होना अत्यधिक आवश्यक प्रतीत होता है।

दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मूल एक्ट की धारा २४ में संशोधन किया है और मूल एक्ट की धारा २५ में भी संशोधन किया है। किन्तु कमी यह है कि बोर्ड जब एप्लीकेशन देगा तब ही तहसीलदार उस व्यक्ति के प्रति एक्शन लेगा जो कि कन्डीशन्स को फुलफिल नहीं करता है। मैं जो आपसे अर्ज करना चाहूंगा वह यह है कि बोर्ड एप्लीकेशन दे या ना दे पहले ही तहसीलदार को Suo moto अधिकार देने चाहिए ताकि वह अपने suo moto अधिकारों के द्वारा बोर्ड से एप्लीकेशन न आने पर भी अगर कोई कन्डीशन्स का फुलफिलमेन्ट नहीं हुआ है तो एक्शन ले सके और ये अधिकार देते हैं तो उस तहसीलदार के पास भी उन शर्तों की एक प्रति रहेगी जिनके आधार पर कि किसानों को इस तहसील में जमीनें बांटी गई हैं। अगर तहसीलदार यह देखे कि किन्हीं शर्तों पर किसी शख्स को जमीन दी गई है, और तहसीलदार को यह संतोष हो जाय कि शर्तों का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है तो वैसी सूरत में उसको बोर्ड की एप्लीकेशन के लिये प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तहसीलदार को suo moto ये अधिकार रहने चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति में जो व्यक्ति शर्तों का पालन नहीं करता है या कोई ट्रेसपासर है तो उसको हटा दे। अगर आप इस प्रकार के अधिकार नहीं रखेंगे, तहसीलदार को देंगे तो इसकी जो मंशा है वह पूरी नहीं होगी।

धारा २५ को आप देख लें तो उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती है। एक मिनिट के लिए यह मान लीजिये कि बोर्ड यह शिकायत करता है कि किसी शख्स ने शर्तों की पाबन्दी नहीं की। तहसीलदार को यह अधिकार दे दिया कि वह अपना निर्णय दे दे। तहसीलदार यह कह देता है कि उसका पजेशन हटा दिया जाय। मैं समझता हूं कि तहसीलदार के orders खिलाफ अपील के लिए प्रोविजन करना पड़ेगा। अगर इस प्रकार के अपील का प्रोविजन नहीं करते हैं तो यह गैरवाजिब बात होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर आप ध्यान दें और इसमें एक अपील का सेक्शन जोड़ने की कोशिश करें। अगर इस प्रकार का प्रोविज़न नहीं करते हैं तो इस बिल में जो कमियां हैं वे वैसी की वैसी ही रहेंगी और वर्किंग में भी कई अड़चनें और कठिनाईयां आवेंगी और जैसा कि श्री मोदी ने कहा कि छः महीने के बाद या आठ महीने के बाद दुबारा संशोधन बिल लाकर सदन में आना पड़ेगा

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

और इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो सुझाव माननीय सदस्यों ने रखे हैं उनको संशोधन विधेयक में जोड़ दें तो अच्छा होगा। मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता और इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति— The members should keep it in mind that we shall rise after we pass this Bill

रावत श्री शंभूसिंह—माननीय चेयरमेन, बिल को पास करने और न करने के मुतल्लिक तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

इस बिल को आज ही पेश किया गया और आज ही इसको पास करने के लिए कहा जा रहा है तो मैं आपका रूल्स ऑफ बिजनेस की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रूल नंबर १४६ (२) है उसमें यह है कि:

"Passing of a Bill.

(2) If any amendment of the bill is made, any member may object to any motion being made on the same day that the bill be passed, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made.".

माननीय चेयरमेन, यह तो आपके डिस्क्रीशन पर है। रूल में जो है उस ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। मैं तो तृतीय वाचन पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

माननीय चेयरमेन, जब इस बिल को क्लॉज बाई क्लॉज ले रहे थे तो हमने इन क्लाजेज़ पर विचार व्यक्त किये थे। अब चूंकि इस बिल का तीसरा वाचन हो रहा है तो मैं निवेदन करता हूं कि यह बिल जो है वह इस कदर खतरनाक हैं कि वह पास होने योग्य नहीं है। इस बिल का जो क्लॉज ६ है उसमें हम ओरिजिनल बिल की धारा २५ का संशोधन करने जा रहे हैं और उसके द्वारा हम भूदान बोर्ड को इतने अधिक विस्तृत अधिकार देते रहे हैं जो कदापि वांछनीय नहीं हैं। ओरिजिनल बिल में भूदान बोर्ड का जो फार्मेशन है और कम्पोजिशन है वह इतना डिफेक्टिव है कि उसके मुतल्लिक सदस्यों को इतनी आपत्ति है कि इस बोर्ड को इतने विस्तृत अधिकार दिये नहीं जा सकते कि जब चाहे किसी कन्डीशन के सम्बन्ध में माली अधिकारी को इत्तल्ला दे दे और एप्लीकेशन कर दे कि फलां किसान को इजेक्ट कर दिया जावे। तो माननीय चेयरमेन, एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान लीजिये कि किसी शख्स के लिए बोर्ड ने दरख्वास्त की अदालत माल में और उस शख्स को उस जमीन से इजेक्ट किया तो वह जमीन किसके पास रहेगी? आया वह डोनर को रिवर्ट हो जायगी या और क्या होगा? उस जमीन का कैसे इन्तजाम रहेगा? इसी प्रकार कोई किसान एक अर्से तक उस जमीन को बोता रहा और किसी वजह से बोर्ड के और उसके बीच

[रावत श्री शंभूसिंह]

मन मुटाव हो जाता है और बोर्ड ने किसी प्रकार एलीगेशन लगा कर उसको इजेक्ट करवा दिया तो उस किसान के भरण पोषण की क्या व्यवस्था होगी ?

इमिजियेटली जब कभी आजायगा और इस बीच में न कोई खानेपीने का इन्तजाम होगा और न उसको कोई दूसरी जमीन मिलेगी तो वह जो जमीन है वह या तो रिवर्ट होनी चाहिये या उस किसान के पास रहनी चाहिये ।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—चेयरमेन महोदय, time is up.

श्री सभापति (श्री जवान सिंह)—Let us finish the business for the day.

श्री दामोदरलाल व्यास—चेयरमेन महोदय,...

श्री भैरोंसिंह—अभी और बोलने बाकी हैं ।

श्री सभापति—यह उचित होगा कि डिस्कशन बढ़ाना चाहेंगे तो थोड़ी देर और बैठें ।

श्री भैरोंसिंह—जहां तक डिस्कशन बढ़ाने का प्रश्न है यह कोई नहीं चाहता कि डिस्कशन फालतू बढ़ाया जाय ।

श्री सभापति—मैं यह नहीं कहता कि डिस्कशन फालतू बढ़ाया जा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह—(जारी) माननीय चेयरमेन, यह जो संशोधन विधेयक विचारार्थ आया है और तृतीय वाचन पर जो चर्चा चल रही है, मैं समझता हूं उसको देखते हुए इस बिल को इस समय बिल्कुल पास करने की आवश्यकता नहीं है । यह आवश्यकता इस कारण नहीं है कि हमने एक संशोधन के जरिये बोर्ड को डिस्क्रीशनरी पोवर्स दिये हैं जिनको खत्म करने के लिये हम ने एक बार नहीं सदन में अनेकबार इस नीति को एडोप्ट किया है कि धारा २५ और २४ जो एक दूसरे से संबंधित हैं उनमें हमने एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की थी और आज उसमें रद्दोबदल करने के लिये बोर्ड को डिस्क्रशनरी पॉवर तो दे दिये कि बोर्ड यदि चाहे तो तहसीलदार को लिखे नहीं तो नहीं लिखे । मोटेतौर पर दो तीन सिद्धान्त स्वीकार किये थे वे यह हैं कि भूदान में दी जानेवाली भूमि किसी सूरत में पड़त नही रहे और यदि रहती है तो दो साल से अधिक नहीं रहे और २ साल से अधिकपड़ी रहने पर बोर्ड यदि चाहे तो उस काश्तकार को हटा सकता है । तो हमें यह सोचना पडेगा कि मोटे रूप से यह स्वीकार किया कि २ साल से अधिक नहीं रखने का यदि बोर्ड चाहे तो एप्लीकेशन दे "ओन दि एप्लीकेशन ओफ बोर्ड" यह जो इन्सिस्ट किया है उससे यह मंशा नहीं होगी लेकिन यह मंशा दूसरे तरीके से निकलती है । यदि बोर्ड चाहे तो

[श्री भैरोंसिंह]

दरख्वास्त दे नहीं तो नहीं दे। मोटे सिद्धान्त के लिये डिस्क्रीशनरी पोवर्स दिये हैं। इसकी मंशा के बारे में मैंने और दूसरे कई सदस्यों ने पहले कहा है। दूसरा डिस्क्रीशनरी पोवर सब लेटिंग के लिये दिया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में विशेष प्रकार की व्यवस्था है। यदि कोई आदमी ५ वर्ष में पूरे समय या कुछ समय के लिये सबलेट करना चाहता है तो एक बार कर सकता है। लेकिन भूदान एक्ट में सब लेटिंग की विशेष व्यवस्था की है। बेदखल राजस्थान भूदान बोर्ड को विशेष अधिकार दिया है कि यदि बोर्ड इजाजत दे तो कर सकता है चाहे कितने ही समय के लिये इजाजत दे। तो बोर्ड को हमने ऐसे अधिकार दिये हैं जो अब तक के टिनेन्सी एक्ट और रूल्स के बिल्कुल विरुद्ध है। हमने दो चीजों को लेकर डिस्क्रीशनरी पोवर्स दिये हैं। वह बिल्कुल अनुचित है और कांट्रेरी है। क्लाज़ २५ में "ओन दि एप्लीकेशन ओफ दि बोर्ड" है। यहां डिस्क्रीशनरी पोवर्स दे दिये हैं। इसका विरोध किया जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इसका विरोध प्रकट करता हुआ निवेदन करूंगा कि इसे अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगतसिंह झाला—चेयरमेन महोदय, . . .

श्री सभापति (श्री जवानसिंह)—आप भी विरोध करना चाहते हैं क्या ?

श्री जगतसिंह झाला—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड अपनी ही एक पार्टी या पक्ष के लोगों को लेकर बनाया गया है। उसमें केवल पथ भ्रष्ट कांग्रेसियों को लिया जाता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि और पार्टीज के लोगों को भी लिया जाय हमारे उदयपुर से क्या साहब को भी लिया गया है जो चुनाव में हारते हैं केवल उनको बोर्ड का मेम्बर बनाया जाता है ? इस तरह की बातें बुरी परम्परा डालने वाली हैं और लोग अपनी मनमानी करते हैं। धारा २४ और २५ में जो प्रोविजन रखा था उसके अनुसार तहसीलदारों को पोवर दिया गया है। कार्यवाही करें यह ठीक नहीं है। निष्पक्ष कार्यवाही होनी चाहिये। बोर्ड का गठन ठीक नहीं होने के कारण काम ठीक तरह से नहीं होता। इसमें केवल उन कांग्रेसियों को लिया जाता है जो चुनाव में हारते हैं, चुनाव पिटीशन करते हैं उसमें भी हारते हैं, ऐसे व्यक्तियों को उसमें लेना ठीक नहीं है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। यदि आप जनता और पब्लिक का भला चाहते हैं तो बोर्ड का गठन ठीक तरह से ध्यान देकर करें। तहसीलदारों को पोवर नहीं देनी चाहिये और बोर्ड का गठन ठीक तरह से होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—चेयरमेन महोदय, मैं समझता हूँ इस थर्ड रीडिंग पर जितनी बातें कही गई वे सिर्फ रिपीटीशन हैं। जो बातें क्लाज़ बाई क्लाज़ डिस्कशन पर कही गई वे ही बातें इस समय भी कही गई। कुछ सदस्यों ने जल बोर्ड पर भी आलोचना कर डाली। कुछ सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बातें कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ कहा वह समय पूरा करने के लिये था और समय पूरा हुआ है। इस सारी बहस में संकेत इतना ही निकल रहा था कि कांस्टीट्यूशन, लिमिटेशन ठीक नहीं है। ये धाराएं न कांस्टीट्यूशन को डिफाइन करती हैं और न पॉवर्स दी

[श्री दामोदरलाल व्यास]

जा रही हैं। यह तो केवल बोर्ड के ध्यान में, वर्किंग में जो डिफिकल्टीज़ आ रही थीं उन्हीं को ठीक किया गया है। सारे विधान को ही डिस्कस कर लिया गया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कि भूदान बोर्ड के सारे पर्सनल्स कैसे हैं? दुनिया जानती है कि वे किस तरह के हैं। गोकुलभाई भट्ट जैसे नेता इसके चेयरमेन हैं जिन के बारे में कोई शंका नहीं कर सकता। एक भी आदमी यह नहीं कह सकता कि उनके मुकाबले का कोई दूसरा कंस्ट्रक्टिव वर्कर इस राजस्थान में है...

श्री मानसिंह महार—चुनाव में बुरी तरह हारे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—(जारी) चुनाव में हारना या जीतना कोई क्राइटेरिया नहीं है कंस्ट्रक्टिव वर्कर के लिये। उनको शायद वे हथकंडे याद नहीं है जो दूसरे लोगों को याद हैं....

श्री मानसिंह महार—रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को तो शायद वे हथकंडे याद हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—(जारी) कांस्टीट्यूशन ऑफ दि बोर्ड का जो सवाल है उसको आज तय नहीं करने जा रहे हैं। उसको पहले ही तय कर चुके हैं और आज जो क्लाजेज़ पास कर रहे हैं उस पर भी काफी चर्चा पहले हो चुकी है। एक सेक्सन २५ पर बार बार कहा जाता है कि यह बहस पॉवर्स भूदान बोर्ड को क्यों दी गई? आज जो ला है उसमें भी भूदान बोर्ड को पॉवर है कि प्रोपर रेवेन्यू एथोरिटीज़ को मूव कर सकते है। अभी हमने एप्रोप्रियेट भाषा लगाकर वर्डिंग्ज ठीक तरह से रख दिये हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। यह सही है कि जो एथोरिटी जमीन एलोट करती है, उसको पॉवर होनी चाहिये कि वह निगरानी रखे कि जिन शर्तों पर जमीन दे उनका पालन हुआ या नहीं। जब वह देखे कि शर्तों का पालन नहीं हो रहा है तो उसको पॉवर होना चाहिये कि रेवेन्यू एथोरिटीज को मूव करके उसका पालन करावे। मैं नहीं समझता कि कौनसे ऐसे पॉवर दिये हैं जिनपर ऐतराज होना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि समय निकालना था और समय निकल गया। मैं समझता हूँ अब इसे पारित किया जाय।

श्री सभापति—(श्रीजवानसिंह) प्रश्न यह है कि राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १९५६ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान भूदान यज्ञ (संशोधन) विधेयक, १६५६ पारित किया गया।

[श्री सभापति]

मुझे आपको एक सूचना देनी है और वह यह है कि तारीख ७ और ८ की कार्यसूची आपको वितरित की जा चुकी है। उसमें आज का अवशिष्ट कार्यक्रम जो है वह कल उसी क्रम से लिया जायगा।

अब कल सुबह ८ बजे तक के लिये हम सदन की कार्यवाही स्थगित करते हैं।

(मध्यान्होत्तर १२. ४१ बजे सदन की कार्यवाही दिनांक ८ मई, १९५९, मंगलवार के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ७ मई, १९५९

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्न कर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये एवं जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है)

प्रश्न

८१८. (२७।सी.एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७:— क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान में कितने आई. ए. एस. कर्मचारी आर. ए. एस. केडर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं ?

(२) उक्त आई. ए. एस. कर्मचारी कब २ आर. ए. एस. केडर की पोस्ट पर स्थानान्तरित किये गये हैं ?

(३) कौन २ आर. ए. एस. कर्मचारी आई. ए. एस. केडर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं?

(४) उक्त कर्मचारियों का सीनियोरिटी लिस्ट में कौन २ सा स्थान है ?

उत्तर

(१) पांच

(२) (१) श्री लक्ष्मी लाल जोशी, जागीर कमिश्नर, दिनांक २१-७-५२ से

(२) श्री हिम्मतसिंह, डाइरेक्टर, कोलोनाइजेशन, दि० १-६-५३ से

(३) श्री विष्णु दत्त (द्वितीय), संचालक, विकास विभाग, दि० १-१०-५५ से

(४) श्री ए० के० राय, संचालक, वाणिज्य व उद्योग विभाग, दि० ११-६-५५ से

(५) श्री सपत मल भंडारी, रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, १६-१-५६ से

(३) (१) श्री पी० एन० कौल

(२) श्री हरनाथसिंह मेहता

(३) श्री मांगीलाल महेता

(४) श्री सूर्य स्वरुप

Page No 103

(५) श्री अहमद अली शाह जाफरी

(६) श्री पी० एल० सुलवाल

(७) श्री निरंजनसिंह

(८) श्री केशव पुरी

(९) श्री जे० पी० अरोरा

(४) ५, ११, १५, २१, २७, ३१, ३३, ६५, ८६

प्रश्न

८१९. (२८। सी. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम० एल० ए०, डिविजन नम्बर ८७:—क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) १ जनवरी, १९५५ के बाद किन २ आर. ए. एस. कर्मचारियों को प्रोमोशन दिया जाकर आई. ए. एस. का ग्रेड दिया गया है ?

(२) उक्त कर्मचारियों के सीनियोरिटी लिस्ट में कौन कौन से स्थान हैं ?

(३) ऐसे कौन २ कर्मचारी हैं जो अधिक सीनियर होते हुए भी आई. ए. एस. की ग्रेड में नहीं लिये गये हैं ?

उत्तर

१. सदस्य महोदय की मंशा शायद उन आर. ए. एस. अधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की है जो आई. ए. एस. के पदों पर कार्यवाहक नियुक्त किये गये हैं। यदि ऐसा है तो ऐसे अधिकारियों के नाम ये हैं:—

(१) श्री अहमदअली शाह जाफरी

(२) श्री जे. पी. अरोडा

(३) श्री निरन्जन सिंह

(४) श्री सूर्य स्वरूप

(५) श्री पुरूषोत्तम लाल सुलवाल

(६) श्री केशवपुरी

२. क्रमश: २७, ८६, ३३, २१, ३१ और ६५।

३. आवश्यक सूचना की सूची सदन की मेज पर रखी है।

आर० ए० एस० अधिकारियों की सूची, जो कि सीनियर होते हुए भी आई० ए० एस० की ग्रेड में नहीं लिये गये

क्रम संख्या	नाम	सीनियोरिटी संख्या
१.	श्री चन्दपालसिंह	१
२.	श्री जीवराजसिंह	२
३.	श्री गुलजारीलाल माथुर	३
४.	श्री भवानीसिंह रानावत	४
५.	श्री पशुपतिनाथ कौल	५
६.	श्री चन्द्रधर ईसर	६
७.	श्री बहुरन सिन्हा	७
८.	श्री अजीतसिंह	८
९	श्री समरथराज	९
१०.	श्री रामदत्त शर्मा	१०
११.	श्री हरनाथसिंह महता	११
१२.	श्री अवतार नारायण	१२
१३.	श्री भगवतदत्त ठाकुर	१४
१४.	श्री मांगीलाल महेछा	१५
१५.	श्री आर. सी. सिन्हा	१६
१६.	श्री राजेश्वरदास खन्ना	१७
१७.	श्री रामनारायण शुक्ला	१८

१	२	३
१८.	श्री वहीदुल्ला खां	१६
१६.	श्री मुरलीधर बाजपेई	२०
२०.	श्री चम्पालाल कोचर	२२
२१.	श्री अभयसिंह	२३
२२.	श्री कन्हैयालाल मित्तल	२४
२३.	श्री तेजसिन्हा कोठ्यारी	२५
२४.	श्री नारायणदास मेहता	२६
२५.	श्री जसवन्तसिंह सिखवो	२८
२६.	श्री हरिश्चन्द्र चतुर्वेदी	२६
२७.	श्री हरीसिंह जाट	३०
२८.	श्री केसरीसिंह मेहता	३२
२६.	श्री मदनगोपाल दलेला	३४
३०.	श्री मनोहरसिंह	३६
३१.	श्री सिद्धनाथ शुक्ला	३८
३२.	श्री चन्द्रशेखर	३६
३३.	श्री डूंगरसिंह मेहता	४०
३४.	श्री इन्दरसिंह मेहता	४१
३५.	श्री हिम्मतसिंह गालुन्डिया	४२
३६.	श्री रघुवीरचरन माथुर	४४
३७.	श्री रोशनमल माथुर	४५
३८.	श्री आशुकरन गोस्वामी	४६
३६.	श्री परमानन्द	४७
४०.	श्री भंवरलाल भटनागर	४८
४१.	श्री श्यामसुन्दर शर्मा	४९
४२.	श्री भंवरलाल मेहता	५०

१	२	३
४३.	श्री श्यामकरन	५१
४४.	श्री प्रतापसिंह	५२
४५.	श्री रणजीतसिंह	५३
४६.	श्री ओंकारसिंह	५४
४७.	श्री मथुरानाथ पन्चोली	५५
४८.	श्री हिम्मतसिंह मेहता	५६
४९.	श्री हजारीलाल मेहता	५७
५०.	श्री सौभाग्यसिंह	५८
५१.	श्री सुरेन्द्रनाथ मिश्रा	५९
५२.	श्री मगनलाल नानावटी	६०
५३.	श्री धरनीधर माहेली	६१
५४.	श्री गंगाराम पुरोहित	६२
५५.	श्री धरमेन्द्र हांडा	६३
५६.	श्री अब्दुल जलील काज़ी	६६
५७.	श्री रामसिंह II	६७
५८.	श्री बनैसिंह धाभाई	६८
५९.	श्री शरफअली	६९
६०.	श्री जीवनसिंह चौधरी	७०
६१.	श्री पी० के० बी० कुरुप	७२
६२.	श्री जसवन्तसिंह माथुर	७३
६३.	श्री अमरनाथ पुरोहित	७४
६४.	श्री तेज़करनलाल जोशी	७५
६५.	श्री रामकुमार शर्मा II	७६
६६.	श्री कन्हैयालाल बराया	७७
६७.	श्री मानधातासिंह	७८
६८.	श्री गजराज ओझा	७९

१	२	३
६९.	श्री ए० के० राय	८०
७०.	श्री अलाउद्दीन खिलजी	८१
७१.	श्री जोरावरमल कावड़िया	८२
७२.	श्री गंगाप्रसाद बीसा	८३
७३.	श्री हनुमान सहाय रावत	८४
७४.	श्री दामोदरलाल खंडेलवाल	८५

प्रश्न

८२२. (७६ आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) कमिश्नर जयपुर के कार्यालय में सप्लाई व अन्य विभागों से कम किये गये कितने क्लर्कों के नाम ३१ दिसम्बर, १९५५ तक रजिस्टर किये गये ?

(ख) कमिश्नर जयपुर ने किस २ डिपार्टमेंट को १ जनवरी, १९५२ के बाद नान अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया ?

(ग) उक्त सर्टीफिकेट किस २ अधिकारी द्वारा दिया गया ?

उत्तर

(क) ता० ३१ दिसम्बर, १९५५ तक कमिश्नर जयपुर के कार्यालय में सप्लाई कस्टम, एवं सेना (Ex-Army) इत्यादि विभागों से कमी में आए हुए ६५१ क्लर्कों के नाम रजिस्टर किये गये।

(ख) सूची संलग्न है।

(ग) कार्य द्वारा।

List of Non-availability Certificates issued to various Departments From 1st January upto 31st December, 1955, from the office of the Commissioner, Jaipur

Name of Department	No. of Non. availability Certificates issued
Public Works Deptt.	92
Development Deptt.	12
Registrar of companies	2
Agriculture Deptt.	26
Police Deptt.	31
Urban Improvement Board.	1
Public Service Commission.	11
Labour Department.	19
Judge Industrial Tribunal	2
Commerce & Industries Deptt.	30
Forest Department.	8
Custodian Evacuee Property.	11
Education Deptt.	92
Health & Medical Department.	85
Examiner Local Fund Audit.	10
Law Department.	26
Director Local Bodies	10
Director of Insurence Deptt.	7
Registrar Co-Operative Societies.	3
Prison Department.	13
Punchayat Department.	14
Election Department.	6
Revenue Department.	85
O.S.D. Zeology Department (Alwar)	2
Irrigation Department.	4
Back word Community Welfare Department.	14

1	2
Civil supplies Department.	18
Social Welfare Department.	1
Printing & Stationery Department.	8
Rehabilitation Department.	6
Devasthan ,,	1
Public Relations ,,	8
Taxation & Exise ,,	3
Comandant Third B. R. A. C.	6
Finance Deparment.	1
Government Secretariat.	4
Archeology and Musiums	5
A. I. G.. Police, Railway	9
Transport department.	3
Stetistical ,,	12
Employment Exchange. (Alwar)	1
Secretary Vidya Vibhag.	7

प्रश्न

८२३. (७१ सी. आई. एम.) श्री कस्तूरचन्द, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ७१—क्या मन्त्री समाज कल्याण यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जिला भीलवाडा हरिजन संघ को सन् ५५-५६ में कितना रुपया हरिजन उत्थान के लिये दिया गया है ?

(२) इस हरिजन संघ के संयोजक कौन हैं ?

(३) उक्त रकम किस २ काम में खर्च की गई है ? तहसीलवाईज लिस्ट दिलाने की कृपा करावें ?

उत्तर

(१) भीलवाड़ा हरिजन संघ को सन् १९५५-५६ में ४३६५८ रु० ४ आ० दिये गये हैं।

(२) श्री भंवरलाल भदादा इस संघ के मन्त्री तथा श्री भागीरथ कानोडिया अध्यक्ष हैं, इस संघ में कोई संयोजक नहीं है।

(३) तहसील वाईज खर्च की सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न

८२५- (१०७ आर. एम.) श्री चांदमल मेहता, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८७—क्या मंत्री देवस्थान विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) श्री केसरिया जी (जि० जयपुर) के मन्दिर में पिछले ७ साल में यात्रियों द्वारा की गई भेट के स्वरूप कितनी रकम जमा हुई और किस २ काम के लिये कितनी कितनी रकम भेंट हुई ?

(२) किस २ काम में कितनी २ रकम खर्च की जा चुकी है ?

उत्तर

(१) जिला जयपुर में श्री केसरीयाजी का कोई मन्दिर सरकार के नियन्त्रण में नहीं है।

(२) जिला उदयपुर के केसरियाजी के मन्दिर में गत सात वर्षों में नकद भेंट १,७०,१०१) और खास कार्यों के लिये १०,३१३) प्राप्त हुए जिनका विवरण और किस कार्य में कितनी रकम व्यय हुई, उसका हिसाब संलग्न सूची में अंकित है ?

गोश्वारा सात साल में मन्दिर श्री केशरियाजी में यात्रियान के कार्य बाबत रकम जमा हुई—

जिसकी मुरतिबा भंडार धुलेव

सं० नाम यात्री	तशरिह कार्य	रकम	विशेष वितरण
१ २	३	४	५
(सम्वत् २००६ सन् ४६, ५०)			
यात्री नरेन्द्रसिंह जी सिंघी सा० कलकत्ता	कन्या पाठशाला बनवाने	४६०	कार्य हो चुका
(सम्वत् २००६, ७ सन् ५०, ५१)			
यात्री देवीचंदजी मिश्रीलालजी सा० बैंगलोर	मानचन्द्रजी के चांदी का कटेला	५०१	श्वेताम्बर व दिगम्बर में मतभेद होने से, नया कार्य करना बन्द है।
यात्री देवीचंदजी मिश्रीलालजी सा० बैंगलोर	गीरनारजी के कटेला बाबत	२९४६	कार्य हो चुका
(सम्वत् २००८, ६ सन ५२, ५३)			
यात्री नाथूजी रूपाजी कलाल सा० ऋषभदेव	कलाल की लेन दुरस्ती	१००	कार्य हो चुका
यात्री महासुखभाई करमचंदजी संतरामपुर	भगवान के रकम बनवाने	२२०)	"
यात्री रतनचंदजी सा. लखनऊ	खुद के बनाये कमरों में लाईट फिट कराने	१२५)	"
यात्री केशवलालजी शामलदासजी सा. आगायाल	ब्याज से भाता तकसीम बाबत	२०५०)	मूल रकम भाता दान आदि में जमा हुई ब्याज से कार्य हो रहा है।

१ २	३	४	५
यात्री श्रीमहाराजजी प्रेमचन्द जी सा. आहोर	जेवर दुरस्ती वास्ते	१००)	कार्य हो चुका
यात्री डायालाल भाईचन्द सा. कोल्हापुर	श्रीजी के तुर्री छोगा बाबत	५००)	,,
	(सम्वत् २००९, १० सन् ५३-५४)		
यात्री श्रीबीनूभाई के. मेहता सा. बम्बई	हॉल के पास कमरा दुरुस्ती	५१)	कार्य हो चुका
यात्री डायालाल भाईचन्द सा. कोल्हापुर	बगीचे में फूलवार खरीदने	१००)	,,
यात्री मोतीलाल प्रवीनचन्द सा. सोलापुर	माता तकसीम कराने	६०)	,,
	पार्श्वनाथ जी के मुकुट कुन्डल के	४०)	जमा हैं
यात्री हीराचन्दजी मुलचंदजी सा. कालीन्द्री	सोने का कलश प्याला गलवा दूसरे बनवाने के मजदूरी के	५१)	,,
यात्री चीमनलाल जैसिंगभाई सा. बम्बई	चन्दवा खरिद १०० जन्म उत्सव पर धुलाई खर्च१२५	२२५)	खर्च हो चुका
	(सम्वत् २०१०-११ सन् ५४-५५)		
यात्री सोभागमलजी सा. धनोप	आंगी वज्र लेप बाबत २६।।।) १००)	१२६।।।)	,,
यात्री नेमजी मानजी बम्बई	व्याज से केशर पारन कराने	१००१)	व्याज से कार्य होता है
यात्री इन्दरमलजी छगनलालजी सांखला सा. साड़िया	पी. वरघोडा बाबत खुद आने पर निकलवाने के जो नहीं आये सो जमा हैं	५१)	जमा है

१	२	३	४	५
	यात्री मनाजी प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी मेदरा बम्बई	मन्दिर में खर्च कराने	१०१)	खर्च हो चुका
	यात्री जीमनलाल प्राण जीवनदास केशवलाल मोतीचंद सा. बम्बई	,,	१४१)	,,
	यात्री मोतीलाल प्रवीनचंद्र सा. सोलहापुर	माह वीद ४ माता तकसीम कराने	६०)	,,
	यात्री डायालाल भाईचन्द सा. कोल्हापुर	तुरी छोगा बनवाने	३००)	,,
	यात्री केशरदासजी शामलदासजी सा. आगीपास	गासिया रजाई बनाने	१०००)	,,
			१०३१३≡)	

प्रश्न

८२६. (१६० सी. एम.) श्री. गुरदयालसिंह संधु एम, एल. ए. डिविजन नम्बर ४९:—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) पिछले तीन वर्ष में तामकोट मिडिल स्कूल में कितनी रकम परीक्षा फीस, खेलों और पुस्तकालय के नाम से विद्यार्थियों से वसूल की गई ?

(ख) उपरोक्त रकम के हिसाब की जांच किसने और कब २ की ?

(ग) उपरोक्त रकम में कितनी और कहां २ खर्च हुई, कितनी बाकी है और किस के कब्जे में है ?

उत्तर

क. निम्नलिखित सीगों में वसूल की गई:

	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६
रीडिंग रूम फीस	२५-८-०	५६-०-०	८६-१२-०
गेम्स फीस	७४-०-०	१४२-०-०	१०७-१-६
परीक्षा फीस	१८३-८-०	२४०-२-०	३६०-३-६
	२८२-८-०	४३८-२-०	५५७-१-०

ख. उप निरीक्षक श्री गंगानगर द्वारा दिनांक २६-११-'५४ को की गई।

ग. उपरोक्त रकम नीचे लिखे अनुसार खर्च हुई।

	१९५३-५४	१९५५-५६	१९५६-५७
रीडिंग रुम फीस	१०-०-०	७१-०-०	५६-०-०
गेम्स फीस	७४-८-०	[illegible]-१-६	१३०-१०-६
परीक्षा फीस	९३-३-०	३२५-३-६	३०४-५-०
	१७८-१०-०	४५५-५-०	४८१-१-६

दि० १-४-५६ को १४३ रु. १० आ. ६ पाई पोते बाकी थी जो कि प्रधानाध्यापक के कब्जे में है।

प्रश्न

८२८ (१३४। आर. एम.) श्री गुरदयालसिंह संधु, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर४६:— क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) २० फरवरी, १९५६ से आज तक तहसील पदमपुर से कितने तहसीलदारों का तबादला हुआ और कितने २ समय के बाद ?

(ख) इतनी जल्दी तबादले किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(क) २० फरवरी, १९५६ से आजतक दो तहसीलदारों के तबादले क्रमशः ४ दिन व १४ दिन के बाद हुए।

(ख) सबसे जूनियर कार्यवाहक तहसीलदार को अतिरिक्त तहसीलदार लगाना आवश्यक था, अतः एक तहसीलदार का जल्दी ही तबादला किया गया।

प्रश्न

८३० (१३५। आर. एम.) श्री गुरुदयालसिंह सिंधु, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ४६:—क्या मंत्री राजस्व विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला गंगानगर में ओले पड़ने के कारण किस २ तहसील के किस २ गांव में कितना २ नुकसान हुआ है ?

(ख) क्या सरकार इन गांवों को किसी प्रकार की सहायता देगी ?

उत्तर

(क) जिला गंगानगर में निम्नलिखित तहसीलों से ओले पड़ने के कारण नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है, इनमें जिन तहसीलों से ग्रामों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो सकी वह इस प्रकार है:—

नाम तहसील		संख्या ग्राम
१. गंगानगर	—	१३
२. पदमपुर	—	४६
३. अनूपगढ़	—	४०

विस्तृत जानकारी नुकसान वगैरा की अभी प्राप्त नहीं हुई, आने पर राहत देने के लिए निर्णय किया जायगा।

(ख) जी हां, नियमानुसार सहायता दी जावेगी।

प्रश्न

८३६.(१८५।सी. एम.) श्री मनफूलसिंह, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर ६३:—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या राजस्थान सरकार ने कहीं किसी मिडिल स्कूल को हाईस्कूल बनाने के लिए सरकारी खर्च से इमारत तैयार है ?

(ब) क्या सरकार सूरतगढ़ में भी हाई स्कूल के लिये सरकारी इमारत बनाने के लिये तैयार है ?

(स) क्या सूरतगढ़ के मिडिल स्कूल से भी कोई पुराना मिडिल स्कूल गंगानगर जिले में है ?

(द) क्या गंगानगर जिले में कोई ऐसा तहसील हैडक्वार्टर है जहां हाई स्कूल नहीं है ?

(य) क्या सरकार तहसील हैडक्वार्टर्स पर जहां हाई स्कूल नहीं है, इस वर्ष हाई स्कूल खोलने के लिये तैयार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No 116

(फ) क्या सरकार के यह भी ध्यान में है कि सूरतगढ़ के ४०–५० मील पर हाई स्कूल नहीं है ?

(च) क्या सरकार सूरतगढ़ में भी इस वर्ष हाई स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

क. जी नहीं ।

ख. प्रश्न नहीं उठता ।

ग. जी नहीं ।

घ. जी हां , पदमपुर , अनूपगढ़ व सूरतगढ़ ।

ङ. मिडिल स्कूलों को अप ग्रेड करने के लिये मूलभूत आधार स्वीकार हो चुके हैं । इन निर्धारित आधारों पर आर्थिक स्थिति को दृष्टि कोण में रखते हुये अवश्य प्राथमिकता दी जावेगी ।

च. यदि निर्धारित आधारों में इसका नम्बर आ गया तो इसका अवश्य विचार किया जायगा

प्रश्न

८३९ (१६६१ आर. एम.) श्री नारायण चतुर्वेदी, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १०६:— क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) चाकसू बसी तथा सांगानेर तहसीलों में ओलो से कितनी हानि हुई है ?

(२) सरकार इन हानि ग्रस्त क्षेत्रों को राहत पहुंचाने को क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) और (२) बसी एवं सांगानेर तहसीलों में ओलों से कोई हानि नहीं हुई । तहसील चाकसू में ४० ग्रामों में ।) आने से ।।।=) तक नुकसान होने की सूचना मिली है । नियमानुसार छूट देने के नक्शे बनवाये जा रहे हैं । कलेक्टर ने किसी राहत कार्य (Relief work) की सिफारिश नहीं की ।

प्रश्न

८४० (१७६। आर. एम.) श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ५६:—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चाकसू तहसील में ऐसे कितने खातेदार काश्तकार हैं जिनको जमीन दूसरे हरिजन काश्तकार बोते हैं और खातेदार लोग तीसरा अथवा चौथा हिस्सा वसूल करते हैं !

(२) क्या यह सही है कि ऐसे खातेदार काश्तकार अपने प्रभाव से गलत गश्त गिरदावरी कराके अपना नाम दर्ज करा लेते हैं ?

(३) गश्त गिरदावरी सही करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(२) कई हजार खातों को चेक करना है, समयाभाव से मुकम्मिल सूचना प्राप्त नहीं हो सकी, और सूचना मिलना भी दुश्वार है ।

(२) सरकार के ध्यान में कोई शिकायतें नहीं हैं । यदि शिकायत खास नाम से आई तो हस्ब कायदा कार्यवाही की जायेगी ।

(३) गश्त गिरदावरी के लिए कानून बना हुआ है । और समय पर किसान को स्लिप दी जाती है ।

प्रश्न

८४२ (१७२। आर. एम.) श्री कुम्भाराम आर्य, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ८०:—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) बीकानेर डिवीजन में पटवार फण्ड के नाम से क्या आज भी लैण्ड रेवेन्यू के साथ रुपया वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो आज तक इस फण्ड में कितना रुपया किसानों से वसूल किया जा चुका है और वह कहां जमा है ?

(ख) पटवारी को सरकारी कर्मचारी मान लेने के बाद अब यह फण्ड क्यों वसूल किया जा रहा है ?

(ग) क्या सरकार जनता के इस पैसे को वापिस देने को तैयार है ?

उत्तर

(क) जी हां। पटवार फन्ड के नाम से प्रति वर्ष लगभग चार साल का मतालबा कायम होता है और बाद वसूली रकम सरकारी खजाने में जमा होती है।

(ख) बीकानेर लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के मातहत।

(ग) जी नहीं। वसूली जायज है अतः वापसी का सवाल ही नहीं।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८२१ का उत्तर देखिये)

LIST OF APPTTS. MADE DURING THIS SESSION 1955-56

Name of the teacher	Name of the School	Nature of apptt.	Remarks.
1. Shri Hookamsingh	P. S. Shyampura	Or Probation	By selection.
2. „ Gajausingh	P. S. Gokalpura	..	By selection.
3. „ Shiv Dayal Mathur	P. S. Rajpura	„	„
4. „ Megh Singh	P. S. Kusalpura	„	„
5. „ Devi Singh	P. S. Padampura	„	„
6. „ Tara Singh	P. S. Juliyasar	„	„
7. „ Nagarmal	P. S. Alkhpura	„	„
8. „ Girraj	P. S. Bidas	„	„
9. „ Bhanwar Singh	P. S. Mohalla Khatin	Fatehpur	„
10. „ Gaga Pd.	P. S. Balonda	„	„
11. „ Kanhaiyalal	P. S. Pritawipura	„	„
12. „ Rameshwar Singh	P. S, Banathla	„	„
13. „ Uppendra Singh	P. S. Maksudpura	„	„
14. „ Jagdish Prashad	P. S. Nagai	„	„
15. „ Madan Lal	P. S. Vaidhyakidham	„	„
16. „ Radhey Shyam Purohit	P. S. Chandela ka bas	„	„
17. „ Ram Gopal Varma	P. S. Ajabpura	„	„
18. „ madan Lal Pareek	P. S. Mohanpura	„	„
19. „ Abdulrahman Katari	P.S. Dukiya	„	„
20. „ Sita Ram Sharma	P. S. Ranipura	„	„
21. „ Danaram	P. S. Bhopatpura	„	„
22. „ Ganshyampareek	P. S. Reengus	„	„

1	2		3	4
23.	Shree Ram Swaroop Sharma	P. S. Vijaypura	"	"
24.	" Satyanarain Sharma	" Kali Bhar	"	"
25.	" Jagdish Narain	" Lorwara	"	"
26.	" Shyam Sundar Sharma	Dhabawali Dhani	"	"
27.	" Hari Narain Chejara	" Nathaka Nangal	"	"
28.	" Duli Chand	" Ganwali	"	"
29.	" Banwarilal	" Jharli	"	"
30.	" Som Dutta	" Chhapar	"	"
31.	" Birdhi Chandra	" Dariba	"	"
32.	" Sohan Singh	" Hiraji Ki Dhani	"	"
33.	" Ramesh Chandra	" Ladi ka Bas	"	"
34.	" Ranjit Singh	" Godiya Bara	"	"
35.	" Ganpat Singh	" Madhopura	"	"
36.	" Daya Narain	" Chainpura	"	"
37.	" Sachhidanand	H. S. Khandela	" P. S. C.	Selected
38.	" Dhankumar	" Neemka thana	"	"
39.	" Rajendra Kumar	" Shrimadhopur	"	"
40.	" Harimohan	" Khandela	"	"
41.	" Zufruddin Siddighi	" Shrimathopur	"	"

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ८२४ का उत्तर देखिये)

Statement of peons working in the Sikar Inspectorate.

1.	Shri Bansi Dhar	Inspector of schools. Sikar Office.
2.	,, Ghanshyam.	--do--
3.	,, Prabhati Lal	,,
4.	,, Madan Lal.	,,
5.	,, Meg Nath.	,,
6.	,, Bhanwar Lal.	,,
7.	,, Abdul Sattar.	,,
8.	,, Bhagirath	,,
9.	,, SundarLal	High school, Neem ka thana.
10.	,, Bansi dhar	,,
11.	,, Mali Ram.	,,
12.	,, Nathu Lal.	,,
13.	,, Babu Lal	,,
14.	,, Makhan Lal.	,,
15.	,, Kalu Ram.	,,
16.	,, Rameshwar Lal.	,,
17.	,, Chiranji Lal.	,,
18.	,, Mool Chand.	,,
19.	,, Gulab das.	High school Danta.
20.	,, Manwar Ali	--do--
21.	,, Ramoo	,,
22.	,, Mahadeo	,,
23.	,, Onkar Lal	,,
24.	,, Bhanwar Lal	,,
25.	,, Bodu Ram	,,
26.	,, Naraian Ram	High School. Srimadhopur.
27.	,, Mali Ram	--do--
28.	,, Sukhdeo	,,
29.	,, Hira Lal	,,
30.	,, Kashi Ram	,,
31.	,, Ram Deo	,,
32.	,, Sadu Ram	,,
33.	,, Hira Lal II	,,
34.	,, Ram Swaroop	,,

35.	"	Ballu Ram	"	
36.	"	Mangi Lal	"	
37.	"	Hardeo.	Govt. High school, Losal.	
38.	"	Omdass	--do--	
39.	"	Jeewan	"	
40.	"	Ganga Bux	"	
41.	"	Indra	"	
42.	"	Hukma Ram	"	
43.	"	Ram Chandra	"	
44.	"	Bhagirath Mal	Govt. High School, Khandela.	
45.	"	Hunuman	--do--	
46.	"	Geneshi Ram	"	
47.	"	Deen Dayal	"	
48.	"	Dalu Ram	"	
49.	"	Inayat Ali	Govt. Middle school, Madho school, Sikar.	
50.	"	Hari Narayan	--do--	
51.	"	Gulab	--do--	
52.	"	Rekha Ram	Fatehpur Middle school.	
53.	"	Shiva Lal	--do--	
54.	"	Budu Lal	Middle school Laxmangarh	
55.	"	Ratan Ram	--do--	Kudan.
56.	"	Hanuman Ram	"	Kolida
57.	,,	Likhaa Ram	,,	Katathal.
58.	,,	Banne Singh	,,	Batranau.
59.	,,	Rameshwar	,,	Sinagawat.
60.	,,	Durga.	,,	Pulthana.
61.	,,	Bhura Ram	,,	Degwa.
62.	,,	Swaraj Mal	,,	Patan.
63.	,,	Prem Raj	,,	Bai.
64.	,,	Gopallal	,,	,,
65.	,,	Sugan Singh	,,	Dantaramgarh.
66.	,,	Mohan Lal	,,	,,
67.	,,	Radha Kishan	,,	Kheer.
68.	,,	Bega Ram	,,	,,
69.	,,	Jodha Ram	,,	,,
70.	,,	Ballu Ram.	Middle school, Khachriawas.	
71.	,,	Jagannath.	,,	Pachar.
72.	,,	Madan lal.	,,	,,
73.	,,	Satya narain.	,,	,,

Page No 123

74.	,,	Sita Ram.	,,	Palsana.
75.	,,	Nawal Kishore.	,,	,,
76.	,,	Partu Ram.	,,	Shishu.
77.	,,	Rangeet singh.	,,	Balaran.
78.	,,	Devi lal.	,,	,,
79.	,,	Gouri Shankar.	,,	Bidipur.
80.	,,	Mangal Chand.	,,	,,
81.	,,	Ghan shyam.	,,	Kaswali.
82.	,,	Badri narain	,,	,,
83.	,,	Madan singh	,,	Budholi.
84.	,,	Man singh	,,	Chal a.
85.	,,	Jagdish Pd.	,,	Chaja ka nangal
86.	,,	Kana Ram	,,	Guhala.
87.	,,	Mralidhar	,,	,,
88.	,,	Ten Sen	,,	,,
89.	,,	Govind Ram	,,	Gaohri.
90.	,,	Suraj Mal	,,	Masampur
91.	,,	Shri Bux	,,	,,
92.	,,	Prabhati lal	,,	,,
93.	,,	Puran Mal	,,	,,
94.	,,	Dalla Ram	,,	Maonda Khurd.
95.	,,	Sunder singh	,,	,,
96.	"	Omprakash	"	"
97.	"	Narayan lal	"	Raipura Jagir.
98.	"	Suwa lal	"	"
99.	"	Jagdish Prasad	"	,,
100.	"	Sanwar Mal	"	Toda.
101	"	Hanuman	"	Ajeetgarh.
102	"	Deva Ram	"	"
103.	"	Bhura Mal	,,	"
104.	"	Govind Ram	"	"
105.	,,	Hanuman Singh	,,	,,
106.	,,	Mali Ram	,,	Deosala
107.	,,	Panchu Ram	,,	,,
108.	,,	Balu Ram	,,	,,
109.	,,	Mali Ram	,,	,,
110.	,,	Mohan Lal	,,	Gurara.
111.	,,	Meda Ram	,,	Jharli.
112.	,,	Chairmal	,,	Kanwat.
113.	,,	Noor Mal	,,	do

Page No 124

114.	,,	Prabhudayal	,,	,,
115.	,,	Jiwan Mal	,,	,,
116.	,,	Birdhi Chand	,,	Moondru.
117.	,,	Noor Mal	,,	Thoi.
118.	,,	Devi Sahai	,,	,,
119.	,,	Nand Ram	,,	,,
120.	,,	Kali Ram	,,	,,
121.	,,	Nand Lal	Office of the Sub-Dy-Inspector,	Sikar.
122.	,,	Kanahia Lal	do	Fatehpur.
123.	,,	Kalyan Prasad	do	Shri Madhopur.
124.	,,	Sita Ram	,,	Danta
125.	,,	Bhura	,,	Neem Ka Thana.
126.	,,	Kishan Lal	Primary-School,	Sikar (Rly)
127.	,,	Jagmal	do	Gaind, Sikar.
128.	,,	Jesh Mal	,,	Refugee Sikar
129.	,,	Kalu Ram	,,	Neem Ka Thana.
130.	,,	Nathu Singh	,,	do
131.	,,	Ganesh	,,	Shri Ramgarh.
132.	,,	Bakshi Ram	,,	Ganeri.
133.	,,	Anchi	,,	Bidasar.
134.	,,	Ramkishan	,,	Shri Madhopur.
135.		Chauth Mal	,,	do
136.	,,	Onkar	,,	,,
137.	,,	Shyam Lal	,,	,,

STATE MENT OF PEONS OF SIKAR INSPECTORATE

Who have been Transfered

		From	To
1.	Shri Prabhati Lal.	Office of the Inspector of schools, Sikar.	to M. S.
2.	„ Mag Nath.	Office of the Inspector of schools, Sikar.	M. S. Mehroli.
3.	„ Radha Kishan	M. S. Khoor	„ Sirohi.
4.	„ Satya Narain	„ Pachar.	P. S. Sevipura.
5.	„ Devi Lal	„ Balaram.	P. G. Purohitan, Bai.
6.	„ Magan Chand	„ Bibipur.	Office of S. D. I. Siker
7.	„ Bodri Narain	„ Kanwali.	Gaonri-Purohitan.
8.	„ Man Singh	„ Chala.	M. S. Guhala.
9.	„ Murli Dhar	„ Guhala.	„ Chala.
10.	„ Nand Lal.	S. D. I. Office Siker.	„ Jhori,
11.	Kanhaiya Lal.	--:do:--Fatehpur-	Office of Inspector Siker
12.	„ Kalu Ram.	Neem Ka thana	P. S. Chala.

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ८२७ का उत्तर देखिये)

No.	Name of village with primary School.	No. of students.	No. of teachers,	Tehsil.
1	2	3	4	5
1.	P. S Bundi.	205	10	Bundi
2.	„ Deopura.	16	1	„
3.	„ Barodiya.	21	1	„
4.	„ Matunda.	49	3	„
5.	„ Satoor.	20	1	„
6.	„ Gudha	82	2	„
7.	„ Silor.	75	4	„
8.	„ Akoda.	15	1	„
9.	„ Ramnagar.	18	1	„
10.	„ Hattipura.	20	1	„
11.	„ Bhairupura-Antri	23	1	„
12.	„ Neemka-Khera.	22	1	„
13.	„ Bhairupura-Onkarpura.	65	3	„
14.	„ Chhatrapura.	34	2	„
15.	„ Thikarda.	44	2	„
16.	„ Khatkar.	33	2	„
17.	„ Talavgaon.	20	1	„
18.	„ Lohali.	25	1	„
19.	„ Ajetha.	15	1	„
20	„ Abra.	28	1	„
21.	„ Mangal.	26	1	„
22.	„ Jawati.	10	1	„
23.	„ Ramganj.	15	1	„
24.	„ Rihana.	28	1	„

1	2	3	4	5
25. ,,	Khiyawada.	24	1	,,
26. ,,	Banori.	20	1	,,
27. ,,	Bindi Bundi.	95	3	,,
28. ,,	Vorkhandi.	15	1	,,
29. ,,	Delounda.	2o	1	,,
30. ,:	Raithal.	2o	1	,,
31. ,,	Dabeta.	9	1	,,
32. ,.	Jhakana.	17	1	,,
33. ,,	Slnt-Garoara	36	1	,,
34. ,,	Khanti.	22	1	,,
35. ,,	Narshingpura.	22	1	,,
36. ,,	Uleda.	29	1	,,
37. ,,	Dabiana-Kanjaran.	-	-	Hindoli. As the School is run by B. W. C. here the teacher of this School has been deputed to Notaradh. arawa.
38. ,,	Dablana	92	4	,,
39. ,,	Khiniya.	19	1	,,
4o. :.	Gothada.	57	2	,,
41. ,,	Baranayagaon.	63	3	,,
42 ,,	Bansi.	2o	1	,,
43. ,,	Cheitan.	39	2	,,
44. ,,	Pechki Bawari.	36	1	,,
45. ,,	Thana.	42	2	,,
46. ,,	Umar.	45	2	,,
47. ,,	Owan.	23	1	,,
48. ,,	Pagaran.	54	2	,,
49. ,,	Basoli.	16	1	,,

1	2	3	4	5
50.	,, Dhowara.	51	2	,,
51	,, Tonkada.	35	1	,,
52.	,, Ranipura.	23	1	,,
53.	,, Negarh.	22	1	,,
64.	,, Vijaygarh.	19	1	,,
54.	,, Kachola.	14	1	,,
56.	,, Ronija.	25	1	,,
57.	,, Chatarganj.	24	1	,,
58.	,, Nedi-Kachanariya.	23	1	,,
59.	,, Badgaon.	18	1	,,
60.	,, Harna.	32	1	,,
61.	,, Tahla.	21	1	,,
62.	,, Jackoli.	28	1	,,
63.	,, Bachola.	21	1	,,
64.	,, Bamangaon.	23	1	,,
65.	,, Jarkhoda.	30	1	,,
66.	,, Sunsa.	21	1	,,
67.	,, Gambhira	31	1	,,
68.	,, Sawantgarh	21	1	,,
69.	,, Devajika-Gudha.	42	1	,,
70.	,, Dugari.	109	3	,,
71.	,, Samidhi	90	2	,,
72.	,, Bensi	70	4	,,
73.	,, Jajawar	27	1	,,
74.	,, Korma	20	1	,,
75.	,, Rajlawata	9	1	,,
76.	,, Naharganj	16	1	,,
77.	,, Bhajneri	17	1	,,
78.	,, Sehan	20	1	,,

1	2		3	4	5
79.	,,	Khanpura	20	1	,,
80.	,,	Bambuli	28	1	,,
81.	,,	Khajuri	15	1	,,
82.	,,	Pipliya	24	1	,,
83.	,,	Nainwan	211	6	,,
84.	,,	Sisbla	15	1	,,
85.	,,	Dabi	36	2	,,
86.	,,	Talera	51	3	,,
87.	,,	Notara-Bhopt	43	2	,,
88.	,,	Gumanpura	26	1	,,
89.	,,	Anthada	17	1	,,
90.	,,	Ladpur	32	2	,,
91.	,,	Namana	103	4	,,
92.	,,	Barundhan	82	3	,,
93.	,,	Laxmipura	18	1	,,
94.	,,	Alfanagar	11	1	,,
95.	,,	Jamitpura	47	1	
96.	,,	Dora	24	1	,,
97.	,,	Dehit	36	2	,,
98.	,,	Lileda-Viyasan.	17	1	,,
99.	,,	Jackmoond	38	2	,,
100.	,,	Bajad	37	2	,,
101.	,,	Suthada	31	1	,,
102.	,,	Thikariya	28	1	,,
103.	,,	Sitapura	29	1	,,
104.	,,	Thikariya-Kaviraijika	19	1	,,
105.	,,	Barunda	25	1	,,
106,	,,	Bhilonka-Ganeshpura	28	1	,,
107.	,,	Roteda.	81	3	,,

1	2	3	4	5
108.	,, Jaithal.	61	3	,,
109.	,, Deikhera.	34	1	,,
110.	,, Jhalijika-Barana	71	3	,,
111.	,, Chowntra-Khera.	29	1	,,
112.	,, Gaindoli.	34	1	,,
113.	,, Ghataka-Barana.	35	1	,,
114,	,, Notara Dharawan	59	2	,,
115.	,, Keshoraipatan.	185	8	,,
116.	,, Lesarda.	57	3	,,
117.	,, Bhiya.	55	3	,,
118.	,, Arnetha,	76	3	,,
119.	,, Gamach.	12	1	,,
120.	,, Tirath.	45	2	,,
121.	,, Mayaja.	24	1	,,
122.	,, Jaloda-khatiya.	30	1	"
123.	" Pachipala.	93	3	,,
124.	" Dagarya.	30	1	"
125.	" Balkasha.	33	1	"
126.	" Laban.	64	1	"
127.	" Pspadi.	20	1	"
128.	" Karwala	31	1	"
129	" Lakheri Station.	23	1	"
130	" Hingoniya,	19	1	"
131.	" Chitawa.	25	1	"
132.	" Radi-Chandi-Kamolar	15	1	"
133.	" Adila.	20	1	"
134.	" Borda.	17	1	,,
135.	" Ajanda.	35	1	"
136.	" Pali Baswada	34	1	"

1	2	3	4	5
137.	" Guhata	42	1	"
138.	" Kota Khurd	30	1	"
139.	" Handiya Khera	26	1	"
140.	" Makhida	26	1	"

AIDED MUNICIPAL PRIMARY SCHOOLS, BUNDI.

1	2	3	4	5
1.	P. S. Chogan gate school, Bundi.	702	32	Bundi.
2.	" Rastria Pathashala Bundi.			
3.	" Kagji Dewara Bundi.			
4.	" Girls School, Bundi.			

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ८४३ का उत्तर देखिये)

(ब) राजस्थान बनने के उपरान्त खनिज एवं भूगर्भ विभाग द्वारा प्रान्त में जिन जिन खनिजों की लीज़ हुई है उसकी सूची निम्नलिखित है।

नाम खनिज	स्थान	जिला	सन्
मैंगनीज	तांबेश्वरा	बांसवाड़ा	१९५०-५१
फ्लोराइट	चौकड़ी	सीकर	१९५०-५१
सोपस्टीन		बांसवाड़ा	१९५१-५२
पाइराइट			
कांच का बालू	जावर	उदयपुर	१९५१-५२
शीशा	गुढा किशोरदास	अलवर	१९५१-५२
बैराइटीज	जामरोली भाकेरा	अलवर	१९५१-५२
लोहा	थूर. डुंडर. नीमला	उदयपुर जयपुर	१९५२-५३
कायनाइट	राजसमन्द	उदयपुर	१९५३-५४
तांबा	देलवाड़ा किरोली देबारी	उदयपुर	१९५३-५४
बेराइटीज़	हथौरी	भरतपुर	१९५३-५४
चीनी मिट्टी	रायसीना	जयपुर	१९५३-५४
जिप्सम	तारानगर	बीकानेर	१९५४-५५
कायनाइट	देवल	डूंगरपुर	१९५४-५५
तांबा	बांदपुरा पानसल	भीलवाड़ा	१९५४-५५
ग्रेफाइट		बांसवाड़ा	१९५४-५५
सोपस्टीन	गीजगढ	जयपुर	१९५४-५५
लाइमस्टोन	पिन्डवारा	सिरोही	१९५४-५५
लोहा	लोहारपुरा	बूंदी	१९५४-५५
बाक्साइट	खारा सिरोल	झालावाड़	१९५५-५६
शीशा जस्ता	ऋषभदेव	उदयपुर	१९५५-५६

१	२	३	४
लोहा	नथारा का पोलमद	उदयपुर	१६५५-५६
क्ले मतिका	मढ	बीकानेर	१६५५-५६
फ्लोराइट	माडों की पाल	डूंगरपुर	१६५५-५६
कायनाइट गारनेट	पादरी	डूंगरपुर	१६५५-५६
	वरसंगपुर	उदयपुर	१६५५-५६
बैलसाइट		उदयपुर	१६५५-५६
गेरु लाल पीला	इसवालख. सरदारपुरा	उदयपुर	१६५५-५६
निकिल	रानकसुर	पाली	१६५५-५६
क्ले	चौंदी	बीकानेर	१६५५-५६

इसके अतिरिक्त गत ६ वर्षों में खनिज अनुमति पत्र व्यापारियों ने Pinate Lessees of licenses ने भी कई नये खनिजों की खोज की तथा उनका खनन कार्य किया जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं ;

१	बैरिल	२	यूरेनियम के खनिज.	३.	शीशा
४	फ्लोराइट	५	लोहा	६.	ग्रेफाइट
७	एसबेसटस	८	लाइमस्टोन डोलोमाइट	९	तांबा
१०	अभ्रक [भोडल]	११	सोपस्टोन	१२	कांच का बालू
१३	मेंगनीज	१४	पन्ना	१५	कायनाइट
१६	इल्मेनाइट	१७	मारबल संगमरमर	१८	बैलसाइट

इसके अलावा उपरोक्त खनिजों में जिनका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाया है उसे पूरी जानकारी के लिए भविष्य में अनुसंधान करने का प्रोग्राम है । जैसे निकिल रनकपुर फ्लोराइट डूंगरपुर तथा पेट्रोल की खोज जैसलमेर में की जा रही है ।

परिशिष्ट ६

[अतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रखे गये]

प्रश्न

१. (१५८।आर. एम.)–श्री महाराज केसरीसिंह–(७५)

क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) जिला बूंदी के खालसे के पटेलों की रसूम किस दर से दी जाती रही है ?

(ब) क्या यह रसूम सब तहसीलों के बराबर सन् १९४८ से १९५६ तक दी जाती रही है ?

(स) क्या जागीर के इलाकों के पटेलों को भी १ फरवरी, सन् ४६ से ५६ तक बराबर दी जाती रही है ?

(द) यदि हां, तो जागीरवार और तहसीलवार बताया जाये कि किस किस जागीर के पटेल को रसूम किस किस साल की दी गई और किस किस साल की नहीं दी गई और क्यों ?

(य) क्या इसके मुतालिक कभी राजस्व मन्त्री ने कोई आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

(न) क्या यह सही है कि इस आदेश का पालन बराबर नहीं हुआ है ?

(क) फोरमर राजस्थान में किस किस जिले में रसूम जागीर के पटेलों को बराबर दी जाती रही है ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

प्रश्न

२. (१७३।आर. एम.)–श्री कुम्भाराम आर्य (८०):—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान में कितनी भूमि का सेटलमेंट हो चुका और कितनी भूमि का होना शेष है और वह कब तक हो जावेगा ?

(२) सेटलमेंट में चाही और बारानी भूमि को कितनी कितनी किस्मों में बांटा गया है और तहसील के बेसिस पर भूमि की किस्म के अनुसार लैंड रेवन्यु किस प्रकार है ?

(३) तहसीलवार किस्म जमीन और उसकी लैण्ड रेवन्यु क्या क्या है तथा उसकी पैदावार फी बीघा क्या है ?

(४) सबसे अधिक लैंण्ड रेवेन्यु किस तहसील में कितनी है और पैदावार फी बीघा क्या है ?

(५) लैंड रेवन्यु तहसीलवार किस औसत आमदनी के हिसाब से लगाई गई है ?

(६) क्या जहां बिना औसत के लैंड रेवन्यु घोषित कर दी गई है क्या औसत को बहुत ऊंचा आंक लिया है उसको सारे राजस्थान की दृष्टि से समान करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो उसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

(उत्तर अनुपलब्ध)

प्रश्न

३. (२०३। सी. एम.)–श्री हंसराज आर्य (५१);—क्या योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से जिले में सामुदायिक विकास खंड खोले गये और उन पर कितना कितना रुपया खर्च हुआ ?

(ख) कहां कहां पर राष्ट्रीय विस्तार योजना कायम की गई तथा कितना कितना रुपया खर्च किया गया ?

(ग) क्या इस योजना में काम करने वाले अफसरान को सरकार ट्रेनिंग दिलाने के पश्चात् कार्य भार देती है या कार्य भार देने के बाद ट्रेनिंग देती है ?

(घ) तहसील सरदार शहर और तहसील नोखा मंडी में जो विकास खण्ड अभी कायम किये गये थे उनमें क्या क्या काम हो रहा है और वहां पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

(ङ) कितने गांवों में क्या क्या कार्य चालू किया गया है, दोनों तहसीलों का अलग ब्यौरा दिया जावे ?

(च) रायसिंह नगर तहसील के विकास योजना में आज तक कुल कितना रुपया खर्च हुआ और उससे क्या क्या कार्य कराये गये हैं ?

(छ) तहसील करणपुर में जो विकास योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है उसमें अब तक क्या कार्य हुआ है ?

(ज) दूसरी योजना में कुल कितने विकास खंड खोले जायेंगे और किस किस जिले में खोले जायेंगे ?

(झ) योजनाओं को कार्यान्वित करने के बल से जो सलाहकार समिति बनाई जाती है उसे हिसाब चेक करने के संबंध में क्या क्या अधिकार हैं ?

उत्तर

(क) सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(ख) सूचना सदन की मेज पर रख दीगई है ।

(ग) हां ।

(घ) साधारणतया, विकास खण्ड अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात् ही उसे प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है ।

(ङ) तहसील सरदार शहर में अक्टूबर सन् १९५५ से केवल पूर्व प्रसार कार्य आरम्भ किया गया था । सोशियो इकोनोमिक सर्वे का कार्य किया जा रहा है ।

अप्रेल सन् १९५६ से वहां भी राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोल दिया गया है ।

नोखा मंडी में अब तक जो कार्य हुआ है और जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(च) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(छ) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ज) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(झ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १५४ विकास खंड खोलने का लक्ष्य है और योजना के अन्त तक सारा राज्य राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के अन्तर्गत आजावेगा ।

(ग) विकास सलाहकार समितियों को हिसाब की जांच करने के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं है ।

सं०	जिला	सामुदायिक	विकास खण्ड	व्यय माह दिसम्बर सन् ५५तक
१	जयपुर	१	जोबनेर	२, ७६, ७६०
		२	बस्सी	२, ५५, ६६८
२	अलवर	३	किशनगढ़वास	१०, १३, ६६४
३	भरतपुर	४	डीग	७. ३४, ३१८
४	सवाईमाधोपुर	५	हिन्डौन	१४, २४. ६२२
५	पाली	६	सुमेरपुर	१५, १५, ६६१
		७	बाली	२, ६६, ४८२
६	नागोर	८	डीडवाना	६, ६६, ४६४
७	उदयपुर	९	राजसमन्द	१४, ६५, ००७
		१०	आमेट	३, १६, ६८६
८	डूंगरपुर	११	डूंगरपुर	१०, ५४, ५१५
		१२	सिमलवाड़ा	१, ७२, ५०२
९	कोटा	१३	बारां	१५, ८६, ०१७
		१४	अन्ता	२, ७०, ८३९
१०	गंगानगर	१५	रायसिंहनगर	११, ३७, ९५८

सं०	जिला	राष्ट्रीय	विस्तार सेवा खंड	व्यय (माह दिसम्बर ५५ तक)
१	जयपुर	१	सांगानेर	१, ३०, ७३६
		२	जयपुर	२, ७०८
२	सीकर	३	नीमका थाना	—
३	झुंझुनू	४	चिड़ावा	२, १३६
४	अलवर	५	गोविन्दगढ़	१, २१, ५८५
५	भरतपुर	६	वसेड़ी	७७, ५७०
६	सवाईमाधोपुर	७	सवाईमाधोपुर	६७, ६६८
		८	टोड़ाभीम	१, ५०, ६३६

१	२	३		४
		९	महुआ	२, ३२, २६८
		१०	करोली	१, ३२, २४५
७	टौंक	११	मालपुरा	६८, ६०१
८	जोधपुर	१२	बिलाड़ा	७१, ५१६
९	पाली	१३	देसूरी	२, ०८, ४६०
१०	सिरोही	१४	पिन्डवाड़ा	१, ००, ६०२
११	जालोर	१५	आहौर	४६, ५६०
१२	जैसलमेर	१६	सांकड़ा	४२, ८८३
१३	उदयपुर	१७	कुम्भलगढ़	२, ३२, ०३५
		१८	गिरवा	१, ५२, ७७३
		१९	कोटड़ा	—
१४	भीलवाड़ा	२०	मांडलगढ़	१, ०७८
१५	चित्तौड़	२१	प्रतापगढ़	१४०
		२२	बैगूं	१, १७१
१६	बाड़मेर	२३	सिवाना	१, ६६, ८७३
१७	बांसवाड़ा	२४	गढ़ी	७२, ०६४
१८	डूंगरपुर	२५	सागवाड़ा	१, ८२, ८६१
१९	कोटा	२६	लाड़पुरा	२, ९२, ६२०
		२७	शाहबाद	२, ४०, १०८
२०	बूंदी	१८	बूंदी तलेरा	—
२१	झालावाड़	२९	झालरापाटन	२, २१६
२२	बीकानेर	३०	नोखा	१, ६६८
२३	गंगानगर	३१	करनपुर	८१, ९५०

STATEMEMT SHOWING THE POSITION OF STAFF IN N. E. S. BLOCK NOKHA.

S. No.	Name of the post.	Staff in position.
1.	Block Development Officer.	1
2,	Agriculture extension Officer.	1
3.	Social Education Organisers.	2
4.	Veterinary stockman.	1
5.	Cooperative Cum-Panchayat Inspector.	1
6.	Village Level workers.	9
7.	Overseers.	..
8.	Driver.	1
9.	Upper Division Clerk.	1
10.	Lower Division Clerks.	2
11	IV Class Servent.	3

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF WORK IN NOKHA N. E. S. BLOCK UPTO MARCH, 1956

I. Agriculture.

1.	Compost pits dug.	20
2.	Cultivation of vegetables (Acres)	13
3.	Comparment and contour bundring of fields.	13

II. Animal Husbandry;

4.	Castration done.	23
5.	Pedigree bulls.	2
6.	Innoculation and vaccination.	129
7.	Treatment of general diseases (No. of cattle)	393
8.	Catlle Sheds Improved.	35

III. Health & Rural Sanitation.

9. Innoculation aud vaccination.	60

IV. Drinking water supply.

1o. Wells constructed.	11
11. ,, Repaired.	2
12. ,, Diggis & Nadies constructed.	2

V. Social Education.

13. Community meetings.	3
14. Vidyarthi Sangh Organised.	3
15. Orientation camp held.	1(one)

VI. Communication.

16. Kacha Roads (Miles)	5

VII. People's participation.

17. Labour, cash and other contribution.	54,15o.

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF WORK IN C. D. BLOCK RAISINGH NAGAR.

S. No.	Items of work.	Community Development Block RaisinghNagar
1.	AGRICULTURE.	Total Expenditure Rs. 11,37,958/-
1.	Seeds distributed (Mds)	20,538
2.	Fertilizers distributed (Mds)	41,402
3.	Agriculture implements distributed (nos)	2.014
4.	Demonstration held	585
5-	Cultivation of vegetables. (Acres)	1,288

1	2	3
6	Compost pits dug.	5,613
7.	Trees planted.	53,530
	ANIMAL HUSBANDRY	
8.	Pedigree bulls supplied.	12
9.	Pedigree birds supplied.	14
10.	Castrations done	3,300
III.	IRRIGATION.	
11.	Wells dug.	----
12.	Wells repaired.	----
13.	Total additional area irrigated.	3,529
	RECLAMATION.	
14.	Area reclaimed.	---
	V. RURAL HEALTH SANITATION	
15.	Wells constructed.	3
16.	Wells renovated.	6
17.	Soakage pits dug.	105
	VI EDUCATION	
18.	New schools opened	41
19.	School building constructed.	40
20.	Schools converted into Basic schools.	4

1	2	3
	VII SOCIAL EDUCATION	
21.	A. E. Centres started	40
22.	Vikas Mandals started	50
23.	Physical recreation centres started.	40
	VIII COMMUNICATION COOPERATION	
24.	Kacha roads constructed. (Miles)	(9)
25.	Co-operative societries organised.	115
	IX. PEOPLES PARTICIPATION	
26.	Peoples centribution per 1ooo persons.	6.27.00,1

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF WORK IN N. E. S. BLOCK KARANPUR

S. No.	items of work	
I.	**Agriculture.**	
1.	Seeds distributed (Mds)	4,163
2.	Fertilizers distributed (Mds)	12,671
3.	Agriculture implements distributed (Nos)	36o
4.	Demonstration held	111
5.	Cultivation of vegetables (Acres)	178
6.	Compost pits dug	2,148
7.	Trees planted.	8,744

1	2	3
	II. Animal Husbandry.	
8.	Pedigree bulls supplied.	—
9.	Pedigree birds supplied.	—
16.	Castrations done	211
	III. Irrigation	
11.	wells dug	—
12.	Wells repaired.	—
13.	Total additional area irrigated.	—
	[illegible]amation.	
14.	Area reclaimed.	5
	V. Rural helth sanitation.	
15.	Wells constructed.	3
16.	Wells renovated.	5
17.	Soakage pits dug.	24
	VI. Education	
18.	New schools opened.	14
19.	School building constructed.	16
2o.	Schools converted into Basic schools.	--
	VII. Social education.	
21.	A. E. centres started.	21
22.	Vikas Mandals started.	67
23.	Physical recreation centres started.	32

1	2	3
	VIII. Communication Cooperation.	
24.	Kachha roads constructed (Miles)	1
25.	Co-operative societies organised.	54
	IX. Peoples participation.	
26.	Peoples contribution per 1000 persons.	3,39,658